Par. S. 17. II. 25. 53
285

अंक २
संख्या २५

मंगलवार
५ मई, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३९६३—४०१५]
श्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४०१५—४०३०]

(मूल्य ४ आने)

P.S.D.

लोक सभा

मंगलवार, ५ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को अनुदान

*१८३१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **योजना** मंत्री पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को, राज्यवार, ऋण, अनुदान या आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की परिमात्रा बतलाने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में भाग क और ख में के राज्यों को दिये गये ऋणों तथा इन्हीं दो वर्षों में उनके लिए स्वीकृत किये गये अनुदानों को दिखलाने वाले विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १३]**

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि जैसा कि टेबुल (विवरण) में दिखलाया गया है, कुछ स्टेट्स जैसे बिहार और वेस्ट बंगाल को ग्रान्ट्स काफ़ी ज्यादा तादाद में दी गयी हैं और कुछ स्टेट्स जो काफ़ी बहु हैं जैसे उत्तर प्रदेश उन को ग्रान्टस कम दी गई हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वजह है कि कुछ स्टेट्स को कम और कुछ को ज्यादा दी गई हैं ?

श्री हाथी : यह तो राज्य विशेष की आवश्यकताओं तथा उनकी विभिन्न विकास योजनाओं पर निर्भर है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश को कितनी ग्रान्ट्स दी गयी हैं ?

श्री हाथी : यह सब विवरण म बताया गया है ।

कपड़े के मूल्य

*१८३२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कपड़े पर तात्कालिक प्रभाव से इस वर्ष के प्रथम सप्ताह से निर्यात शुल्क के २५ प्रतिशत से १० प्रतिशत कर दिये जाने के निर्णय ने कपड़े के देशी बाज़ार के रुख पर को बदला है क्योंकि मिलों ने अपने निर्यात-योग्य कपड़े के मूल्य ५ से १० प्रतिशत या उस से भी अधिक बढ़ा दिये हैं?

(ख) क्या यह देखने के लिये, कि निर्यात योग्य कपड़े पर लगाये गये शुल्क के घटने बढ़ने से देश में खपने वाल कपड़े के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि सरकार द्वारा यह निर्णय किये जाने के फलस्वरूप

पलंग की चादरों, लट्ठा, मारकीन, मलमल तथा अन्य प्रकार के मोटे तथा बारीक क़िस्म के कपड़े न केवल मंहगे ही हो गये हैं अपितु इस के साथ ही वह हमारी आवश्यकताओं से कम भी हो गये हैं ?

(घ) देश की आन्तरिक प्रदाय को किस प्रकार सामान्य स्तर पर बनाये रखा जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह सूचना प्राप्त हुई थी कि निर्यात शुल्क में कमी किये जाने के तुरन्त बाद ही कुछ मिलों ने अपने मूल्य सवा छै प्रति शत बढ़ा दिये थे ।

(ख) और (घ) इस समय जो स्थिति है उस से इस प्रकार की कोई आशंका नहीं होती है । सरकार बहुत सी उन क़िस्मों पर, जो निर्यात की जाती हैं, अभी भी मूल्य नियंत्रण लागू किए हुए है । स्थिति का बहुत सावधानी से निरीक्षण किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं, कुछ अधिक नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि जब से निर्यात योग्य कपड़े पर शुल्क लगाया गया है देश में कपड़े के मूल्य चढ़ गये हैं, और यदि ऐसा है, तो इस वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: प्रतिशतता समय समय पर बदलती रहती है । हम स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं । कभी कभी ऐसा होता है कि मूल्य ५ प्रतिशत या ४ प्रतिशत बढ़ जाते हैं । कभी कभी मूल्य उस मूल्य से भी, जो कि जब कि मूल्य नियंत्रण लागू था उस पर छापे गये थे, कम हो जाते हैं । यह कुछ प्रकार के कपड़ों में देखा जाता है, परन्तु धोतियों के मूल्य में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि विशेषकर अधिक महीन प्रकार की धोतियों के सम्बन्ध में हुई है जिन के मूल्य २५ प्रतिशत तक बढ़ गये हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या शुल्क लगाये जाने के बाद यह देखने के लिये कि देश में कपड़े के मूल्य बढ़े तो नहीं हैं, क्या कोई कार्यवाही की गई है, और यदि ऐसा है, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : शुल्क के लगाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है । स्पष्टतया माननीय सदस्य शुल्क के घटाये जाने के बाद की स्थिति की ओर निर्देश कर रहे हैं । उसके सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि हम ने मूल्य नियंत्रण चालू किया है । यह मूल्य नियंत्रण अधिकतर उन क़िस्मों पर लागू है जो निर्यात व्यापार में काम में आती हैं, और जैसा कि मैंने निवेदन किया, अगर हम यह देखेंगे कि मूल्य बढ़ रहे हैं और यह मूल्य वृद्धि होती चली जा रही है, तो उन अन्य क़िस्मों पर भी, जिन पर से मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया था, फिर से मूल्य नियंत्रण लागू कर दिया जायेगा ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार ने उन क़िस्मों को निश्चित कर दिया है जिन को निर्यात के लिए चुना गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं, श्रीमान्, निर्यात के सम्बन्ध में किसी भी प्रतिबन्ध के लगाये जाने का प्रश्न नहीं है । किसी भी वस्तु को निर्यात किया जा सकता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कपड़े की कुछ क़िस्मों पर नियंत्रण के ढीले किये जाने के फलस्वरूप, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है और मिलों ने अपने मिल-मूल्य बढ़ा दिये हैं, यदि हो, तो यह देखने के लिए कि मूल्य और अधिक नहीं

चढ़ते हैं सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न उसी ढंग से पूछा गया है जिस तरह से कि पहला प्रश्न पूछा गया था, केवल मात्र शब्दों में कुछ अन्तर है। जैसा कि मैं ने निवेदन किया, स्थिति यह है कि कुछ किस्मों के मूल्य उस समय की मांग तथा प्रदाय की स्थिति के अनुसार चढ़ते और घटते हैं। सरकार यह अनुभव नहीं करती है कि कुछ क़िस्मों के मूल्य इतने अधिक चढ़ गये हैं कि उन के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना आवश्यक है। केवल मात्र इसी बात से ही, कि हम अभी तक नियंत्रण प्रणाली को चलाये हुए हैं और जिन किस्मों का निर्यात होता है उन के मूल्य पर मूल्य नियंत्रण लागू किये हुए हैं, व्यापार तथा मिलों को यह ज्ञात हो जाना चाहिये कि यदि मूल्य और अधिक बढ़े तो सरकार फिर नियंत्रणों को लागू कर देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० सी० सामन्त। प्रश्न संख्या १८३३.

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं आप से प्रश्न संख्या १८४३ को भी इसी के साथ ले लेने की प्रार्थना कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, माननीय मंत्री दोनों का एक साथ उत्तर दें।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है श्रीमान्।

अभ्रक का विधायन

*१८३३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारत में अभ्राक के विधायन उद्योग के स्थापित किये जाने को प्रोत्साहन दिया है या देने का विचार कर रही है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अभ्रक जांच समिति की क्या सिफ़ारिश है ;

(ग) भारत में अभ्रक की खानों की संख्या ; तथा

(घ) क्या भारतीय अभ्रक की उत्तमता तथा मूल्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) अभ्रक विधायन संयंत्र के स्थापित किये जाने को सरकार सदैव प्रोत्साहन देने को तैयार है।

(ख) उस ने इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सिफ़ारिश नहीं की है।

(ग) जिन खानों में पृथ्वी के तल के नीचे काम होता है उन की संख्या ७१२ है।

(घ) उत्तमता के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें रही हैं, पर मूल्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

माईकेनाईट बनाना

*१८३४. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'उद्योग तथा वाणिज्य पत्रिका' (जर्नल आफ़ इन्डस्ट्री ऐण्ड ट्रेड) नामी एक प्रकाशन की ओर दिलाया गया है जिसके जनवरी १९५३ के अंक में पृष्ठ ८६ पर "रद्दी अभ्रक का इस्तैमाल तथा निर्यात" के शीर्षक के अन्तर्गत यह कहा गया है कि कुछ ऐसे सार्थ हैं जो माईकेनाइट तैयार करने की योजना बना रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन सार्थों के नाम क्या हैं और वह किन राज्यों में स्थित हैं; तथा

(ग) क्या इन में से किसी सार्थ ने माईकेनाइट बनाने का काम शरू कर दिया है, और यदि हां, तो इस का परिणाम क्या निकला है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मैसर्स माईकेनाईट ऐंण्ड माइका प्रौडैक्ट लिमिटेड, मद्रास राज्य में और मैसर्स हीरजी मिल्स लिमिटेड बिहार में।

(ग) अभी किसी ने भी उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह इस तथ्य के कारण है कि सुव्यवस्थित प्रकार से खनन कार्य नहीं किया जाता है और विधायन कार्य के सुपरिवीक्षण में भी कमी है और निर्यात कम है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह नहीं कह सकता कि कारण और प्रभाव को इस प्रकार निश्चित रूप से सम्बद्ध किया जा सकता है। क़िस्म के सम्बन्ध में शिकायतें रही हैं। क़िस्म की ख़राबी उन्हीं कारणों से है जो माननीय सदस्य ने बताये हैं, यह अपनी अपनी सम्मति का विषय है। परन्तु इस सारे मामले की जांच अभ्रक जांच समिति ने की है और उसने विशेष रूप से प्रमाणीकरण में होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला या भारत के किसी अन्य अनुसंधान केन्द्र में इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने अभ्रक जांच समिति की उन सिफ़ारिशों पर जिनका सम्बन्ध भारत से अभ्रक के निर्यात किये जाने और उसके बदले में माईकेनाइट के आयात से है, विचार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसे मैंने निवेदन किया, अभ्रक जांच समिति की सिफ़ारिशों की संख्या अधिक है, और इन पर समय समय पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। मैं नहीं कह सकता कि सरकार ने उस संकुचित दृष्टिकोण में आने वाली समस्या पर जिसका माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में आभास दिया है, विचार किया है।

श्री केलप्पन : हमारे अभ्रक के निर्यातों की उत्तमता को बनाये रखने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस प्रश्न का इस सदन में एक से अधिक उत्तर दे चुका हूं। भारतीय प्रमाप संस्था ने कुछ प्रमाप निश्चित किये हैं, और अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाप संस्था ने भी कुछ प्रारूप प्रमाप निश्चित किये हैं। इन प्रमापों पर विचार किया जा रहा है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाप संस्था के प्रारूप प्रमापों को अन्ततः स्वीकार किया गया, और यदि सदस्य देश इन स्वीकृत प्रारूप प्रमापों पर सहमत हुए, तो कदाचित उस समय हम उत्तमता के बनाये रखे जाने पर आग्रह करेंगे। किसी भी स्थिति में, यदि हीन प्रकार के माल का निर्यात किया जाता है तो वर्तमान विधान के उपबन्धों को काम में लाया जायेगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार माईकेनाइट उत्पादन को कोई आर्थिक या प्रविधिक प्रकार की सहायता देने की प्रस्थापना करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार स्वयं अपने आप ही सहायता देती नहीं फिर

सकती है। यदि कोई विशिष्ठ मांग की जायेगी, तो उस की सरकार के दायित्वों तथा आर्थिक संसाधनों के अनुरूप ही जांच की जायेगी।

कोयले के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

*१८३४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन कोयला खदानों के उत्पादन पर, जो कि तहाई सम्बन्धी कार्यवाहियां करती हैं, अब भी कोई प्रतिबन्ध लगा हुआ है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : प्रतिबन्ध तो धातुकर्मिक कोयला निकालने वाली सभी खानों के उत्पादन पर लगाये गये हैं, परन्तु हम खानों के लिये अधिकतम उत्पादन सीमा निश्चित करते समय तहाई सम्बन्धी कार्यों से निकाले गये कोयले को उत्पादन सम्बन्धी सभी प्रकार के प्रतिबन्धों से मुक्त रखा जायेगा।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि प्रतिबन्धनात्मक कार्यवाहियों का समग्र कोयला व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है, और जिस ढील की ओर माननीय सभा-सचिव ने निर्देश किया उसके पीछे क्या उद्देश्य निहित है ?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक मेरी जानकारी है, कोयले के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इस ढील दिये के पीछे यह विचार है। उदाहरण के लिये, ८३ कोयला खानों में से २८ ने तहाई सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं, उन्होंने तहाई करने वाले कुछ संयंत्र लगाये हैं और कुछ धन भी व्यय किया है। इस मामले में, यदि हम कोई छूट नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से उनकी कार्य सामर्थ्य और उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार कोयला खानों को रेत से तहाई करने संयत्रों को स्थापित करने जिन को कि अति उत्तम समझा गया है, में सहायता देने का विचार करती है।

श्री आर० जी० दुबे : जी हां, सरकार की यह इच्छा है, और इस लिये यह सुविधा विशेष रूप से उन खान मालिकों को दी गई है जो इन संयंत्रों को स्थापित कर रहे हैं। प्रत्येक मामले की जांच करने तथा आवश्यक सुविधाओं की स्वीकृति देने के लिये कोयला परिषद् को स्वविवेक दे दिया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ऐच्छिक तहाई कार्यक्रम को पूरा करने के लिये कोयला खदानों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

श्री आर० जी० दुबे : कुछ दिनों पूर्व यह गणना की गई कि तहाई सम्बन्धी कार्य करने का व्यय दो रुपया प्रति टन होगा और सरकार एक चौथाई तक की सहायता देगी।

रेलवे की कोयला खानों से कोयले का उत्पादन

*१८३६. **श्री एन० पी० सिन्हा :** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे की कोयला खानों से इस समय होने वाले कोयले के उत्पादन से सरकार की मांग पूर्णतया पूरी हो जायेगी ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : अनुमान है कि माननीय सदस्य यह ज्ञात करना चाहते हैं कि रेलवे कोयला खानों से होने वाला वर्तमान उत्पादन सरकारी रेलवेज़ की अपेक्षताओं को पूर्णतया पूरा कर सकेगा। यदि ऐसा है तो उत्तर 'नहीं' है।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या यह सत्य है कि सरकार को अपनी यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये कोयले की प्रदाय के हेतु निजी तथा असरकारी कोयला खानों पर निर्भर रहना होता है, यदि ऐसा है तो

फिर सरकारी कोयला खानों में कम उत्पादन करने की प्रणाली क्यों चालू की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप छटनी की गई है ?

श्री आर० जी० दुबे: कोयले की अधिकतम मात्रा खोद निकालने के लिये ही यह प्रणाली चालू की गई है। जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है, यह किसी प्रकार से भी हानिकारक नहीं है।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मैं यह और निवेदन कर दूं कि यह प्रणाली धातुकर्मिक जैसे उत्तम श्रेणी के कोयले को संरक्षित रखने के लिये चालू की गई है। इस नीति को कोयले के समग्र उत्पादन से गड़बड़ा देना ठीक नहीं है।

भोजन पकाने के लिए कोयला

*१८३७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देहाती जनता द्वारा सौफ्ट कोक के घरेलू काम में लाये जाने को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में, जिससे कि गाय का गोबर, जो कि बहुत उत्तम प्रकार का खाद है, बच सके, सरकार का दृष्टि कोण क्या है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

(ग) यदि हां, तो कहां और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

(घ) क्या उक्त योजना के विस्तृत किये जाने की सम्भावना है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) सरकार देहाती क्षेत्रों में सौफ्ट कोक के घरेलू ईंधन के रूप में अधिकाधिक काम में लाये जाने को प्रोत्साहन दिये जाने के पूर्णतया समर्थन में है। सौफ्ट कोक के इस प्रकार काम में लाये जाने में केवल मात्र परिसीमा पर्याप्त यातायात सुविधाओं का अभाव है।

(ख) और (ग) सौफ्ट कोक के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई सौफ्ट कोक उपकर समिति ने कोयले के सन् १९२८ के ७५४,००० टन के लदान से सं० १९४० में उसकी परिमात्रा ९६३,००० टन बढ़ाने में सहायता दी थी।

(घ) योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि देहाती क्षेत्रों में वितरण के लिये १० लाख टन सौफ्ट कोक की अतिरिक्त परिमात्रा का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिये। सौफ्ट कोक उप कर समिति के पुनः जीवित किये जाने की एक प्रस्थापना पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। सरकार यथा समय इस प्रस्थापना पर विचार करेगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि देहाती क्षेत्रों में कोयले को घरेलू काम में लाये जाने को लोकप्रिय बनाने के फलस्वरूप, क्या देहाती क्षेत्रों ने इस योजना से कोई लाभ उठाया है, और यदि हां, तो किस सीमा तक ग्रामवासियों को लाभ पहुंचा है ?

श्री आर० जी० दुबे : आंकड़ों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। सन् १९४९ में लदान ८,९१,११९ टन था, परन्तु यह सन् १९५२ वह ११,५०,७६५ टन हो गया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोयले की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उत्पादन मंत्रालय द्वारा यातायात मत्रालय से प्रार्थना किये जाने पर क्या देहाती क्षेत्रों को कोयला प्रदाय करने के लिये और अधिक माल डब्बे प्राप्त करने में कोई निश्चित सफलता मिली है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां, यही तो हम कह रहे हैं। सन् १९५२ में सौफ्ट कोक के

उपभोक्ताओं से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उस से पूर्व इस प्रकार के कोयले की कोई प्राथमिकता निश्चित नहीं की गई थी। सन् १९५२ के पश्चात्, सौफ्ट कोक का श्रणी उन्नयन किया गया है और प्राथमिकता को (झ) से (छ) कर दिया गया था।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस कार्य के लिये अब और कितने अतिरिक्त माल डब्बे उपलब्ध हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : यह बताना सम्भव नहीं है।

[आगरे का जूता उद्योग

*१८३८. **सेठ अचल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि आगरे का जूता उद्योग बड़े खतरे में है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे बचाने के लिये कोई योजना बना रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश की सरकार से यह ज्ञात हुआ है कि आगरे के जूता उद्योग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति को सुधारने के लिये राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ़ से इस सम्बन्ध में क्या क्या स्टेप्स लिये गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, आगरे के जूता उद्योग के हित को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने चमड़े के बने जूते के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के अतिरिक्त और कोई विशेष कार्यवाही नहीं की है। जूतों के आयात लगे आयात शुल्क को बढ़ा कर १०० प्रतिशत मूल्यानुसार या प्रति जोड़ा १ रु० ९ आ० ८ पाई, जो भी अधिक हो, कर दिया गया है। चमड़े के बने जूतों के निर्यात को अपनियंत्रित कर दिया गया है।

मुझे यह विस्तारपूर्वक ज्ञात नहीं कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है, मुझे तो केवल मात्र यही बताया गया है कि मामला उसके विचाराधीन है। सन् १९४९ में कुटीर उद्योग कारीगरों की एक सहकारी समिति बनाई गई थी, दूसरी सन् १९५० में बनाई गई और तीसरी सन् १९५१ में। यह सन्तोषजनक रीति से कार्य कर रही हैं और गतवर्ष में इन सहकारी समितियों का समस्त उत्पादन १ १/२ रुपये से अधिक मूल्य का हुआ था। वह और अधिक सहकारी समितियां स्थापित करने और उनको आर्थिक सहायता देने का कार्य कर रही हैं जिससे कि जूता विक्रेता या तो व्यापार से निकल जाता है या फिर अमहत्वपूर्ण बन जाता है। और दूसरा कारण जिसने उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है वह है रुपये की तंगी और इस कठिनाई को सहकारी समितियों की सहायता से दूर करने की चेष्टा की जा रही है।

कुछ और कारण भी हैं श्रीमान्, जिन पर केवलमात्र राज्य सरकार ही कार्यवाही कर सकती है। यह कहा जाता है कि बिक्री कर भी एक रुकावट है। यह ऐसे मामले हैं जो पूर्ण रूप से राज्यसरकार के क्षेत्राधिकार में हैं और केन्द्रीय सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है।

श्री रामानन्द दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को कानपुर, पटना

और दिल्ली के जूता उद्योग की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह आगरे से दिल्ली आ गया है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि आगरे की शू इंडस्ट्री (जूता उद्योग) भारत में सबसे बड़ी शू इंडस्ट्री है और अगर उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया तो वह खत्म हो जायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ किया जाना आवश्यक है वह सभी कुछ दोनों सरकारों द्वारा किया जा रहा है। हमें सारे भारत में जूता नहीं चला देना चाहिये

मलाया म भारतीय मजदूर

*१८३९. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मलाया सरकार ने मलाया में भारतीय मज़दूरों को भूमि पर बसाने का निश्चय किया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रारम्भ किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां।

(ख) जी हां। अविलम्ब लागू किये जाने के लिये दो अग्रिम योजनायें मलाया संघ सरकार द्वारा तैयार की गई हैं। एक के द्वारा सरकारी भूमियां तथा अन्य ज़मींदारों की भूमियां, मलाया के भारतीय मज़दूरों को उपलब्ध हो सकेंगी। मलाया के नौ में से तीन राज्यों में, इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की भी जा चुकी है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान् कि वहां जो मजदूर बसाये जायेंगे क्या वह नागरिकता सम्बन्धी अधिकारों के भी अधिकारी होंगे तथा इन संस्थापन योजनाओं का व्यय कौन वहन करेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं प्रश्न का अन्तिम भाग समझ नहीं सका हूं श्रीमान्।

डा० राम सुभग सिंह : इस संस्थापन कार्य का व्यय कौन उठायेगा; क्या इन मज़दूरों द्वारा समस्त व्यय के वहन किये जाने की आशा की जाती है अथवा मलाया सरकार भी इस व्यय का कुछ भाग वहन करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पहले एक 'भारतीय आप्रवासी निधि' होती थी; उस निधि में काफी अधिक धन राशि इकट्ठी हो गई है। जहां तक मैं समझ सकता हूं, व्यय का पर्याप्त भाग इस निधि में से किया जायेगा

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह भारतीय आप्रवासी निधि सिंगापुर में रहने वाले भारतवासियों के लिये भी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हाल ही में उक्त निधि को समाप्त कर देने और उक्त धन राशि को सिंगापुर और मलाया संघ के मध्य एक नियत अनुपात के अनुसार, जो जहां तक मुझे मालूम है १:१३ है, बांट देने का निश्चय किया गया है जिससे कि दोनों भाग इस निधि से लाभ उठा सकें।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार इन संस्थापन योजनाओं से प्रभावित होने वाली व्यक्तियों की सम्पूर्ण संख्या बताने की स्थिति में है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो एक अग्रिम योजना का केवलमात्र आरम्भ ही है। मैं अपने कथन को संशोधित करके यह कह दूं कि उक्त निधि को बूढ़े तथा निराश्रित भारतीय मज़दूरों को प्रत्यावासित करने तथा उनको राहत पहुंचाने के लिये भी काम में लाया जायेगा। जहां तक प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह तो अभी

केवलमात्र एक अग्रिम योजना ही है, और मैं संख्या नहीं बता सकता हूं। इस अग्रिम योजना के लिये सिंगापुर राज्य की तराई वाली भूमि में जितनी धान की खेती वाली भूमि अलग रखी गई है उसका क्षेत्रफल ३००० एकड़ है, और सिंगकालिंग ज़मींदारी में धान की खेती वाली ६००० एकड़ भूमि अलग रखी गई है। यहां बसने वाले केवलमात्र एक शर्त पर ही मौरूसी हक़ पायेंगे, यानी जिसे भूमि दी जायगी वह उस भूमि को किसी अभारतीय को नहीं बेचेगा।

पंडित के० सी० शर्मा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जिन मज़दूरों को वहां बसाया जा रहा है क्या वह भारतीय नागरिक ही बने रहेंगे या उनको भारतीय नागरिकता को छोड़ कर मलाया की नागरिकता को स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जायगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि यह बात वहां होने वाले विकास कार्य पर निर्भर है। साधारणतया, इन सभी देशों में, कभी न कभी लोगों को निर्णय करना ही होगा, और इस प्रकार के निर्णय करने का समय अभी मलाया में नहीं आया है। परन्तु अन्य देशों में, जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, उनको निर्णय करना पड़ रहा है, अथवा स्थिति कुछ दिनों तक अस्थिर रहती है परन्तु अन्ततः कोई न कोई निर्णय करना ही होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अधिक दिनों तक द्वैध नागरिकता का लाभ नहीं उठा सकता है।

श्री थानू पिल्ले : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या वहां बसने वाले भारतीय नागरिकता के सम्पूर्ण अधिकारों का उपभोग करेंगे अथवा उनको प्रतिबन्धित नागरिकता सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस समय तो उन को सामान्य नागरिकता सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं। उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाया हुआ नहीं है। परन्तु मलाया के राज्यों में जैसे जैसे स्थिति सुधरती जायेगी—जैसे जैसे मलाया राज्य विकसित होता जायेगा—उसको वहीं सम्पूर्ण अधिकार पाने या किसी अन्य देश में सम्पूर्ण अधिकार पाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय करना ही होगा।

सुधार-शुल्क

*१८४०. **श्री एल० एन० मिश्र :** (क) **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नई नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा जिन क्षेत्रों की सिंचाई की जाने लगी है उन सब क्षेत्रों में सुधार शुल्क लगाने के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

(ग) राज्य तथा संघ सरकारें उस अनुमानित आय में से अपने हिस्से किस प्रकार लेंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई, पंजाब तथा हैदराबाद राज्यों ने इस प्रयोजन के लिये पहिले ही एक विधान बना दिया है।

मद्रास, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान तथा पेप्सू ने इस प्रयोजन के लिये विधेयकों के प्रारूप तय्यार किये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

बिहार, उड़ीसा, मध्यभारत तथा त्रावणकोर कोचीन राज्यों ने नई सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सुधार शुल्क लगाने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है।

(ग) सुधार शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप होने वाली सब आय सम्बद्ध राज्यों के राजस्व में जमा कर दी जायगी। यह

सम्बद्ध परियोजना के प्रशासन लेखे में दिखाई जायगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को जिस जमीन में पहिले से ही सिंचाई होती है उसके तथा सुधार शुल्क के रूप में उससे होने वाली आय के बारे में कुछ पता है ?

श्री हाथी : सरकार के पास राज्य द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सुधार शुल्क के आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि कुछ समाज-विरोधी व्यक्तियों द्वारा जमीन खरीदने के सम्बन्ध में सटा ऐसे क्षेत्रों में आरम्भ कर दिया गया है जिनमें नदी घाटी परियोजना द्वारा सिंचाई की जायगी ?

श्री हाथी : सुधार शुल्क लगाने का अभिप्राय यह है कि सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के दिये जाने से अर्नजित अथवा वर्धित आय का हिस्सा राज्य को मिलना चाहिये । सुधार शुल्क सूखी ज़मीन तथा सिंचाई की जाने वाली ज़मीन के अन्तर के अनुसार चालू दरों के आधार पर लिया जाता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि नदी योजनाओं के अन्तर्गत जो सिंचाई होगी उसमें प्रति एकड़ जो सिंचाई के लिये कर लगाया जायगा, क्या वह उस कर से अधिक होगा या कम जो इस वक्त नहरों आदि से सिंचाई करने पर लगाया जाता है ?

श्री हाथी : यह दर इन बातों पर निर्भर करेगी कि फसल कैसी है, ज़मीन किस प्रकार की है, प्रति एकड़ कितनी उपज होती है तथा किसानों को किस प्रकार की सुविधा मिलती है । यह सब इन विभिन्न बातों पर निर्भर करेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री मेरा प्रश्न समझे नहीं । मेरा प्रश्न यह है कि नदी योजनाओं के अन्तर्गत जो सिंचाई कर लगाया जायगा उस कर में और जो कर आजकल नहरों आदि से सिंचाई करने पर लगाया जाता है इसमें कोई फर्क होगा और अगर होगा तो वह कर इससे कम होगा या ज्यादा होगा ?

श्री हाथी : इसमें कुछ अन्तर हो सकता है ; यह इस बात पर निर्भर करेगा इससे लोगों को कितनी सुविधायें मिलती हैं ।

श्री ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तमाम स्टेटों के ज़रिये से जो कर सिंचाई से वसूल किया जाता है, क्या उसे भी आप बैटरमेंट कंट्रीब्यूशन में शामिल करेंगे ?

श्री हाथी : कर विभिन्न प्रकार के हैं--पानी के दर, नहर सुविधा दर, सिंचाई उप-कर, और सुधार शुल्क । ये विभिन्न प्रकार के कर हैं । सुधार शुल्क केवल एक बार लिया जायगा । इसका भुगतान इकट्ठी राशि के रूप में अथवा किस्तों के रूप में किया जा सकता है । अन्य कर मिलने वाली सिंचाई सम्बन्धी सुविधा पर निर्भर करेंगे । ऐसे भी स्थान हो सकते हैं जहां सिंचाई आवश्यक न हो । उस हालत में इसे भूराजस्व में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता किसी विशेष प्रयोजन के लिये ही हो । अतः विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित विभिन्न दशाओं को ध्यान में रखते हुए ये भिन्न भिन्न प्रकार के कर हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : चूंकि सट्टे-बाज़ों ने सूखी ज़मीन भी खरीदनी शुरु कर दी है जिसके परिणाम स्वरूप जमीन के मूल्य

प्रति दिन बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं ; तो क्या सरकार का विचार सट्टेबाज़ों के समाज-विरोधी कार्यों से बचने के लिये ऐसी ज़मीन को स्वयं खरीदने का है जो कि सिंचाई किये जाने के फलस्वरूप अच्छी बन सकती है ?

श्री हाथी : सुधार शुल्क लगाने का वास्तविक प्रयोजन ऐसे सट्टे को रोकने का है ।

श्री दामोदर मेनन : सुधार शुल्क के दर कौन निश्चित करती है – केंन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें ?

श्री हाथी : राज्य सरकारें ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या जिस क्षेत्र को लाभ होगा वहां के निवासियों पर यह बात छोड़ दी जायेगी कि वे सुधार शुल्क अथवा सिंचाई उप-कर अथवा अन्य करों को, जो आवश्यक होंगे, स्वीकार कर लें ?

श्री हाथी : सुधार शुल्क तथा सिंचाई उपकर के बीच विकल्प देने का इसमें प्रश्न ही नहीं है – ये दोनों भिन्न भिन्न हैं ।

कच्चे लोहे (आयरन ओर) का निर्यात

*१८४१. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मद्रास राज्य के बेल्लारी ज़िले से विदेशों को कच्चा लोहा उन्हीं के फर्मों द्वारा निर्यात किया जा रहा है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो प्रति वर्ष कच्चे लोहे की कितनी मात्रा का निर्यात किया जाता है ?

(ग) क्या स्थानीय कच्चे लोहे को यहीं की फैक्टरियों में इस्तेमाल करने के लिये कोई पर्यालोकन किया गया है ?

(घ) उस क्षेत्र में कितने फर्म कार्य कर रहे हैं तथा उनके व्यापार के सम्बन्ध में क्या शर्तें अथवा समझौते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न के अभिप्राय को नहीं समझ सका। सन्दूर के कच्चे लोहे का निर्यात किया जा रहा है ।

(ख) निर्यात के आंकड़े बन्दरगाहों के अनुसार तैयार किये जाते हैं जहां से इसका जहाज़ों पर लदान होता है—ये आंकड़े उन स्थानों के जहां से यह निकाला जाता है, आधार पर नहीं तय्यार किये जाते ।

१९५१ तथा १९५२ में मद्रास राज्य के बन्दरगाहों से कच्चे लोहे का निर्यात इस प्रकार था :

१९५१	९,६०१ टन
१९५२	७६,५०८ टन

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं जान सकता हूं कि ये विदेशी फर्म गत कितने वर्षों से वहां काम कर रहे हैं ?

श्री करमरकर : इन फर्मों की संख्या कितनी है और ये वहां कितने समय से कार्य कर रहे हैं—मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मद्रास गज़ेटियर में यह लिखा हुआ है कि सन्दूर की खानों में सर्वोत्तम प्रकार का कच्चा लोहा होता है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने वहां लोहे का प्लांट स्थापित करने की कोई योजना बनाई है ?

श्री करमरकर : सरकार को सन्दूर की खान के विषय में पता है किन्तु सरकार

के परामर्शदाताओं ने वहां लोहे का संयत्र स्थापित करने की सलाह नहीं दी है, क्योंकि उस क्षेत्र में जलाने का कोयला उपलब्ध नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह स्थान नये बनाये गये आन्ध्र राज्य में अथवा कन्नड़ राज्य में आयेगा ?

श्री करमरकर : यह मैसूर में रहेगा जैसा कि यह अब है ।

श्री केलप्पन : मैं जान सकता हूं कि क्या निकाले जाने योग्य अच्छे किस्म के लोहे के बारे में पर्यालोकन किया गया है ? जिस रफ़्तार से यह इस समय निकाला जाता है इससे यह कितने समय तक निकाला जा सकता है ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न की मुझे पूर्व सूचना चाहिये । यह इस समय निकाला जा रहा है । यह कितने समय तक निकाला जा सकता है इस सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

मध्यप्रदेश में हरिजनों का सुधार

*१८४२. **श्री जांगड़े :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में हरिजनों के सुधार के लिये पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन सी भिन्न योजनायें हैं, और उन में से प्रत्येक पर मध्य प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन व्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): एक विवरण, जिसमें इस समय की उपलब्ध सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । मध्य प्रदेश सरकार से और अधिक सूचना देने के लिये कहा गया है और जब यह प्राप्त हो जायगी तब सदन पटल पर रख दी जायगी । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या १४]**

श्री जांगड़े : मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश में हरिजनों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के मामलों में गत पांच वर्षों में कुल कितना व्यय किया गया तथा इस पर होने वाला व्यय कितना है जो कि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जायगा ?

श्री हाथी : मध्य प्रदेश द्वारा किया गया व्यय, यह सूचना तो उसी सरकार से मिल सकती है ।

ऋण सम्बन्धी समझौते

*१८४५. **श्री बादशाह गुप्त : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या फ़रवरी, १९५३, के अन्तिम सप्ताह में पश्चिमी जर्मनी के इंगलैंड, अमरीका, फ्रांस, तथा पाकिस्तान के साथ किए गए ऋण सम्बन्धी जर्मन वैदेशिक ऋण समझौतों में भारतवर्ष का भी कोई भाग है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सम्भवत : माननीय सदस्य जर्मन विदेशी ऋण सम्बन्धी उस समझौते का निर्देश कर रहे हैं जिस पर कि युद्ध पूर्व विदेशी ऋणों के तथा मित्र राष्ट्र शक्तियों द्वारा जर्मनी को दी गई युद्धोत्तर आर्थिक सहायता से उत्पन्न ऋणों के निपटाने के सम्बन्ध में फ्रांसीसी गणराज्य, इंगलैंड तथा अमरिका और जर्मनी की फैडरल गण-राज्य सरकार के बीच लंडन में २७ फरवरी, १९५३ को हस्ताक्षर किये गये थे । इस समझौते पर प्रारम्भ में हस्ताक्षर करने वालों में हम नहीं थे । इस समझौते के उपबन्ध इस समय विचाराधीन हैं ।

श्री बादशाह गुप्त : मैं जान सकता हूं कि इसमें से भारत को भी कोई हिस्सा मिलेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने बताया सरकार इसके उपबन्धों पर विचार कर रही है । इसमें से कुछ हिस्सा

मिलने का प्रश्न तो केवल तब उठेगा जब हम यह निश्चय कर लें कि हमें इस समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिये या नहीं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई इमारतों में दरारें

*१८४६. **श्री जांगड़े** : (क) **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कलकत्ते की नई टकसाल तथा एक इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारतों में, जिन्हें कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में बनाया है, दरारें दिखाई दी हैं;

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके क्या कारण थे ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) जी हां ।

(ख) नई टकसाल की इमारत में दरारें उसमें लगे हुए सीमेंट के बने टुकड़ों के बढ़ने और सिकुड़ने के कारण हैं ।

मैरीन कॉलेज की मुख्य इमारत में बहुत ही बारीक दरार है, जो कि 'सुधार की गई भूमि' की बहुत कम भार सहन शक्ति के कारण है जिस पर कि यह इमारत बनाई गई है । फिर भी, मैं यह बता दूं कि ये दरारें किसी इंजीनियरिंग त्रुटि अथवा इमारत के नक्शे की त्रुटी के कारण नहीं हैं, ऐसा एडीश्नल चीफ़ इंजीनियर ने बतलाया है । वह यह भी कहते हैं कि इमारत में ये दरारें बहुत हानिकारक नहीं है और इनका इमारत की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो मकानों में क्रैक्स हुए हैं वे ठेकेदारों की वजह से हुए हैं या गवर्नमेंट के सुपरवाइज़र्स की ढ़िलाई की वजह से हुए हैं ?

श्री बुरागोहिन : मैं ने पहिले ही कह दिया है कि ऐसा इमारत की बनावट की त्रुटि अथवा ठेकेदारों के उत्तरदायित्व के कारण नहीं है । इसी कारण तो एडिश्नल चीफ़ इंजीनियर ने यह कहा कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मंत्रालय का ध्यान अन्य स्थानों की बहुत सी अन्य इमारतों की दरारों की ओर अर्थात् तीमारपुर के मकानों और अन्य स्थानों के मकानों की ओर दिलाया गया था और उनमें यह पता लगा था कि ये त्रुटियां इंजीनियरिंग लापरवाही अथवा ठेकेदारों की धोखेबाज़ी के कारण हैं । मैं जान सकता हूं कि ऐसी त्रुटियों को फिर होने से रोकने के लिये तथा इस बात का ध्यान रखने के लिये, कि ऐसे ठेकेदारों को फिर काम न मिल जाय जहां से त्रुटियां मालूम पड़े, क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बुरागोहिन : यह तो बहुत सामान्य प्रश्न है । यदि कोई निश्चयात्मक बात बताई जाय तो हम उस मामले की जांच करेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ने तीमारपुर के क्वार्टरों के बारे में कहा है ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि क्या इन दरारों का पड़ जाना सामान्य बातें हैं ?

श्री बुरागोहिन : एक मामले में तो इमारत बन रही है और अभी तक पूरी बन कर तय्यार नहीं हुई, और यह त्रुटि कमजोर नींव के कारण थी क्योंकि यह सुधार की गई जमीन पर बनाई गई थी । इस पर २,००० रुपये व्यय कर के इसे मज़बूत बना दिया गया है । दूसरे मामले में उस दरार की जांच की जा रही है । किसी भी समय इस में प्लास्टर लगाकर इसे भरा जा सकता है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह सूचना चीफ़ इंजीनियर की रिपोर्ट पर आधारित है ?

श्री बुरागोहिन : जी हां, यह सूचना एडिश्नल चीफ़ इंजीनियर की रिपोर्ट पर आधारित है जो कि पूर्वी जोन के प्रभारी हैं।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इन्हीं के अधीक्षण में ये इमारतें बनाई गई थीं ?

श्री बुरागोहिन : ये इमारतें इसी एडिश्नल चीफ़ इंजीनियर के अधीक्षण में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर तथा एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियरों ने बनवाई थीं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या स्थान चुनने से पहिले इस बात की विशेषज्ञ सलाह और रिपोर्ट नहीं ली जाती कि ये स्थान इमारतों के लिये उपयुक्त हैं या नहीं, और यदि ऐसा है तो, बाद में ये त्रुटियां कैसे हुई ?

श्री बुरागोहिन : एक मामले में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने परीक्षण किया था जो कि सामान्य इंजीनियरिंग प्रथा के अनुसार है। किन्तु इस के प्रत्येक वर्ग फुट का परीक्षण नहीं किया गया था जो सामान्य इंजीनियरिंग को प्रथा के अनुसार फिजूल खर्च और महंगा समझा जाता है।

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार को मालूम है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की यह इमारत एक सीधी लाइन में भी नहीं है और इस में कई स्थानों से पानी चूता है ?

श्री बुरागोहिन : मैरीन इंजीनियरिंग कॉलेज अभी पूरा नहीं बना, यह अभी बन रहा है।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो कलकत्ते के मैरीन इंजीनियरिंग कालेज को बिल्डिंग में क्रैक्स हुए हैं उन की जांच के लिये उन्हीं इंजीनियरों को भेजा जायेगा जिन के सुपर्वीजन में बिल्डिंग बनाई गयी है या दूसरे इंजीनियर या निष्पक्ष आदमी जांच के लिये भेजे जायेंगे ?

श्री बुरागोहिन : इस विशेष मामले में हमारे लिये उस भूमि का चुनाव पश्चिमी बंगाल सरकार ने किया था जिस ने हमें यह जमीन मुफ्त दी थी, और इस स्थान के चुनने से पूर्व मैं समझता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय ने इस स्थान का निरीक्षण करवाया और उस भेंट को स्वीकार कर लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्हों ने यह पूछा कि जिस व्यक्ति, अर्थात् असिस्टेंट चीफ़ इंजीनियर अथवा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने इस इमारत को बनवाया उसी व्यक्ति को इन दरारों की जांच करने तथा उन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये क्यों नियुक्त किया जाय तथा किसी निष्पक्ष तथा उच्च अधिकारी को क्यों नहीं नियुक्त करना चाहिये। मैं समझता हूं उनका यही प्रश्न था।

श्री बुरागोहिन : इन दोनों इमारतों में अलग अलग सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे। एक में तो एक और अधिकारी था तथा दूसरे मामले में दूसरा अधिकारी था। और दोनों इमारतों के लिये एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं।

श्री बादशाह गुप्त : इन इमारतों में त्रुटियों के लिये कौन उत्तरदायी है और इस मरम्मत का खर्च कौन देगा ?

श्री बुरागोहिन : एडिश्नल चीफ़ इंजीनियर के अनुसार इस के लिये कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है। उन का यह विचार है कि यदि इमारत का यह नक्शा उपयुक्त नहीं समझा जाता तो वह उसी प्रकार की हमारी अन्य इमारतों के नक्शे में परिवर्त्तन कर सकते हैं।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को ठेकेदारों की सरकारी अधिकारियों को कुछ

प्रतिशत रकम देने की प्रथा के बारे में मालूम है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात इस से पैदा नहीं होती ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि इन दरारों के कारण कितनी आर्थिक हानि होगी ?

श्री बुरागोहिन : जैसा कि मैं ने पहिले बताया एक मामले में दरारों की मरम्मत में २,००० रुपये खर्च हुए । दूसरी दरार की अभी मरम्मत नहीं हुई है ।

तिलैय्या बांध क्षत्र में इमारतें

*१८४७. **श्री एन० पी० सिन्हा :** (क) **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तिलैया बांध क्षेत्र के बहुत से बंगलों तथा मकानों का क्या इस्तैमाल किया जायगा ?

(ख) क्या वे बेच दिये जायेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) यह मामला दामोदर घाटी निगम के विचाराधीन है जो कि तिलैया जल-विद्युत योजना की देखभाल तथा संचालन कार्य करने के लिये आवश्यक स्थायी कर्मचारी वर्ग के लिये कैम्प के एक थोड़े से भाग को सुरक्षित रखेगा ।

(ख) जी हां ।

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि जिन मकानों का कोई इस्तैमाल नहीं किया जायगा क्या उन में शरणार्थियों को फिर से बसाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री हाथी : बिहार सरकार से अभी इस बात के लिये कहा जाना है। हम नहीं जानते कि बिहार सरकार उन का क्या इस्तैमाल करेगी ।

श्री एन० पी० सिन्हा : प्रश्न के भाग (ख) से उत्पन्न होने वाली बात के सम्बन्ध में, मैं जान सकता हूं कि उन्हें कैसे बेचा जायगा—नीलामी द्वारा अथवा टेंडर मांग कर ?

श्री हाथी : यदि बिहार सरकार को उन की आवश्यकता नहीं तो उन्हें नीलाम कर के बेच दिया जायगा अथवा ऐसे तरीके से बेच दिया जायगा जो सब से अधिक लाभप्रद होगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन बंगलों में और इन मकानों में कितना रुपया लगा ?

श्री हाथी : लगभग ६,६०,००० रुपये ।

भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स

*१८४८. **श्री तिमैय्या :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य के भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में कच्चे लोहे तथा इस्पात का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य कितना है ?

(ख) क्या प्रत्येक वर्ष उस लक्ष्य तक उत्पादन हो जाता है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १५]**

श्री तिमैय्या : रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस्पात के पिण्डों (इंगोट्स) का कम उत्पादन कच्चे लोहे की सीमित उपलब्धता के कारण है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कच्चे लोहे की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिस से इस्पात के पिण्डों के उत्पादन में वृद्धि हो सके ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस में वृद्धि करने का हमारा एक कार्यक्रम है । इसे मंजूर कर लिया गया है । इस से इस्पात के उत्पादन में १००,००० टनों तक की वृद्धि हो

जायगी। कच्चे लोहे की उपलब्धता में वृद्धि करने का प्रश्न उस योजना का एक भाग है।

श्री बासप्पा : इस्पात उत्पादन के लक्ष्य में वृद्धि करने के मामले में केन्द्रीय सरकार मैसूर सरकार को क्या सहायता देती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक लम्बी बात है। जैसा कि मैं ने कहा कि मैसूर सरकार की एक विस्तार योजना है जिस में ६७० लाख रुपये खर्च होंगे जिस में से लगभग २५५ लाख रुपये तो पहिले ही खर्च कर दिये गये हैं, और भारत सरकार ने उस सरकार को आर्थिक सहायता देने का वचन दिया है। मैसूर सरकार के विस्तार कार्यक्रम के लिये १९५१–५२ के लिये ४० लाख रुपये का ऋण, और १९५२–५३ में २७ लाख रुपये का ऋण देना मंजूर किया गया है। चालू वर्ष में १०० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है, किन्तु अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

श्री बासप्पा : मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में मैसूर सरकार ने क्या सहायता मांगी थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ठीक तरह से नहीं बता सकता। यह तो आपस की बातचीत का मामला है, और हम ने उसे कुछ सहायता देने का निश्चय किया है। और जो सहायता भारत सरकार देने के लिये तय्यार है उसे मैं पहिले ही बता चुका हूं।

भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को ऋण अथवा अनुदान

*१८४९. **श्री तिमैय्या : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को प्रति वर्ष दिया जाने वाला ऋण अथवा अनुदान कितना है और क्या यह नियमित रूप से दिया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): १९५१–५२ में ४० लाख रुपयों का ऋण तथा १९५२-५३ में २७ लाख रुपयों का ऋण दिया गया था इस कारखाने को और अधिक आर्थिक सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री तिमैय्या : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस ने कितनी सहायता मांगी और इसे कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह ठीक तरह से नहीं बता सकता कि इस ने कितनी सहायता मांगी है, क्यों कि जैसा कि मैं ने कहा, यह आपस की बातचीत का मामला है। हमें एक जगह बैठ कर आपस में इन बातों पर विचार करना पड़ता है। कुल लागत ६,७०,००,००० रुपयों के लगभग है। यह अनुमानित लागत है। भारत सरकार ने पहिले ही ६७ लाख रुपये दे दिये हैं और १०० लाख रुपयों की व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कुछ और प्रस्ताव रखे हैं। एक अन्य इस्पात प्लांट के लिये विश्व बैंक से ऋण लेने के सम्बन्ध में यहां जो एक विशेषज्ञ आया था उस से इस कारखाने का निरीक्षण करने के लिये कहा गया था और उस ने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं जिन्हें यदि मान लिया जाय तो इस से कुल लागत में काफी कमी हो जायगी। भारत सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि कुछ योजनाओं को फिलहाल छोड़ा जा सकता है। ये आपस की बातचीत के मामले हैं। यह मैं ठीक तरह से नहीं बता सकता कि उस सरकार ने कितनी सहायता मांगी है तथा हम उसे कितनी सहायता देते हैं।

श्री बासप्पा : अन्य नये प्लांटों को बढ़ावा देने की अपेक्षा क्या वर्तमान सरकारी प्लांट को अधिक सहायता देना वांछनीय नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में यह सम्मति का विषय है किन्तु हम इस प्लांट

को सभी सम्भव सहायता देने को तय्यार हैं। यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि इस समय यह प्लांट बहुत ही अलाभप्रद रूप में चल रहा है और प्लांट के कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में कुछ परिवर्त्तन किये गये हैं जिस से कि यह अधिक लाभप्रद रूप में चल सके। दूसरी बात यह है कि इस प्लांट के सम्बन्ध में कुछ स्वाभाविक कठिनाइयां हैं जो उन अन्य नये प्लांटों के सम्बन्ध में नहीं होंगी जिन का हम विचार कर रहे हैं।

लक्कावल्ली योजना

*१८५०. **श्री एन० राचय्या :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर सरकार ने क्या केन्द्रीय सरकार से इस बात की प्रार्थना की थी कि लक्कावल्ली योजना को या तो केन्द्रीय योजना समझा जाए नहीं तो उस योजना की पूर्ति के लिए वैत्तिक सहायता दी जाए। इस योजना से १७००० हार्स पावर बिजली मिल सकेगी तथा मैसूर राज्य के ३ ज़िलों की १८०,००० एकड़ सूखी भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार की प्रार्थना पर ध्यान-पूर्वक विचार किया था परन्तु यह मालूम पड़ा कि ऐसी योजना के लिए द्रव्य प्राप्त न हो सकेगा जिस से १९५७ तक विशेष लाभ प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है।

कोसी योजना का आपरीक्षण

*१८५१. **श्री एस० एन० दास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बेल्का बांध (कोसी योजना) की नींव की जांच मृदा आपरीक्षण, निर्माण सामग्री का आपरीक्षण तथा हाइड्रोग्राफिकल आपरीक्षण की विस्तृत डिज़ाईन बना ली गई हैं तथा क्या वे स्वीकार कर ली गई हैं ?

(ख) क्या जांच का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) इस पर लगभग कितना व्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नींव की जांच, मृदा आपरीक्षण, निर्माण सामग्री का आपरीक्षण और हाईड्रोग्राफिकल आपरीक्षण करने का विस्तृत अनुमान लगा लिया गया है तथा वह मंजूर कर लिया गया है। इन कामों के लिए कोई डिज़ाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(ख) जी हां। १९५१ में जांच का कार्य आरम्भ हो गया था।

(ग) इस कार्य की लागत का अनुमान ९२,००० रुपए है।

श्री एस० एन० दास : ये जांच कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री हाथी : लगभग जुलाई १९५३ तक।

श्री एस० एन० दास : बाल्का बांध की योजना रिपोर्ट कब तक पूरी तथा तैयार हो जाएगी ?

श्री हाथी : बाल्का बांध की डिज़ाईन बनाई जा रही हैं। सम्भव है वे जून १९५३ तक पूरी हो जाएगी। डिज़ाईनों के तैयार होने पर योजना की लागत का अनुमान लगाया जा सकेगा।

श्री एस० एन० दास : इस वर्ष इस के लिए कितना व्यय होगा ?

श्री हाथी : सकल अनुमानित व्यय ९२,००० रुपए हैं।

पारपत्र कार्यालय

***१८५४. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पारपत्र पद्धति के आरम्भ होने से अब तक कितने भारत-पाकिस्तान पारपत्र सम्मेलन हुए हैं;

(ख) क्या हाल ही में किसी भारत-पाकिस्तान पारपत्र सम्मेलन में प्रत्येक देश में खोले जाने वाले पारपत्र कार्यालयों की संख्या के सम्बन्ध में कोई निश्चय हुआ था;

(ग) क्या शिलांग में पारपत्र कार्यालय खोलने का निश्चय किया गया था ? वह अभी तक नहीं खोला गया;

(घ) यदि हां तो उस का क्या कारण है ? वहां कायलिय कब तक खुल जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) एक ।

(ख) से (घ) ब्रांच वीसा आफिस खोलने का सम्मेलन में अस्थायी निश्चय हुआ था परन्तु वह दोनों सरकारों के अनु-समर्थन के अधीन था । इस की बातें अभी नहीं बताई जा सकतीं । अनुसमर्थन होने तक यह बताना संभव नहीं है कि ब्रांच वीसा कार्यालय कब तक खोले जायेंगे ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सत्य है कि आसम के १०,००० भारतीय किसान जिन की भूमि पाकिस्तान में है वे पारपत्र पद्धति के कारण अपनी भूमि नहीं जोत सके हैं ? यदि हां तो क्या उन किसानों के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे मालूम नहीं है । जहां तक मैं सोचता हूं इस प्रश्न से उस का कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं ने उस विषय की जांच नहीं की है । उस विषय पर मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या यह सम्भव है कि सारी पारपत्र पद्धति समाप्त कर दी जाएगी अथवा इस समय वह प्रश्न उठाया जाएगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं । उस की संभावना अवश्य है । वास्तव में पारपत्र और वीसा देने के विषय में काफ़ी सुधार हो गया है । उसे समाप्त करने का प्रश्न अभी नहीं उठा है और शायद न उठेगा क्योंकि सामान्य रूप से दो देशों में ये बातें होती ही हैं : हम सोच सकते हैं कि अंत में कोई वीसा नहीं रहेंगे । यह संभव है पर प्रवेश की पहचान के लिए पारपत्र रहेंगे ही ।

श्री रिशांग किशिंग : शिलांग में पारपत्र कार्यालय न होने से आसाम के बहुत से लोगों को बड़ी असुविधा और कठिनाई हुई है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह तथ्य है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : बात यह है कि शिलांग का नाम भी उन स्थानों में है जहां कार्यालय खोलने की चर्चा की जा रही है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार को मालूम है कि सीमान्त प्रदेश के कुछ खासी जिन की भूमि पाकिस्तान में थी वे पाकिस्तान चले गये हैं क्योंकि पारपत्र पाने में उन्हें कठि-नाई होती थी । यदि हां तो कितने परिवार प्रव्रजन कर चुके हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस ओर से पारपत्र मिलने की कठिनाई के कारण ?

श्री रिशांग किशिंग : इस ओर के कुछ खासी, जिन की भूमि पाकिस्तान में थी वे पाकिस्तान चले गए हैं क्योंकि खेती के लिए सीमा के पार जाने के लिए पारपत्र पाने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती थी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री क्या कह रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि भारत की ओर से पारपत्र पाने में कठिनाई होती है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि माननीय सदस्य और बातें बतलाएं तो मैं उस की जांच करूंगा ।

कार्यक्रम परीक्षण संगठन

*१८५५. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग के कार्यक्रम परीक्षण संगठन का जमाव क्या नाभा में होगा ?

(ख) प्रशिक्षण कितने दिन तक दिया जाएगा तथा कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे ?

(ग) यह संगठन स्वतन्त्र है अथवा सामुदायिक योजना प्रशासन के अधीन है ?

(घ) केन्द्र इस का कितना व्यय देगी तथा पंजाब सरकार कितना व्यय देगी ?

(ङ) देश के विभिन्न भागों में परीक्षण के लिए संगठन ने कितने केन्द्र चुने हैं ।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । कार्यक्रम परीक्षण संगठन ने नाभा में अपने अधिकारियों के लिए ओरिएन्टेशन तथा ट्रेनिंग सेमिनार किया था ।

(ख) सेमिनार ६ से १५ अप्रेल १९५३ तक हुआ था ।

नाभा के आस पास की सामुदायिक योजना, विकास खंड और प्रशिक्षणकेन्द्र दिखला देने के अतिरिक्त निम्नलिखित विषय भी पढ़ाए गए थे;

(१) सामुदायिक विकास कार्यक्रम—प्रयोजन और उद्देश्य ।

(२) प्रावैधिक तथा वित्तीय सहायता ।

(३) परीक्षण—क्षेत्र और प्रयोजन ।

(४) परीक्षण—संगठन और विधियां ।

(५) ग्राम अभिलेख ।

(६) वैयक्तिक भेंट—रचना तथा तरीका ।

(७) न्यादर्श आपरीक्षण ।

(८) विषय की सामग्री को इकट्ठा करना तथा उसे प्रस्तुत करना ।

(ग) कार्यक्रम परीक्षण संगठन सामुदायिक योजना प्रशासन से स्वतन्त्र है तथा योजना आयोग के सामान्य निरीक्षण में काम करता है ।

(घ) योजना आयोग की सामान्य सेवाओं के अंश को छोड़ इस का सारा व्यय फोर्ड फाउन्डेशन के अनुदान से प्राप्त होता है ।

(ङ) १९ ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्रशिक्षण योजनाओं के लिए किस आधार पर चुनाव होता है—जिलों के अनुसार या राज्यों के अनुसार ?

श्री हाथी : वह प्रशिक्षण योजना नहीं थी परन्तु परीक्षण कार्य तो प्रत्येक स्थान में होगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : चुनाव जिले के अनुसार . . . .

श्री हाथी : १९ केन्द्र जिले के अनुसार नहीं चुने गये हैं । वे दूसरे प्रकार से चुने गये हैं । भौगोलिक क्षेत्रों, जलवायु के क्षेत्रों तथा कुटीर उद्योगों वाले स्थानों आदि के आधार पर ये चुने गये हैं । कुल १९ केन्द्र चुने गये हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : मध्यप्रदेश में इस कार्य के लिये कितने केन्द्र चुने गये हैं ?

श्री हाथी : मध्यप्रदेश में एक है—अमरावती ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : इसके लिये विशेष रूप से नाभा ही क्यों चुना गया ?

श्री हाथी : वह केवल सेमिनार के लिये था परीक्षण के लिये नहीं ।

मेनिल्ला में व्यापार विस्तार सम्मेलन

*१८५८. **श्री एल० जे० सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, ऐशिया और सुदूरपूर्व के तत्वावधान में क्या एक व्यापार विस्तार सम्मेलन मार्च में मेनिल्ला में हुआ था ?

(ख) यदि हां तो किन सिपारिशों पर मेनिल्ला में प्रतिनिधि सहमत हो गये हैं ?

(ग) उन में से कितनी सिपारिशों पर विभिन्न राज्यों ने अमल किया है ?

(घ) ऐशिया के व्यापार के विस्तार पर प्रतिनिधियों ने किन प्रस्तावों को मान लिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) और (घ). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ग) हमारे पास सूचना नहीं है ।

श्री एल० जे० सिंह : विवरण के २०वें पद में लिखा है "वस्तु विनिमय के समझौतों को सर्वथा न भुला देना चाहिये अपितु उसकी संभावना की जांच करनी चाहिये ।" क्या यह सत्य है कि वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पर रूस ने भारत और दक्षिण पूर्व ऐशिया तथा सुदूरपूर्व के अल्पविकसित देशों को माल भेजना स्वीकार किया थां ? यदि हां तो इस प्रस्ताव पर भारत कहां तक सहमत है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि रूस का यह सामान्य सुझाव था ।

श्री एल० जे० सिंह : पद ३ में लिखा है–"क्षेत्र के देशों द्वारा भराए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों को जारी रखना तथा सबल बनाना।" क्या मैं जान सकता हू कि १९५२-५३ में कितने अन्तर्राष्ट्रीय मेले भरे गये थे । किन किन देशों में ये मेले भरे गये थे ।

श्री करमरकर : मेलों के विषय में मुझे सूचना चाहिये। क्षेत्र के विषय में––यह सम्मेलन डेढ़ महीने पहले हुआ था ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तथा सुदूरपूर्व के देशों को फ्रांस ने व्यापारिक सहूलियतें देना स्वीकार किया था । वे सहूलियतें क्या हैं ?

श्री करमरकर : प्रत्येक देश ने सामान्य प्रस्ताव किये थे । स्थूल रूप से सूचना के सामान्य विनिमय के लिये ही सम्मेलन किया गया था । सम्मेलन का यह उद्देश्य नहीं था कि उसमें द्विपार्श्वीय अथवा बहुपार्श्वीय समझौते किये जायें । अतएव मेरे मित्र समझ जायेंगे कि समस्त क्षेत्र के व्यापार के विस्तार के विषय में समझौते की सामान्य बातों की खोज करने के लिये ही सम्मेलन हुआ था ।

श्री के० के० बसु : इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव किये गये थे तथा जो इच्छाएं प्रकट की गई थीं उन को मूर्त रूप देने के लिये सरकार ने क्या कोई ठोस कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : उचित समय पर तथा उचित प्रकार से, जी हां ।

कोयला बोर्ड

*१८५९. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री कोयला बोर्ड के सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) भारतीय कोलरी ओनर्स एसोसियेशन के कितन प्रतिनिधि बोर्ड में हैं ?

(ग) कितनी राशि खर्च करना बोर्ड के अधिकार में है ?

(घ) बोर्ड पर सरकार का क्या नियंत्रण रहता है ?

(ङ) बोर्ड की कार्यवाहियां किस तरह से संसद के ध्यान में लाई जाती हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दूबे) : (क) अपेक्षित सूचना एक विवरण में दी गई है। वह सदन पटल पर रखा गया है।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) वार्षिक लगभग ८५ लाख।

(घ) सरकार मुख्यतया ३ प्रकार से नियंत्रण रखती है।

आयव्ययक सम्बन्धी :—बोर्ड का आयव्ययक विनियोग लेखे के अधीन कर दिया गया है तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोर्ड के लेखे की परीक्षा करता है।

वित्तीय : निम्नलिखित मामलों में बोर्ड को सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है :—

(१) उन पदों पर नियुक्ति करना जिन का वेतन ५०० रुपये प्रति मास से अधिक हो।

(२) ऐसे संरक्षण कार्य जिन में (प्रत्येक में) १ लाख से अधिक व्यय करना पड़े।

(३) प्रत्येक मामले में १०,००० से अधिक होने वाला अप्रत्यावर्ती व्यय।

सामान्य : केन्द्रीय सरकार बोर्ड के किसी भी विनिश्चय का पुनर्विलोकन कर सकती है

(ङ) कोयला बोर्ड के आयव्ययक को संसद स्वीकार करती है। बोर्ड का आयव्ययक भी संसद के सामने रखा जायगा।

विवरण

कोयला बोड सदस्

श्री आर० के० रामध्यांनो—	कोल कमिश्नर	सभापति
श्री एन० बरालको—	खदानों के मुख्य निरीक्षक	सदस्य
श्री एल० एस० कारबेट—	मुख्य खदान इंजीनियर (रेलवे बोर्ड)। डिप्टी कोल कमिश्नर (उत्पादन)	सदस्य
श्री ए० बी० गुहा—	कोयले की खदानों की अधीक्षक— सदस्य-सचिव	सदस्य
श्री एम० एल० शोम—	डिप्टी कोल कमिश्नर (वितरण)	सदस्य

श्री के० सी० सोधिया : क्या बोर्ड की कार्यवाहियों का प्रभाव कोयला खानों के मालिकों पर पड़ता है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी नहीं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या बोर्ड द्वारा किन्ही अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है या की जाने की संभावना है, जैसे कोयला धोने तथा कोयले को परिष्कृत करने तथा सुधारन के सम्बन्ध में परामर्श

देना ? यदि हां तो क्या बोर्ड या बोर्ड के अधीन कार्य करने वाली समितियों की रचना के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किये जाने की प्रस्थापना है ?

श्री आर० जी० दुबे : फिलहाल तो कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। मंत्रणा समितियों का औपचारिक रूप से नियमन किया जाना होगा। इस समय तो कतिपय समितियां अनौपचारिक रूप से कार्य कर रही हैं। कोयला खान संरक्षण अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत मंत्रणा समितियों के स्थापित किये जाने का उपबन्ध है। उन मंत्रणा समितियों के तीन कृत्य होंगे : खान में से कोयला निकालने, धाक लगाने (स्टोइंग) तथा गवेषणा कार्य करने के सम्बंध में टैक्निकल परामर्श देना।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार यह कह सकती है कि बोर्ड की कार्यवाहियों का कोयला खानों के मालिकों पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता ?

श्री आर० जी० दुबे : जी नहीं : मेरी समझ में तो नहीं पड़ता।

श्री के० सी० सोधिया : क्या कोयला बोर्ड कोयले के सम्बन्ध में कार्य नहीं करता ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करता जिस से नुकसान पहुचता हो।

श्री के० के० बसु : क्या भारतीय मालिकों वाली कोयला खानों के हितों का किसी रूप में प्रतिनिधित्व है तथा यदि है, तो कितना ?

श्री आर० जी० दुबे : जैसा कि मैं ने अभी बतलाया, इस 'स्टोइंग मंत्रणा समिति' में कोयला उद्योग के, जिस में भारतीय कोयला खान मालिक संघ भी शामिल है, प्रतिनिधि होते हैं।

सरकारी प्रकाशन

*१८६१. **श्री मादिया गौडा :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार अपने प्रकाशनों का मूल्य किस आधार पर निश्चित करती है; तथा

(ख) क्या वे सस्ते दामों पर भी बेचे जा सकते हैं जिस से कि अधिक लोग उन्हें खरीद सकें ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) किसी प्रकाशन का मूल्य निश्चित करने के लिये उस की लागत तथा ६० प्रतिशत आनुषंगिक व्यय को, जिस में लाभ शामिल नहीं है, आधार माना जाता है।

(ख) नियमों के अन्तर्गत मूल्य कम भी निश्चित किया जा सकता है, परन्तु ऐसा करने के लिये पर्याप्त जनोपयोगी आधार होने चाहियें।

श्री मादिया गौडा : क्या यह सच नहीं है कि बहुत से प्रकाशन महंगे होने की वजह से बिक नहीं रहे हैं और इसलिये उन्हें रद्दी में पटकना पड़ा है ?

श्री बुरागोहिन : मुझे तो ऐसी कोई बात पता नहीं है, हां, यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी है और यदि वह उसे मेरी सूचना में लायें, तो मैं मामले की जांच करूंगा।

श्री मादिया गौडा : क्या 'पंचवर्षीय योजना', 'भारत का संविधान' आदि प्रकाशन बहुत सस्ते कर दिये जायेंगे ताकि सब लोग उन्हें खरीद सकें ?

श्री बुरागोहिन : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है। स्पष्ट है कि किसी प्रकाशन की छापे जाने की संख्या और उसकी अनुमानित बिक्री तथा कीमत आपस में एक दूसरे पर

निर्भर है। जितनी अधिक संख्या में वह छपेगा, उतनी ही कम लागत बैठेगी।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि बहुत से लोगों को 'पंचवर्षीय योजना' की प्रति प्राप्त नहीं हो सक रही है ?

श्री बुरागोहिन : किसी प्रकाशन विशेष के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये तो मुझे सूचना चाहिये।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार का इरादा 'पंचवर्षीय योजना' के मूल्य में कमी करने का है ताकि यह अधिक लोकप्रिय बन सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो पहले ही पूछा जा चुका है जिस के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है। अगला प्रश्न।

घड़ियों, फाउन्टेन पैनों और चश्मों का आयात

*१८६२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२-५३ में दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से घड़ियों, फ़ाउटेन पैनों और चश्मों का आयात करने में कितने डालर खर्च हुए; तथा

(ख) डालर बचाने के साधारण हितों को ध्यान में रखते हुए इन वस्तुओं का इन दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से आयात-न कर के उन्हें अन्य क्षेत्रों से मंगाने की कितनी गुंजाइश है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(ख) चालू आयात नीति के अन्तर्गत घड़ियों, फ़ाउन्टेन पैनों और चश्मे के फ़्रेमों के डालर क्षेत्रों से आयात किये जाने की अनुमति नहीं है। केवल चश्मे के लेंसों का आयात पहले से चले आ रहे आयातकों को २० प्रतिशत कोटा के आधार पर करने दिया जाता है।

विवरण

१९५२ तथा १९५३ (जनवरी-फरवरी) में डालर क्षेत्रों से किये गये आयात का मूल्य

मद	जनवरी-दिसम्बर १९५२ रुपये	जनवरी-फरवरी १९५३ रुपये
घड़ियां	३६,०००	५,०००
फ़ाउन्टेन पैन	२५,०००	२,०००
चश्मे	(पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं)।	

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि इन फ़ाउन्टेन पैनों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे देश में प्रचलित मूल्य से काफ़ी कम लागत पर किया जाता है, जिस के परिणाम स्वरूप लोग उन फ़ाउन्टेन पैनों और घड़ियों आदि को वहां काफ़ी सस्ते दामों पर खरीद कर चोरी छिपे भारत ले आते हैं ? क्या सरकार ने इस बात को रोकने के लिये किसी प्रस्थापन पर विचार किया है ?

श्री करमरकर : सरकार जानती है कि चोरी छिपे माल लाने वाले दूसरी जगहों से सस्ते दामों पर चीज़ खरीद के भारत ले आते हैं। वह इस बात को रोकने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : सरकार इन वस्तुओं का मूल्य घटाने के लिये क्या पग उठायेगी जिस से कि वे इस देश में भी उतनी ही कीमत पर प्राप्त हो सकें जितनी पर कि वे अन्य देशों में मिलती हैं ?

श्री करमरकर : फिर भी चोरी छिपे माल लाने वाले तो और अधिक कम मूल्य पर खरीद कर लायेंगे ही।

श्री एम० एल० द्विवेदी : सरकार ने इस के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : कोई कार्यवाही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न; १८६४।

एक माननीय सदस्य : १८६३, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो १४ मई को खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया है।

खड्डियों द्वारा तैयार किये गये माल को बेचने के लिये दुकानें (एम्पोरियम)

*१८६४. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय खड्डियों द्वारा तैयार किये गये माल को बेचने के लिये विदेशों में दुकानें (एम्पोरियम) खोलने की योजना बना ली गई है ?

(ख) इस सिलसिले में बनाये गये खड्डी निदेशालय का क्या कृत्य है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां; अखिल भारतीय खड्डी बोर्ड ने भारतीय खड्डियों द्वारा तैयार किये गये माल को बेचने के लिये मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में दुकानें (एम्पोरियम) खोलने की एक योजना मंजूर की है।

(ख) खड्डी निदेशालय राज्य सरकार की सहकारिता से चल रहे खड्डी उद्योग के विकास सम्बन्धी योजनाओं को सहायता देने के लिये बनाया गया है। उक्त योजनाएं निर्यात बाजारों के प्रसार में भी सहायता करेंगी।

श्री मुनिस्वामी : ये दुकानें किन किन देशों में खोली गई हैं ? इन योजनाओं से हमारे देश के खड्डी उद्योग की वर्तमान अवस्था म कहां तक सुधार होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय सुझाव यह है कि सिंगापुर, कोलम्बो, बंगकौक, रंगून, चिंटगांव, कराची तथा अदन में ऐसी दुकानें खोली जायें। मैं यह नहीं कह सकता कि इन से उद्योग को कितनी सहायता मिलेगी। इन का उद्देश्य आंशिक रूप से इस का प्रचार करना तथा आंशिक रूप से लोगों को खड्डी उत्पाद उपलब्ध करना है। जिस से कि वे लोकप्रिय हो सकें। हम तो सब बातों में अच्छी ही आशा लगाये बैठे हैं।

श्री मुनिस्वामी : क्या कोई ऐसा साधन भी है जिस से यह पता लग सके कि यह प्रयत्न किस सीमा तक सफल रहा है ? क्या सरकार किन्हीं रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी तो योजनाएं बनाई जा रही हैं। जब वे कार्य रूप में परिणत की जायेंगी तो उनका मूल्य आंका जा सकेगा। इस समय उन के परिणामों का अनुमान लगाना समय से पहले की बात होगी।

श्री बी० एस० मूर्ति : एक दुकान चलाने का अनुमानित खर्चा कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में यह खर्चा अभी तक फैलाया ही नहीं गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री के० के० बसु : एक प्रश्न, श्रीमान्

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न के लिये पहले ही पुकार चुका हूं।

राजघाट पर गांधी स्मारक

*१८६५. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजघाट पर गांधी स्मारक बनाने के लिये सरकार के पास अब तक कितने नक्शे पहुंचे हैं ?

(ख) सरकार इस मद पर कितना व्यय करना चाहती है ?

(ग) क्या सरकार नक्शा स्वीकार करने से पहले उस पर लोकमत तथा सुझाव प्राप्त करने के लिये लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) राजघाट पर महात्मा गांधी के स्मारक के लिये अनेक सुझावों के अलावा लगभग एक दर्जन डिज़ायन भी प्राप्त हुए हैं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भी पांच डिज़ायन तैयार किये हैं ।

(ख) यह तो इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्त में कौन सा डिज़ायन पसन्द किया जाता है ।

(ग) इस विषय में सरकार को बहुत कुछ सहायता गांधी स्मारक डिज़ायन समिति से मिलेगी जो कि एक डिज़ायन पसन्द करने के लिये बनाई गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का घंटा समाप्त हुआ । अब कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

इलाहाबाद-गोरखपुर पैसेंजर गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना

डा० राम सुभग सिंह : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २५ अप्रैल, १९५३ को पूर्वोत्तर रेलवे की ३७४ डाउन गोरखपुर-इलाहाबाद पैसेंजर गाड़ी सारनाथ और कादीपुर स्टेशनों के बीच पटरी पर से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गाड़ी के पटरी पर से उतर जाने के क्या कारण थे; तथा

(ग) कितने यात्री हताहत हुए ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । २५ अप्रैल, १९५३ को लगभग १०-४५ बजे ३७४ डाउन पैसेंजर गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के सारनाथ और कादीपुर स्टेशनों के बीच पटरी पर से उतर गई थी ।

(ख) रेलवे के सरकारी निरीक्षक ने इस दुर्घटना की जांच की है और उस की कार्यनिर्वाहक उपपत्ति यह है कि उक्त दुर्घटना मील ११८।१३ पर 'फ़िश-प्लेटों' में तेल तथा ग्रीज़ देने के लिये नियुक्त कर्मचारियों की ग़लती के कारण हुई ।

(ग) ३ यात्रियों की मृत्यु हुई और ३ को बहुत ज़्यादा व ३२ को साधारण चोट आई ।

डा० राम सुभग सिंह : वहां मरम्मत का काम दुर्घटना होने के कितने पहले किया गया था और क्या काम की देखभाल करने के लिये वहां कोई निरीक्षण-कर्मचारी तैनात थे ?

श्री अलगेशन : एक दूसरे रास्ते से रेलों का आना जाना दुर्घटना के अगले दिन यानी २६ तारीख को चालू हो गया था ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या वहां पर लाल झंडी या लाल लालटैन या कोई अन्य सिगनल देने का इन्तज़ाम था जहां पर कि यह रिपेयर हो रही थी ? क्या आने वाली ट्रेन को सूचना देने का कोई इन्तज़ाम था ?

डा० राम सुभग सिंह : क्या वहां कोई लाल 'सिगनल' था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न मैं ने भी उस वक्त पूछा था जब कि मैं उस तरफ उसे देखने के लिये गया था । लेकिन कायदे कानून के मुताबिक जब यह आइलिंग या ग्रीज़िंग का काम होता है तो लाल झंडी या लाल लालटैन नहीं

लगाई जाती है । लेकिन जब कोई रेल वगैरह के बदलने की बात होती है तब वह उसे लगाते हैं । इसलिये ऐसा करना कायदे के हिसाब से ज़रूरी नहीं था ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या आपको मालूम है कि जहां पर कि यह घटना हुई है वहां पर लाल झंडी पाई गई थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल : यदि कायदे और कानून के मुताबिक लाल झंडी लगाने की व्यवस्था नहीं है तो क्या अब इस एक्सीडेंट के बाद सरकार इस बात के लिये तैयार होगी कि इस कानून में रद्दोबदल की जाय ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह तो आप की राय है कि ऐसा होना चाहिये हम इस पर गौर करेंगे । लेकिन आप की राय को मान लेना बहुत आसान नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : अभी उपमंत्री साहब ने कहा था कि स्टाफ़ की ग़लती के कारण यह दुर्घटना हुई । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी गलती है और उस पर गवर्नमेंट क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री अलगेशन : यह बात तो उत्तर में बतलाई जा चुकी है, श्रीमान् ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या आप यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो गेंग वहां पर काम कर रहा था दुर्घटना के समय उनमें से वहां पर कोई नहीं था, वह सब एक गांव में चले गये थे ?

श्री एल० बी० शास्त्री : नहीं यह बात गलत है । वहां पर आदमी मौजूद थे और उस मौके पर चार गैंगमैन पकड़े गये ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या वह भाग गये थे ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कुछ लोग घबराहट से वहां से जाने लगे, उस वक्त पकड़े गये ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या आइलिंग और ग्रीज़िंग के वक्त फ़िश-प्लेट्स के नट और बोल्ट ढीले कर दिये जाते हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, आइलिंग और ग्रीज़िज के वक्त फ़िश-प्लेट्स के नट और बोल्ट निकाल दिये जाते हैं । लेकिन एक एक निकाला जाता है, पहले एक, फिर उस के बाद दूसरा और फिर तीसरा और उस के बाद चौथा । इस प्रकार निकालने का नियम है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : जब फ़िश-प्लेट्स के बोल्ट खोले जाते हैं क्या उस वक्त लाल झंडी लगाना ज़रूरी नहीं है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं । वह काम बहुत छोटा है और उस में लाल झंडी लगाने का नियम तो नहीं है । लिहाज़ा वहां नहीं लगी थी । मगर हम इस पर विचार करेंगे कि ऐसे मौके पर लगायें या नहीं क्योंकि ऐसा करने से अक्सर ट्रेन की स्पीड में दिक्कत पड़ती है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या वह ऐक्सीडेंट किसी मज़दूर की ग़लती से हो गया है जिस ने फ़िश-प्लेट्स के नट्स और बोल्ट्स को ढीला छोड़ दिया ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, यही तो इसके जवाब में कहा गया है कि उनकी गलती थी कि उन्होंने एक दम चारों नट निकाल दिये जब कि कायदे के मुताबिक उन को एक एक निकालना चाहिये था । उन्होंने इस बात का अन्दाज़ा नहीं किया कि ट्रेन आने का टाइम है और लिहाज़ा उन्होंने सब बोल्ट निकाल दिये जो यह ऐक्सीडेंट हुआ यह उन की गलती से हुआ और वह पासीक्यूट किये जा रहे हैं ।

कई माननीय सदस्य उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत कुछ पूछा जा चुका है । अब सदन ....

बाबू रामनारायण सिंह : एक प्रश्न, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत देर में बोले ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सुपारी का आयात

*१८३५. **श्री पी० टी० चाको** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२ में भारत में सुपारी का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो आयात की गई मात्रा और वे देश जहां से वह आयात की गई; तथा

(ग) भारत में प्रति वर्ष उत्पादित सुपारी की मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ग) लगभग २२ लाख मन ।

औषधि निर्माण उद्योग जांच समिति

*१८४४. **डा० अमीन** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देश औषधि निर्माण उद्योग के बारे में जांच करने के लिये बनाई गई औषधि निर्माण उद्योग जांच समिति के प्रत्येक सदस्य की योग्यतायें और अनुभव;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस समिति के बनाने से पहले औषधि निर्माताओं से सलाह नहीं ली गई थी;

(ग) क्या समिति में भारतीय औषधि निर्माण उद्योग के कोई प्रतिनिधि हैं; यदि नहीं तो इस के कारण; तथा

(घ) क्या सरकार इस समिति के कार्य में कुछ संसद्-सदस्यों से सहयोग लेने का विचार करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण जिस में समिति के सदस्यों के नाम दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १८]**. सरकार समझती है कि इस के सदस्य आवश्यक योग्यतायें रखते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं । सरकार की राय में न तो यह आवश्यक है और न ही वांछनीय ।

(घ) जी नहीं ।

कोयला

*१८५२. **श्री एच० एस० प्रसाद** : **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खानों में कोयला कब तक मिलते रहने की आशा है और इस समय कोयले की खपत किस हिसाब से हो रही है;

(ख) भारत में प्रति वर्ष कितने टन कोयले की खपत होती है; तथा

(ग) १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ में उस के निर्यात की मात्रा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हमारे कोयले की वर्तमान मात्रा का अनुमान निश्चित नहीं रहता; कोयले की नई खानें भी मिल सकती हैं । कोयले की खपत भी बदलती रहती है और यह बतलाना संभव नहीं कि किसी निश्चित काल में क्या खपत होगी । अतः इस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि हमारी खानों में कोयला कब तक चलेगा । हां, मोटे तौर पर यह कह

जा सकता है कि वर्तमान मात्रा देश की ५०० से ६५० वर्षों तक की ज़रूरतों के लिये काफ़ी है। इस समय खपत लगभग ३१० लाख टन प्रति वर्ष है।

(ख) तथा (ग) . दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १९]**

गडीकोटा परियोजना

*१८५३. **श्री ईश्वर रेड्डी** : (क) **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रकाशन के बाद क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान गंडीकोटा परियोजना के पंच वर्षीय योजना में शामिल न किये जाने की ओर (जिस के बारे में उस ने बहुत समय पूर्व सिफ़ारिश की थी) दिलाया है और केन्द्र से उक्त परियोजना के बारे में पुनःविचार कर के पंच वर्षीय योजना में शामिल करने या परियोजना का काम पृथक रूप से हाथ में लेने के उद्देश्य से अनुदान मांगने के लिये कहा है ?

(ख) यदि ऐसा है तो मद्रास सरकार के उक्त प्रस्तावों पर भारत सरकार का फैसला क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पंच वर्षीय योजना के प्रकाशन के बाद मद्रास सरकार से गंडीकोटा परियोजना के बारे में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दस तकुओं वाली कातने की मशीन

*१८५६. **श्री एस० वी० रामास्वामी** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बम्बई में दस तकुओं वाली कातने की एक मशीन है जो एक दिन में दो पौंड सूत बना सकती है ?

(ख) उस का मूल्य कितना है ?

(ग) क्या वह बम्बई में बनी है या जापान से आयात की गई है ?

(घ) क्या ऐसी मशीनों को बड़े पैमाने पर बनाने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

(ङ) क्या सरकार इसे लोकप्रिय बनान के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, सरकार को ऐसी सूचना दी गई है।

(ख) लगभग २,००० रुपये।

(ग) बम्बई में।

(घ) तथा (ङ). पता चला है कि बम्बई सरकार मशीन के बारे में परीक्षण कर रही है। इस को बड़े पैमाने पर तैयार करना और लोकप्रिय बनाना परीक्षण के नतीजों पर निर्भर होगा। जब तक मशीन का मूल्य काफ़ी कम नहीं किया जाता या उस का उत्पादन काफ़ी बढ़ाया नहीं जाता तब तक उस को लोकप्रिय बनाने की संभावना प्रतीत नहीं होती।

मोटर टायरों के दाम

*१८५७. **श्री एस० वी० रामास्वामी** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इस समय मोटर टायरों के दाम युद्ध से पहले के दामों से औसतन पांच गुने हैं ?

(ख) इंग्लैंड और अमरीका में जो दाम हैं उन की अपेक्षा यहां दाम कितने हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। वर्तमान दाम युद्ध पूर्व के दामों से लगभग तीन गुनें अधिक हैं।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २०]**.

मोटरों के भागों को जोड़ कर मोटर तैयार करने वाली फर्म

*१८६०. **श्री राजगोपाल राव** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में फ़र्मों द्वारा कौन कौन सी कारों के भागों को जोड़ कर कारें तैयार की जाती हैं ?

(ख) या किसी लाइसेंस प्राप्त फ़र्म ने वर्त्तम कारों के बजाय, जिन के बनाने की उ नुमति मिली हुई हो, जर्मनी की मर्सीडीज़ बेन्ज कार को तैयार करने तथा बनाने के लिये आवेदन किया है ?

(ग) यदि हां, तो यह आवेदन कब किया गया था ?

(घ) सरकार ने उसे क्या जवाब दिया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २१**].

(ख) एक फ़र्म ने, जो उद्योग (विनिमय तथा विकास) अधिनियम, १९५१ के अधीन पंजीबद्ध की गई है, यह आवेदन किया है ।

(ग) १९५२ के अन्त में ।

(घ) सरकार ने फ़र्म को अन्तिम रूप से उत्तर देने से पूर्व तटकर आयोग की, जो मोटर उद्योग के बारे में जांच कर रहा था, सिफ़ारिशों की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया ।

बेकार लोहे और इस्पात का निर्यात

*१८६६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हय सत्य है कि वर्ष १९५३ के लिये बेकार लोहे और इस्पात के निर्यात की अधिकतम मात्रा निश्चित कर दी गई है ?

(ख) क्या निर्यात किये जाने वाले बेकार लोहे की विभिन्न किस्मों को निश्चित किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां । अप्रैल से दिसम्बर १९५३ तक निर्यात के लिये १००,००० टन तक की मात्रा के लाइसेंस दिये जायेंगे ।

(ख) जी हां । एक विवरण जिस में बेकार लोहे की वे विभिन्न क़िस्में दे रखी हैं जिन के निर्यात की अनुमति दी जायेगी, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २२**]

रेडियो सेटों का निर्माण

*१८६७. **श्री झूलन सिन्हा** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने रेडियो तथा ट्रांसमीटिंग सेट बनाये जाते हैं;

(ख) देश की वर्तमान ज़रूरत आयात द्वारा कितनी पूरी होती है; तथा

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार भारत में रेडियो का निर्माण करने वालों को कोई सहायता तथा प्रोत्साहन देती है, यदि हां तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). रेडियो सेट के भागों को जोड़ कर रेडियो देश में तैयार किये जाते हैं । ट्रांसमिटिंग सेट न तो तैयार किये जाते हैं और न ही बनाये जाते हैं । इन की ज़रूरत आयात से पूरी की जाती है । ९ या इस से अधिक बल्व वाले रेडियो के आयात की अनुमति है ।

(ग) सरकार निर्माण सम्बन्धी आवश्यक माल उपलब्ध कराने में जो सहायता दे सकती है वह देती है । राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला रेडियो सेटों तथा अन्य भागों के परीक्षण

करने तथा क़िस्म में सुधार करने के सुझाव देने में सहायता करती है।

डी० डी० टी० फैक्टरी

१३३३. डा० अमीन : (क) **उत्पादन मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिल्ली में स्थापित की जाने वाली डी० डी० टी० फैक्टरी प्राइवेट फ़र्म द्वारा प्रबन्धित की जायेगी ?

(ख) यदि हां, तो इस प्राइवेट फ़र्म के संचालक कौन कौन हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : ऐसा प्रस्ताव है कि दिल्ली में स्थापित की जाने वाली डी० डी० टी० फैक्टरी के नियंत्र तथा प्रबन्ध के लिये एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जो भारतीय समवाय अधिनियम १९१३, के अन्तर्गत पंजीबद्ध हो और जो पूर्ण रूप से सरकारी कम्पनी हो, बनाई जाये। यह किसी 'प्राइवेट फ़र्म' द्वारा प्रबन्धित नहीं होगी।

(ख) कम्पनी के संचालक पर्षद् की रचना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कॉड लिवर आयल

१३३४. डा० अमीन : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे यहां शार्क लिवर ऑयल बहुत काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, कॉड लिवर ऑयल का आयात क्यों करने दिया जाता है जबकि शार्क लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल दोनों में पोषक तत्व एक से ही हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कॉड लिवर ऑयल का आयात निम्न कारणों से किया जाता है—

(१) इस की सोडियम मोरहुएट के बनाने में तथा चमड़ा कमाने के उद्योग में आवश्यकता होती है जहां कि इस के स्थान पर शार्क लिवर ऑयल का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

(२) खाने की चीज़ के बारे में एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सिर्फ़ इसी कारण नहीं बदला जा सकता कि दूसरी चीज़ में भी पोषक तत्व वही हैं। स्वाद तथा गंध आदि के मामले में भी खाने वाले की रुचि की पूर्णतः उपेक्षा नहीं की जा सकती। बताया गया है कि इन मामलों में शार्क लिवर ऑयल कॉड लिवर ऑयल की अपेक्षा कम रुचिकर है।

पेनिसिलीन तथा वेक्सीन की शीशियां

१३३५. डा० अमीन : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ५ नवम्बर १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २ के बारे में दिये गये उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि सरकार ने स्वतः भरने वाली पेनिसिलीन तथा वेक्सीन की शीशियों तथा दूध की बोतलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये हैं जिस से कि इस सम्बन्ध में देश की जरूरतें पूरी हो सकें ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सरकार ने इस विषय में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की है। समाचार है कि कांच उद्योग का एक यूनिट पेनिसिलीन की स्वतः भरने वाली शीशियां बनाने का प्रबन्ध कर चुका है। दूध की बोतलों का यहां तक प्रश्न है, हाल ही में कलकत्ते की एक फ़र्म ने उत्पादन आरम्भ किया है।

जस्ता

१३३६. श्री बलवन्त सिंह मेहता : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में औद्योगिक तथा सेना विभागों के लिये, अलग अलग कितने जस्ते की आवश्यकता होती है ?

(ख) इसे किस प्रयोग में लाया जाता है ?

(ग) क्या यह धातु सामरिक महत्व की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कुल वार्षिक आवश्यकता लगभग २८,००० टन की है। रक्षा विभाग की ज़रूरतों को अलग देना लोक हित में नहीं है।

(ख) इसे मुख्यतः धातु चढ़ाने के काम में, पीतल के बर्तन बनाने में तथा पीतल की अन्य चीज़ें जैसे छड़ें, पाइप, ट्यूब, बार आदि के बनाने में मिश्रित धातु के रूप में, रंग तथा रबर के लिये 'ज़िंक ऑक्साइड' के रूप में तथा बैटरी उद्योग के लिये जस्ते की चादरों के रूप में काम में लाया जाता है।

(ग) यह तो मत का प्रश्न है। कुछ लोग जस्ते को सामरिक महत्व की धातु समझते हैं।

केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत परिषद्

१३३७. सरदार हुक्म सिंह : **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ में केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत पर्षद् की वार्षिक बैठक कब हुई थी;

(ख) किन किन महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की गई; तथा

(ग) क्या १९५१–५२ के बारे में पर्षद् की वार्षिक रिपोर्ट (प्रशासनीय तथा प्राविधिक) प्रकाशित हो गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत पर्षद् की वार्षिक बैठक दिल्ली में १७ से २२ नवम्बर १९५२ तक हुई थी।

(ख) एक विवरण, जिस में वे महत्वपूर्ण समस्यायें दी गई हैं जिन पर पर्षद् ने चर्चा की थी, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २३]**.

(ग) १९५१–५२ की वार्षिक रिपोर्ट (प्रशासनीय) सितम्बर १९५२ में प्रकाशित हुई थी। १९५१ की वार्षिक रिपोर्ट (प्राविधिक) तैयार की जा रही है और यथा समय प्रकाशित की जायेगी।

साबुन

१३३८. श्री के० पी० सिन्हा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देश में साबुन की खपत के लिये कितनी मात्रा की आवश्यकता है;

(ख) वर्ष १९५२ में देश में बनाई गई कुल मात्रा;

(ग) वर्ष १९५२ में आयात किये गये साबुन की कुल मात्रा; तथा

(घ) वर्ष १९५२ में देश में भारतीय फ़र्मों द्वारा कितना साबुन बनाया गया और विदेशी फ़र्मों द्वारा कितना ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) . एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २४]**

(घ) यदि 'विदेशी फ़र्मों' से माननीय सदस्य का अभिप्राय भारत में साबुन की उन फ़र्मों से है जिन में विदेशी पूंजी लगी हुई है तो इस सम्बन्ध में जितनी सूचना मिल सकी है, वह भाग (ख) के उत्तर में दिये गये विवरण में दी गई है।

लिपस्टिक का आयात

१३३९. श्री एस० वी० रामास्वामी : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में लिपस्टिक के आयात का मूल्य कितना है ?

(ख) उस का बहिःशुल्क कितना है और वार्षिक कितना वसूल होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्ण माचारी : (क) तथा (ख) . आयात के वास्तविक मूल्य तथा बहिःशुल्क से प्राप्त

आय के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि लिपस्टिक के बारे में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

बहिःशुल्क की वर्तमान दर मूल्यानुसार ६६ २।३ प्रतिशत है ।

बोर-होल टरबाइन पम्प

१३४०. डा० अमीन : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस कम्पनी का नाम क्या है जो 'बोर-होल टरबाइन पम्पों' के कुछ भागों के निर्माण के लिये कलकत्ते में स्थापित की गई है ?

(ख) इस कम्पनी की प्रार्थित तथा परिदत्त पूंजी क्या है और एक अमरीकी फ़र्म ने कितनी राशि लगा रखी है ?

(ग) एक पूरे पम्प का मूल्य क्या होगा ?

(घ) प्रत्येक पम्प के उन भागों की प्रतिशतता कितनी होगी जिन्हें आयात किया जायेगा और उन का मूल्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मेसर्स जॉन्सटन पम्पस (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता ।

(ख) प्रार्थित तथा परिदत्त पूंजी १६ लाख रुपये है और अमरीकी पूंजी १·२ लाख है ।

(ग) फ़र्म ने उत्पादन आरम्भ नहीं किया है और इस के द्वारा बनाये जाने वाले पूरे पम्प का वास्तविक मूल्य बताना समय से बहुत पूर्व है ।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २५**]

बोर-होल और डीप-बल पम्प

१३४१. डा० अमीन : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १७ दिसम्बर १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२७६ के उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि बोर-होल, डीप-वेल तथा अन्य ऐसे पम्पों के निर्माण के बारे में देशीय इंजीनियरिंग फ़र्मों की उत्पादन क्षमता कितनी है और इसी प्रकार के आयात किये गये पम्पों के मुकाबले में उन की क़िस्म कैसी है और मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ((श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : उत्पादन क्षमता लगभग ४५ हज़ार पम्प प्रति वर्ष है । देशीय पम्पों की क़िस्म और क़ीमत आयात किये गये पम्पों के मुकाबले में संतोषजनक बतलाई जाती है ।

सन

१३४२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५१ और १९५२ में कितने मूल्य का कितने टन सन भारत से बाहर भेजा गया;

(ख) भारत के किस राज्य में सन का सब से अधिक उत्पादन होता है; और

(ग) कौन सा देश सन की सब से अधिक मात्रा ख़रीदता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)

१९५१

	मात्रा	मूल्य
कच्चा सन	१९,३३२ टन	२,२५,६३,००० रुपये

१९५२

कच्चा सन	१९,२८० टन	१,९५,२१,००० रुपये

इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं कि इन वर्षों में कितने टन सन बाहर भेजा गया परन्तु १९५१ में मूल्य ७·८ लाख था और १९५२ में ४·२ लाख ।

(ख) विभिन्न राज्यों में सन की समस्त क़िस्मों के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में सन का सब से अधिक उत्पादन होता है।

(ग) इंग्लैंड कच्चा सन सब से अधिक मात्रा में खरीदता है और अमरीका तैयार किये हुए सन का सब से बड़ा आयात कर्ता है।

नमक शोधक कारखाने

१३४३. श्री तेलकीकर : (क) **उत्पादन मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या समुद्री नमक और सेंधा नमक के साफ़ करने के अलग अलग कारखाने हैं?

(ख) यह कारखाने कहां कहां है?

(ग) देश की कुल ७१७ लाख मन की ज़रूरत में सेंधा नमक और समुद्री नमक का अनुपात क्या है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). भारत में सेंधा नमक साफ़ करने का कोई कारखाना नहीं है। समुद्री नामक साफ़ करने के दो छोटे छोटे कारखाने हैं: एक मेसर्स टाटा केमीकल्स लिमिटेड, मीठापुर और दूसरा मेसर्स कनुपर्ती साल्ट रिफ़ाइनरीज़, मद्रास।

(ग) समुद्री नमक और सेंधा नमक का (जिसकी खपत होती है) अनुपात लगभग १००० : ३ है।

पेटेन्ट

१३४४. श्री तेलकीकर : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२ में पेटेन्ट कराने के लिये सरकार को कौन कौन से नये आविष्कार प्राप्त हुए?

(ख) उन में से कितनों को पेटेन्ट दिये गये?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५२ में पेटेन्ट मंजूर कराने के लिये २२७२ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए। मैं समझता हूं कि इन प्रार्थना पत्रों में जिन नये आविष्कारों का जिक्र है उन के बारे में पूरे विवरण इकट्ठे करने में जो समय और श्रम लगेगा, वह उस से प्राप्त परिणामों के अनुकूल न होगा।

(ख) १९१.

खड्डी उत्पादों के लिये विक्रय संगठन

१३४५. श्री बुच्चिकोटैय्या : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय खड्डी पर्षद् के नियंत्रण में भारतीय खड्डी उत्पादों को मध्यपूर्व तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में दिखाने तथा बेचने के लिये एक विक्रय संगठन खोलने का निश्चय किया है?

(ख) यदि हां तो विक्रय संगठन के सदस्य कौन कौन हैं और उन के मुख्य कार्य क्या हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). जी हां। अखिल भारतीय खड्डी पर्षद् ने मध्यपूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में खड्डी उत्पादों के लिये एजेन्ट नियुक्त करने तथा एम्पोरियम (दुकानें) खोलने की एक योजना को मंजूर कर लिया है। अखिल भारतीय खड्डी पर्षद् इस विषय पर पूरी तरह विचार कर रही है। इस समय, मद्रास खड्डी बुनकर सहकारी समिति अखिल भारतीय खड्डी पर्षद् के एजेन्ट के रूप में कार्य करेगी।

विकास परिषद् की बैठक

१३४६. श्री बुच्चिकोटैय्या : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत निर्मित विकास परिषद् की पहली बैठक हाल ही में दिल्ली में हुई थी?

(ख) यदि हां, तो बैठक का कार्यक्रम क्या था ?

(ग) परिषद् के सदस्य कौन कौन हैं ?

(घ) परिषद् की मुख्य सिफ़ारिशें क्या थीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) (१) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा अभिभाषण

(२) डीज़ल इंजन तथा पम्प उद्योग की वर्तमान दशा पर चर्चा ।

(३) विकास परिषद् को सौंपे गये कार्य के सम्पादन के लिये की जाने वाली कार्यवाही पर चर्चा

(४) अन्य सम्बन्धित विषय, जो कि बैठक में उठाये जायें ।

(ग) (१) श्री जी० आर० दामोदर संसद-सदस्य (अध्यक्ष)

(२) श्री एस० एल० किरलोस्कर

(३) श्री ए० जे० लुंड

(४) श्री एल० पी० शाह

(५) श्री एन० बी० अमीन

(६) श्री एच० ए० हैवमैन

(७) श्री जी० प्रसाद

(८) श्री माइकल जॉन

(९) श्री पीतम चन्द अग्रवाल

(१०) श्री विश्वनाथ राय

(११) श्री एम० एस० पटेल

(घ) सरकार परिषद् की सिफ़ारिशों की प्रतीक्षा कर रही है ।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
५ मई, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
On [illegible]
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

// संसदीय वाद विवाद
(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)
शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, ५ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-२० म० पू.

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने के लिये विधेयक के एक-एक खण्ड पर विचार करेगा जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

अब खण्ड २ तथा ३ के लिये कोई संशोधन नहीं है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : खण्ड ४ तथा ५ के लिये भी।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : मैं खण्ड ३ पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम खण्ड ३ पर आयगे । माननीय सदस्य का संशोधन है कि खण्ड ३ को हटा दिया जाय । वह खण्ड का विरोध कर सकते हैं ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ा गया ।

खण्ड ३—(धारा ४ का हटाना)

श्री झुनझुनवाला : मैं ने धारा ४ को रहने देने के संशोधन की पूर्वसूचना दी थी । मैं इस विधेयक के सिद्धान्त से, जहां तक बड़े उद्योगों में इस के लागू होने का प्रश्न है, पूर्णतया सहमत हूं । मैं माननीय वाणिज्य मंत्री के इस संशोधन का भी समर्थक हूं कि सरकार द्वारा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार पर रोक लगा देने से मामलों में विलम्ब हो सकता है और विधेयक प्रभावरहित हो जाता है ।

संशोधन करने वाले अधिनियम का खण्ड ४ केवल उन्हीं औद्योगिक उपक्रमों में लागू होता है जिन की पूंजी एक लाख रुपये से अधिक नहीं होती । अतः यह केवल मध्यमवर्ग द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों में ही लागू होता है और यदि यह अधिनियम उन उद्योगों में लागू कर दिया गया तो वे अपना कार्य आसानी से न चला सकेंगे । कहने का तात्पर्य यह कि इन नियमों तथा विनियमनों का चलाना उन के लिये सम्भव न होगा ।

अब बड़े-बड़े उद्योगों में हिस्सा खरीदने के स्थान पर मध्यम वर्ग के चार या पांच व्यक्ति मिल कर छोटे-छोटे धन्धे चलाते हैं । ये लोग स्वयं ही सारा प्रशासन भार भी संभालते हैं । तभी जाकर वह उन बड़े-बड़े उद्योगों से प्रतिद्वंद्विता कर सकते हैं । यदि यह खण्ड हटा दिया गया तो उन लोगों को

[श्री झुनझुनवाला]

प्रेरणा न मिल सकेगी और छोटे उद्योग समाप्त हो जायेंगे ।

माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में दो बात कही हैं एक तो यह कि छोटे उद्योगों की आड़में लाखों रुपया कमाया जा सकता है और उस को एक बड़ा व्यवसाय बनाया जा सकता है। इस के उत्तर में मैं कहूंगा कि यह कम्पन में लगी हुई पूंजी है जो महत्व रखती है न कि कम्पनी का उदाहरण के लिये यदि किसी कम्पनी का किसी छोटे उपक्रम में एक लाख से अधिक रुपया पूंजीगत व्यय है तो ऐसी अवस्था के यह अधिनियम उस में भी लागू होगा । किन्तु यदि सरकार का वास्तव में विचार छोटे उद्योगों को मुक्त कर देने का है तो यह तर्क छोटे उद्योगों को मुक्त कर देने के सम्बन्ध में सही नहीं उतरता ।

दूसरी बात माननीय मंत्री ने यह कही कि यदि ऐसे उद्योगों की संख्या बराबर बढ़ने दी जायगी तो उत्पादन इतना अधिक बढ़ जायेग कि विधेयक का लक्ष्य ही सिद्ध न हो सकेगा। इस के उत्तर में मेरा कहना यह है कि वह बहुत दूर की बात है । यदि कुछ समय बाद यह पता लगता है कि ये छोटे उद्योग सरकार के विचार का उल्लंघन कर रहे हैं तो ऐसी दशा में सरकार उन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती और इस अधिनियम को उन पर लागू नहीं कर सकेगी। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री उन उद्योगों म इस अधिनियम को न लागू करें।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि मैं ने इसी बात की सदन में कई बार व्याख्या की है । मैं समझता हूं कि मैं नें अपने पूर्ववक्ता से कोई लाभ नहीं उठाया जो मुझे बोलते हुए उन अवसरों पर सुन चुके हैं । इस सम्बन्ध म हमारे सामने कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । पूंजी के प्रश्न की परिभाषा देनी ही होगी । परिभाषा हो सकता है कि बहुत सीमित हो । इस समस्या विशेष पर हम खण्ड २९ख के अधीन विचार करना चाहते हैं, जहां पर हम को मुक्त करने का अधिकार प्राप्त है । माननीय सदस्य ने इस अधिनियम के अभिप्रायों को गलत समझा है, यदि वह यह समझते हैं कि हर चीज़ स्वतन्त्र तथा आसान होगी छोटे उद्योगों को या तो केवल लाइसेंस लेना पड़ेगा या उन का निबन्धन कराना पड़ेगा, यदि वे किसी प्रकार का पर्याप्त विस्तार करने अथवा नवीन पदार्थों का निर्माण करने जा रहे हैं तो । इस को छोड़ कर अन्य किसी प्रकार की कोई भी पूछ-ताछ अथवा जांच-पड़ताल उस तरीके की नहीं होने जा रही है जिस के द्वारा वे अपने उद्योग को चलाते हैं जब तक कि वह देश की बचत के उद्देश्य से आवश्यक न समझा जाय। हम खण्ड २९ ख के अन्तर्गत एक सूत्र बनाने का विचार कर रहे हैं जिस से केवल छोटे उद्योग ही छोड़े जा सकेंगे । दुर्भाग्यवश छोटे उद्योग की प्रतिक्रिया माननीय सदस्य की धारणा के प्रतिकूल जान पड़ती है । बहुत से आवेदन निबन्धन के लिये प्राप्त हुए थे जो अस्वीकार कर दिये ग ये। स्पष्टत: वे यह समझते हैं कि उद्योग के निबन्ध से उन को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । इसीलिये वे उन का निबन्धन कराना चाहते हैं। मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दिलाता हूं कि छोटे उद्योगों को कोई भी कठिनाई न होगी । अधिनियम इस प्रकार लागू न होगा कि जिस से उन पर प्रतिबन्ध लग सके । मुक्त करने वाले खण्ड की भाषा अधिनियम की बुराइयों को क्षेत्र से दूर करने में तुलनात्मक दृष्टि से छोटे तथा उन उद्योगों के लिये जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, काफी सरल होगी । मैं निश्चय ही विश्वास करता हूं कि उन उद्योगों का सम्पूर्ण प्रतिषेध जिन में एक लाख रुपये की पूंजी लगी है, जैसा कि एक धारा में दिया गया है, जिस को

हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह वह नहीं है जिस के अनुसार कार्य किया जा सके और मैं ने इस स्थिति की व्याख्या कर दी है। मैं निश्चय समझता हूं कि माननीय सदस्य ने सुझाव देने के अतिरिक्त अपने लिये यह मामला नहीं बनाया है। किन्तु मैं इस बात को अवश्य ध्यान में रखने का विचार कर रहा हूं जो वह खण्ड २९ख के अन्तर्गत मुक्त करने की सीमायें निर्धारित करने के सम्बन्ध में कहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ६--(नवीन धारा १०क का निवेश)

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

प्रस्तावित नवीन धारा १०क के खण्ड ६ में, "केन्द्रीय सरकार" के पूर्व जोड़िये "सम्बन्धित उपक्रम से प्राप्त हुई व्याख्या, यदि कोई हो तो, पर विचार करने के पश्चात्,"

यह विधेयक के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं जाता; इस से कोई प्रशासनीय कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। वरन् यदि सरकार इसे स्वीकार कर लेती है, तो उस की ख्याति बढ़ जायगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तर्क को संक्षिप्त करने के लिये मैं निश्चय ही माननीय सदस्य की सम्मति लूंगा और संशोधन को स्वीकार कर सरकार की ख्याति में अभिवृद्धि करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

प्रस्थापित धारा १०क के खण्ड ६ में, केन्द्रीय सरकार" के पूर्व जोड़िये "सम्बन्धित उपक्रम से प्राप्त हुई व्याख्या, यदि कोई हो तो, पर विचार करने के पश्चात्।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६, जैसा संशोधित हुआ, विधेयक का अंग समझा जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६, जैसा संशोधित हुआ, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७ से १२ विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड १३--(अध्याय ३क तथा ३ख का निवेश)

श्री के० सी० सोंधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

प्रस्थापित नवीन धारा १८क की उप-धारा (१) के खण्ड १३ में, "केन्द्रीय सरकार" के पूर्व जोड़िये "किसी भी किये गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात।"

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) मैं प्रस्ताव करता हूं :

प्रस्थापित नवीन धारा १८क की उप-धारा (१) के खण्ड १३ में निम्न परन्तुक जोड़ दीजिये :

"बशर्ते कि व्यवस्था को हाथ म लेने के लिये किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की संस्था की नियुक्ति करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सलाहकार समिति से परामर्श करेगी।"

श्री के० सी० सोधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) प्रस्तावित नवीन धारा १८क के खण्ड १३ में उप-धारा (२) के परन्तुक को हटा दीजिये।

[श्री के० सी० सोधिया]

(२) प्रस्थापित नवीन धारा १८ छ के खण्ड १३ में, उप-धारा (२) के (ग) भाग को हटा दीजिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) खण्ड १३ में, प्रस्थापित नवीन धारा १८क की व्याख्या को हटा दीजिये ।

(२) प्रस्थापित नवीन धारा १८क के पूर्व खण्ड १३ में निवेश करिये :

"१८क । वहां एक केन्द्रीय व्यवस्था 'मण्डल केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक सभापति तथा ग्यारह सदस्यों का होगा जिनमें से दो संगठित श्रम के प्रतिनिधि होंगे और दो से कम अर्थशास्त्री नहीं होंगे।"

(३) प्रस्थापित धारा १८क की उप-धारा (१) के खण्ड १३ में, "किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था" के स्थान पर "केन्द्रीय व्यवस्थापन मण्डल" कर दीजिये ।

(४) प्रस्थापित नवीन धारा १८क की उप-धारा (१) के खण्ड १३ में, "सम्पूर्ण या कुल भाग का" जहां कहीं भी आता हो, हटा दीजिये ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) ने तीन संशोधन प्रस्तुत किये जो अस्वीकृत हुए।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

खंड १३ में, प्रस्थापित नई धारा १८ छ की उपधारा (२) के खंड (घ) के स्थान पर निम्न खंड रखा जाये :

(d) for requiring any person manufacturing, producing or holding in stock any such article or class thereof to sell the whole or part of the articles so manufactured or produced during a specified period or to sell the whole or a part of the articles so held in stock to such person or class of persons and in such circumstances as may be specified in the order ;

("किसी व्यक्ति को, जो ऐसी किसी वस्तु या उस की किस्म का निर्माण, उत्पादन या संचय करता हो, यह अपेक्षा करने के लिये, कि वह एक विशिष्ट कालावधि में इस प्रकार निर्मित या उत्पादित या संचित सभी वस्तुओं को या उस के किसी भाग को बेच दे और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ही और ऐसी परिस्थितियों में ही जो आदेश में विहित हों बेचे;")

खंड १३ में, प्रस्थापित नई धारा १८छ की उपधारा (३) में :

(१) "the whole or a specified part of the stock of any article or class thereof"

(किसी वस्तु या उसके वर्ग का समस्त संचय अथवा उसका उल्लिखित भाग) इन शब्दों के स्थान पर "any article" (कोई वस्तु) ये शब्द रखे जायें ।)

(२) खंड (क) में, "can" (सकना) के पश्चात् "consistently with the controlled price, if any"

(यदि कोई नियंत्रित भाव हो तो उस से संगत रहते हुए) ये शब्द प्रविष्ट किये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी संशोधन अब सदन के सम्मुख विचार-विमर्श के लिये हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : मेरा पहला संशोधन स्वीकृत हो चुका है । यही चीज़ मेरे इस संशोधन के साथ भी लागू होगी और उस को स्वीकार करने में भी कोई कठिनाई न होगी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह सब उतना सरल नहीं है। मेरे दो संशोधनों के कारण बहुत साधारण हैं । जैसा मैं ने कहा कि विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, मूल खण्ड केवल संचय के संबंध में ही था। यह बहुत संकुचित होगा । मुझे मेरे कानूनी सलाहकारों ने यह बताया कि यदि खण्ड जैसा था वैसा ही रहा तो उसका अर्थ यह लगाया जा सकता है जो कुछ भी किसी उपक्रम विशेष का संचय होगा केवल उन्हीं पदार्थों में यह खण्ड लागू हो सकेगा । नवीन खण्ड द्वारा यह उन पदार्थों के लिये भी लागू होगा जिन का अभी निर्माण या उत्पादन ही हो रहा है ।

मेरा दूसरा संशोधन लगभग आनुषंगिक है । उप-धारा (३) में आनुषंगिक संशोधन किये गए हैं । यदि मेरा पहला संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो दूसरा संशोधन उस के फलस्वरूप स्वीकार हो ही जाना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं इस विधेयक के अन्तर्गत एक व्यवस्थापक मण्डल स्थापित करने के संबंध में अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूं । सरकार के अधीन उद्योगों की देख रेख के लिये एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिये जिससे कार्य सुचारु रूप से हो सके ।

हमारे सम्मख सदैव उद्योगों को चलाने तथा व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों की कमी का ही रोना रोया जाता है । अतः सर्वोत्तम उपाय कुछ व्यक्तियों को इन उद्योगों के प्रबन्ध करने की शिक्षा देना है। अभी भी एक व्यवस्थापक मंडल खोला जा सकता है जिस में विख्यात अर्थशास्त्री व उद्योगों के नेता तथा अनुभवी अधिकारी हों जिस से हम एक रक्षित कोष बना सकें जिस से भविष्य में जब कभी भी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आये, तो यह समस्या हमारे सम्मुख न आ सके कि हमारे पास प्रशिक्षित तथा योग्य व्यक्तियों की कमी है ।

कल मैं ने कहा था कि भारत में प्रबंध अभिकरण का वृत्तान्त एक नैराश्यपूर्ण गाथा है । वे अपने उद्योगों की व्यवस्था करने में असफल रहे हैं । प्रबंध अभिकर्ता प्रथा राष्ट्र-हित में बाधक सिद्ध हुई है । यदि विधेयक का उद्देश्य अव्यवस्थित उद्योग को प्रबंध अभिकर्ता के सुपुर्द करना है तो मैं उत्पादन की श्रेणी और उस की कार्यविधि में किसी प्रकार के सुधार की आशा नहीं करता हूं । जब किसी उद्योग को अव्यवस्थित दशा में सरकार ले लेती है तो यह आशा की जाती है कि सरकार के नियंत्रण में वह उन्नति करेगी । उसके लिये एक स्वतंत्र अभिकरण निर्माण करना चाहिये । इससे जनता के प्रगतिशील समुदाय में विश्वास उत्पन्न होगा ।

उदाहरण के लिये इस खण्ड के अन्तर्गत किसी उद्योग को व्यवस्था हेतु ले लिया जाता है । किन्तु प्रस्तुत खण्ड की उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं ? मान लीजिये प्रबंधकर्ता उद्योग का भली भांति प्रबंध नहीं करते हैं । सरकार उन प्रबंध अभिकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी जिन्हें कि काम सौंपा गया था ? सरकार बार बार उनका मार्गप्रदर्शन कर सकती है और उन के कार्य की जांच कर सकती है । किन्तु जब समस्त व्यवस्था प्रबन्ध अभिकर्ताओं के एक समूह पर छोड़ दी जाती है तो सरकार प्रभावशाली ढंग से अपना नियंत्रण प्रकट नहीं कर सकती । सरकार कहेगी कि उस के पास कर्मचारियों की कमी है और समचित

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

व्यक्तियों की अनपस्थिति में इस कार्य का नियंत्रण असम्भव है ।

वर्तमान परिस्थितियों में एक स्वतंत्र प्रबन्ध बोर्ड की रचना आवश्यक है । इस बोर्ड के निर्माण से संसदीय तथा सरकारी नियंत्रण में वृद्धि होगी और देश को भी आगे चल कर लाभ होगा क्योंकि सरकार के पास इस दिशा के अनुभवी व्यक्ति तैयार हो जायेंगे जो अवसर आने पर अव्यवस्थित उद्योगों का कार्यभार संभालने के लिये तैयार रहेंगे । भावी राष्ट्रीयकरण की योजना के उद्देश्य से मैं सरकार को सलाह दूंगा कि प्रबन्ध बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में वह प्रत्येक कार्यवाही सम्पन्न कर ले । इस के निर्माण से उन व्यक्तियों को भी अवसर मिल सकेंगे जो वस्तुतः इस क्षेत्र में कार्य करने एवं अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिये उत्सुक हैं ।

प्रबन्ध अभिकर्ता के सम्बन्ध में मुझे एक बात और कहना है । हम यह नहीं चाहते हैं कि निजी औद्योगिकों द्वारा दुर्व्यवस्थित उद्योग पुनः निजी औद्योगिकों के अधिकार पर आश्रित कर दी जाय । यदि सरकार उद्योग का विकास तथा सम्वृद्धि चाहती है और यदि वह अपनी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में ईमानदार है तो उन्हें कतिपय प्रबन्ध अभिकर्ताओं के अतिरिक्त स्वयं ही उद्योग का सीधा नियंत्रण करना चाहिये । अन्यथा नियंत्रण का प्रभाव लोप हो जायगा और इस का परिणाम भयानक होगा तथा सरकार को अपयश का भागी बनना पड़ेगा । उद्योग संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर होना चाहिये ।

एक और संशोधन है जो कि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है । मैं ने कहा है कि प्रस्तावित १८वीं धारा की उपधारा (१) के खण्ड १३ में जहां कहीं भी 'पूर्ण अथवा अंश' शब्द आये हैं उन्हें निकाल दिया जाय क्योंकि इस का अभिप्राय उद्योग की आंशिक अथवा पूर्ण अव्यवस्था से है । किसी भी उद्योग के विषय में इस उक्ति से कोई तात्पर्य नहीं है कि आंशिक रूप में उस की व्यवस्था अनुचित है अथवा उचित । यदि अव्यवस्था है तो वह समूचे उद्योग में है । मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

अन्त में मेरा सुझाव है कि इस खण्ड से संलग्न व्याख्या को भी निकाल दिया जाय क्योंकि इस के लिये प्रबंधकर्ता बोर्ड होना आवश्यक है और प्रबंध का भार प्रबंध अभिकर्ताओं पर नहीं होना चाहिये ।

श्री के० के० बसु : मैं ने कुछ संशोधन उपस्थित किये हैं जो मुख्यतया प्रबंध अभिकर्ता पद्धति से संबंधित हैं । हमारा अनुमान है कि प्रबंध अभिकर्ताओं ने जो कार्य किया है वह हमारे औद्योगिक विकास की दृष्टि से दुखद और अभिशप्त सिद्ध हुआ है । यदि सरकार विधान के मंतव्य के अनुसार काम करना चाहती है तो उसे प्रशासन अधिकारियों का एक दल रखना चाहिये जो इस विधान के अधीन व्यवसायों को सरकार द्वारा लेने पर उन की व्यवस्था करने में समर्थ हो । सरकार को इस क्षेत्र में शीघ्र ही कार्य करना चाहिये । उस ने समवाय विधि जांच समिति के समक्ष एक स्मृतिपत्र में स्वयं अनेक सुझाव रखे थे जो कि प्रबंध अभिकर्ता पद्धति के विरुद्ध हैं । योजना आयोग के स्मृतिपत्र में भी इसी आशय के विचार हैं उसमें लिखा है कि प्रबंध अभिकर्ता द्वारा संचालित व्यवसायों में ऐसे लक्षण दृष्टिगत हुए हैं जो राष्ट्र के लिये हानिकर हैं । इसी तरह आयकर जांच निगम ने भी उक्त पद्धति के विरुद्ध मत प्रकट करते हुए उन उपायों की ओर

निर्देश किया है जिन की सहायता से वे आयकर से बचने का प्रयत्न करते हैं।

कल मैं ने प्रबंध अभिकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के विश्लेषण का प्रयत्न किया था। बम्बई के एक मासिक पत्र 'कामर्स' ने इन्हें चार वर्गों में विभाजित किया है, कपास, चीनी, पटसन और चाय। आप देखेंगे कि चाय और पटसन पर प्रबंध अभिकर्ता छाये हुए हैं। कदाचित ही पांच प्रतिशत प्रबंध अभिकर्ता भारतीय हों। यद्यपि कपास और चीनी में भारतीय हितों का प्रतिशत अधिक है। यदि आप बंगाल का उदाहरण लें तो आप को मालूम होगा कि मेसर्स केटलवेल अण्ड बुलेन कम्पनी का सूती वस्त्र के उद्योग पर दो बंगाली फर्मों और बिड़ला ब्रदर्स की एक फर्म इन तीनों से अधिक नियंत्रण है। यही बात उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योगों के विषय में भी कही जा सकती है। पटसन का उद्योग भी अंग्रेज औद्योगिकों के अधीन प्रबंध अभिकरण द्वारा संचालित है। प्रबन्ध अभिकरण पद्धति उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति पर आधारित है।

यदि भारतीय उद्योग के चित्र की ओर दष्टिपात किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि कुछ ही व्यक्ति प्रबंध अभिकरण पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं—बिड़ला, डालमिया, वालचन्द हीराचन्द, टाटा; और यदि सरकार स्वयं इस की व्यवस्था करने को उद्यत है तो वह राष्ट्रहित की दृष्टि से ही ऐसा कर रही है और बिड़ला नहीं तो टाटा उसका प्रबन्ध करेंगे। अतः प्रस्तुत प्रबंध अभिकरण पद्धति के लिये कोई गुंजायश नहीं है।

प्रगतिशील उद्योग प्रधान देशों में यह पद्धति समाप्त हो गई है और हमें भी अब इसे विदा कर देना चाहिये।

मैं इस में एक उपबन्ध प्रस्तावित करना चाहता हूं। प्रबन्ध अभिकर्ता केवल न्यायधारी हैं। कितने ही मामलों में हम ने देखा है कि अधिकांश शेअर होल्डर भी प्रबन्धअभिकर्ताओं को नहीं चाहते हैं। मैं यह सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब सरकार किसी ऐसे उद्योग को अपने अधिकार में लेती है जो कि भारतीय समवाय अधिनियम (अधिनियम ३, १९१३) के अन्तर्गत समाविष्ट है तो सरकार को अंशधारियों (शेअर होल्डरों) के मत को मालूम कर लेना चाहिये कि प्रबंध किस के सुपुर्द किया जाय क्योंकि समवाय विधि में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है जिस के अनुसार भ्रष्ट तथा अयोग्य प्रबंध अभिकर्ताओं को दंड दिया जा सके।

श्री जेठालाल जोशी (मध्य सौराष्ट्र) : मैं सरकार के अभिप्राय से पूर्णतया सहमत हूं। इस विधेयक से स्पष्ट है कि सरकार उद्योग की उन्नति में बाधक तत्वों को दूर करना चाहती है। यह विचार स्तुत्य है और किसी भी व्यक्ति को इस में आपत्ति नहीं हो सकती। किन्तु इन सब के साथ साथ मुझे कुछ भय अथवा शंकाएं हैं। इस बात का क्या आश्वासन है कि उद्योग को सरकारी कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों के हाथ में देने से इस का विकास अवश्यम्भावी है? इस विधेयक के प्रारम्भ होने पर उद्योगपति उद्योगों को समाप्त कर देंगे अथवा सम्भव है वह उन की उन्नति के प्रति उदासीन हो जायेंगे।

श्री जी० पी० सिन्हा (पालामऊ व हजारीबाग व रांची) : उन्हें उद्योगों को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

श्री जेठालाल जोशी : सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी मुझे भय है। सरकारी कर्मचारियों को अत्यधिक अधिकारों के साथ यह काम दिया जायगा। अधिकारों की वृद्धि के साथ ही भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी की सम्भावना भी बढ़ जाती है। गत

[श्री जेठालाल जोशी]

पांच वर्षों में सरकार की प्रतिष्ठा निम्न हो गई है हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि वह और अधिक निम्न स्तर पर न पहुंचने पाये।

औद्योगिक दृष्टि से हम पिछड़े हुए हैं। विश्व के समस्त औद्योगिक उत्पादन में से अमरीका और कनाडा का भाग ३९ प्रतिशत है, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैण्ड लगभग २४ प्रतिशत उत्पादन करते हैं। रूस और उसके साथी देशों का उत्पादन २५ प्रतिशत है; तीन प्रतिशत भाग के उत्पादन कर्ता जापान और आस्ट्रेलिया हैं। शेष केवल ९ प्रतिशत बचता है जिसमें भारत और अफ्रीकी देशों सहित एशियाई देश हैं। यह स्पष्ट है कि हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है। प्रशासन की भांति ही उद्योग प्रबन्ध भी उच्चकोटि की प्रविधिक वस्तु हैं। अतः मेरा प्रस्ताव है कि कुछ सीमित अधिकारों के साथ एक बोर्ड की स्थापना की जाय जो कि इन उद्योगों के अधीक्षण के पश्चात् सरकार के समक्ष वृत्तान्त उपस्थित करे।

एक बात करार से सम्बन्धित खण्ड के विषय में है। प्रबन्ध लेने पर जिन व्यक्तियों पर उसका भार सौंपा जायगा वे करारों को रद्द करने के लिये न्यायालय में जायेंगे। मेरा विश्वास है कि इस अधिनियम के चालू होते ही कोई भी व्यक्ति उद्योग से करार नहीं करेगा। क्योंकि वे बार बार न्यायालयों में जाकर वकीलों को भारी शुल्क देना पसन्द नहीं करेंगे। आशा है कि माननीय मंत्री जी इन आशंकाओं को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

पंडित एम० बी० भार्गव (अजमेर दक्षिण) : मैं इस खण्ड का हार्दिक समर्थन करता हूं। मेरा यह निवेदन है कि किसी भी कार्य, भले ही वह कितना ही व्यवस्थित और दूरदर्शिता पूर्वक किया गया हो, की सफलता उसके व्यवहृत किये जाने की पद्धति पर निर्भर है। किन्तु यह सब सरकार की उस उत्कट आकांक्षा और तत्परता से स्पष्ट है जिसके अनुसार सरकार इस कार्य को अपने हाथ में लेने के लिये प्रयत्नशील है। मैं अजमेर राज्य के सूती कपड़े के उद्योग की दयनीय दशा देख कर ही यह कहने के लिये विवश हुआ हूं। मेरे राज्य अर्थात् अजमेर में औद्योगिक व्यवसायों कामबन्दी की घोषणा करके १५०० से अधिक श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया है। अजमेर सरकार ने पहले ही केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि इस अधिनियम के अधीन इन व्यवसायों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया जाए।

यह केवल एक उदाहरण नहीं है। उद्योग-पतियों ने पहले भी पारिश्रमिक के मामले में काम बन्दी की घोषणा की थी। मध्यस्थों ने ४२ रु० का न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित किया था परन्तु उद्योगपति १ अप्रैल तक २७ रु० प्रति मासिक दर से पारिश्रमिक देते रहे और राज्य सरकार संचार के निर्णय को कार्यान्वित न कर सकी।

विजय नगर की विजय काटन मिल्ज़ का यह एक उदाहरण नहीं वरन् अजमेर राज्य के सब उद्योगपतियों ने ऐसी एक सामान्य स्थिति निर्माण कर दी है। अब ये तो सरकार को व्यवसाय का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक देना चाहिये अन्यथा उद्योग-पतियों को संचार के निर्णय की कोई परवाह नहीं है। या तो श्रमिक बेरोज़गार रहेंगे अन्यथा उन्हें २७ रु० की वर्तमान दर पर काम करना होगा। यदि सरकार इस औद्यो-गिक व्यवसाय को अपने हाथ में नहीं लेती तो न केवल १५०० श्रमिक वरन् इन चार कारखानों में काम करने वाले १०,००० श्रमिकों को बेरोज़गारी के जबड़ों में फंसना

होगा। मेरी प्रार्थना है कि लोक हित के अनिष्ट के आधार पर व्यवसाय का प्रबन्ध अपन हाथ में लेने के उपबंधों को जो इस खण्ड में दिए गए हैं लागू करना चाहिये। लोक हित के अनिष्ट का इस से अधिक स्पष्ट उदाहरण क्या होगा। उद्योगपतियों ने राज्य को चुनौती दे दी है। श्रमिकों का निरन्तर शोषण अब असहनीय हो गया है। मेरे राज्य के पास संचित पूंजी नहीं जिस मे उसे केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहना होता है। श्रमिक-गण कहते हैं कि यह अर्थ-लाभ का व्यवसाय है और कि उन्हें ५६ रु० का वेतन देकर भी इसे लाभ पर चलाया जा सकता है। उन्होंने एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया है कि यदि सरकार प्रबन्ध अपने हाथ में लेने पर यह देखे कि ये वेतन देकर लाभ प्राप्त नहीं होता तो वे कम वेतन अर्थात् वर्तमान वेतन को भी स्वीकार कर लेंगे जब तक व्यवसाय की स्थिति लाभ प्रदान करने वाली नहीं हो जाती। वे उद्योगपतियों द्वारा शोषण से छुटकारा चाहते हैं। उन के अनुसार इस उपद्रव का कारण केवल शोषण की प्रवृत्ति और लोभ है। इस खण्ड के उपबन्धों में यह अनिवार्य नहीं है कि यदि जांच अभि कर्तृत्व को कोई व्यवसाय अधिक लाभ बनाने वाला दिखाई दे तो उसे ले लिया जाए। जांच अभिकर्तृत्व को फिर पूछताछ करनी चाहिये। पहले श्रमिकगण अपनी बात इसके समक्ष नहीं रख सके थे। उनका कहना है कि यदि सम्बन्धित उद्योग को ठीक प्रकार से चलाया जाए तो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक दिए जा सकते हैं। यदि सरकार सदिच्छा रखती है, यदि वह चाहती है कि औद्योगिक उत्पादन में बाधा न हो, उद्योग अपने पांव पर खड़ा हो सके तो सरकार के पास ऐसे आर्थिक तथा शिल्पिक संसाधन होने चाहियें जिन से वह व्यवसाय को हाथ में लेकर आर्थिक आधार पर चला सके। यदि ऐसी स्थिति में भी कुछ न किया जा सके जिसमें राज्य सरकार ने केन्द्र की सहायता मांगी है तो इस प्रकार के अधिनियम का भी कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को ऐसे उद्योग भी अपने हाथ में लेने चाहियें जो आर्थिक आधार पर नहीं चल रहे तो न केवल उन का प्रबन्ध सरकार के पास होना चाहिये वरन् सरकार को उसमें पूंजी भी लगानी चाहिये। खण्ड के संशोधन में यह उपबंधित किया गया है कि यदि पांच वर्ष के पश्चात् भी सरकार यह समझे कि औद्योगिक उत्पादन और सम्बन्धित उद्योग के हित में व्यवसाय को सरकार द्वारा नियन्त्रण और प्रबन्ध को जारी रखने की आवश्यकता है तो वह ऐसा कर सकती है। इससे पता चलता है कि सरकार इस की आवश्यकता और उपयुक्तता को समझती है।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : मैं कुप्रबन्ध के कारण सरकार द्वारा किसी व्यवसाय को अपने हाथ में ले लेने का विरोध नहीं करता परन्तु विधेयक द्वारा अपेक्षित क्रान्तिकारी परिवर्तन का विरोधी हूं। माननीय मन्त्री विभिन्न वाणिज्य निकायों की भावनाओं को जानते हैं।

सर श्रीराम जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति ने प्रवर समिति में कहा था कि कितनी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं.....

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वे प्रवर समिति को प्रभावित नहीं कर सके।

श्री जी० डी० सोमानी : आपकी असहमति की प्रवृत्ति के कारण प्रभावित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं श्री बंसल और श्री के० सी० सोधिया द्वारा रखे गए संशोधनों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि कैसा भी कुप्रबन्ध क्यों न हो ऐसा कठोर पग उठाने से पूर्व औद्योगिक व्यवसायों को कुछ अवसर

[श्री जी० डी० सोमानी]

देने चाहियें और यदि संभव हो सके तो केन्द्रीय परामर्शदात्री पर्षद् को उसका विवेचन करना चाहिये। कल माननीय मंत्री ने बताया था कि परामर्शदात्री पर्षद् की बैठक में देर होने की सम्भावना है क्योंकि उसके २५ सदस्य अत्यन्त व्यस्त व्यक्ति हैं, यदि यह सम्भव नहीं तो मेरा प्रस्ताव है कि पर्षद की एक उप-समिति निर्माण की जाए। जांच का परिणाम विवरण सम्बन्धित दल को भी देना चाहिये और उसे अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इस संक्षिप्त जांच द्वारा यह भावना न रहेगी कि किसी के साथ अन्याय हुआ है।

मेरे मित्र श्री गुरुपादस्वामी तथा श्री बसु ने कहा है कि प्रबन्धक अभिकर्तृत्व देश के हितों की सेवा में असफल रहा है। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक प्रणाली में कुछ त्रुटियां होती हैं, परन्तु किसी विशेष अंश की त्रुटियों के आधार पर सारी प्रणाली का विरोध नहीं किया जा सकता। राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में जो अंशदान प्रबन्धक अभिकर्तृत्व ने किए हैं उस पर पक्षपात रहित होकर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रबन्धक अभिकर्तृत्व प्रणाली ने ही राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया है, इसके द्वारा कपड़ा, चीनी, सीमेंट इत्यादि उद्योगों का विकास हुआ है। मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि यह प्रणाली किसी भी पक्षपात रहित परीक्षा के लिये तैयार है जिस से यह पता लग सके कि देश की आर्थिक व्यवस्था में इसके कुछ अंशदान हैं अथवा नहीं।

श्री के० के० बसु : इसका प्रयोजन समाप्त हो गया है।

श्री जी० डी० सोमानी : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है योजना आयोग ने जांच के पश्चात् गैर सरकारी उद्योग को राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में अंशदान करने का आदर सम्पन्न कार्य सौंपा है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान माननीय प्रधान मंत्री के वाणिज्य तथा उद्योग के भारतीय संघ में दिए गए कथन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार चाहती है कि उत्पादन म वृद्धि हो और कि विभिन्न उद्योगों के कार्य में बाधा नहीं डाली जाएगी। इस विश्वास की प्रेरणा के आधार पर मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इन साधारण संशोधनों पर ध्यान दें और कि कुप्रबन्ध के साधारण बहाने पर किसी औद्योगिक व्यवसाय को हाथ में न लिया जाए। ऐसा करने से पूर्व व्यवसायिक व्यक्तियों को पूछा जाए जो कि उद्योग कार्य की जटिलता को समझते हैं।

श्री के० के० देसाई (हालर) : मेरे माननीय मित्र श्री सोमानी द्वारा कही गई कुछ बातों ने जो देखने में गम्भीर तथा संतुलित दिखाई देती हैं, मुझे भी कुछ कहने के लिए प्रोत्साहित किया है।

विधेयक का यह खण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण है। औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी बहुत से उत्तरदायित्व होते हुए भी सरकार ने और उत्तरदायित्व अपनाने के लिये यह खण्ड प्रस्तुत किया है। योजना आयोग द्वारा सुयोजित उद्योग आरम्भ करने पर यदि कुछ अधिकार अपने हाथ में न लिए जायें तो वह केवल कागजी कार्यवाही रह जाएगी। इस लिए उपभोक्ताओं और देश के हितों के लिए इन अधिकारों की आवश्यकता है। अच्छे व्यक्तियों के समाज में कोई भी यह नहीं चाहेगा कि कोई अपराधी स्वच्छन्द विचरण करें। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए और श्रेष्ठ व्यक्तियों को बचाने के लिए संविधि पुस्तक में कुछ विनियम रखने की आवश्यकता है।

जैसा माननीय मंत्री ने कल वादविवाद के उत्तर में कहा था इस विधेयक का प्रयोजन राष्ट्रीयकरण नहीं। जब भी देश, उपभोक्ता तथा देश के हित के लिए और आर्थिक विकास के हेतु राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता समझेगा तो प्रत्यक्षतः ऐसा उपक्रम किया जाएगा हमें विदित है कि अन्तःशुल्क को घटाने के लिए अथवा वेतन कम करने के लिए काम बन्द किये जाते हैं। ऐसे मामलों में सरकार को आना आवश्यक है। अब उद्योगपतियों और बड़े बड़े वाणिज्य स्वामियों को पता होना चाहिये कि यदि उन्होंने व्यक्तिगत लाभ अथवा कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए कार्य किया और देश तथा उपभोक्ताओं के हित को न समझा तो इसे सहन नहीं किया जा सकेगा। जनतन्त्रात्मक विधान के अधीन किसी उद्योग को राष्ट्रहित को अनिष्ट करने के लिए स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता।

इस विधेयक में प्रबन्धक अभिकर्तृत्व प्रणाली विचाराधीन नहीं है। श्री सोमानी ने कहा कि इस प्रणाली ने उद्योगों का निर्माण किया है। यह ठीक है। परन्तु उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। समय बदल रहा है। यदि आरम्भिक उद्योगपति अच्छे व्यक्ति थे तो कहा नहीं जा सकता कि उन के पुत्र पौत्र भी अच्छे होंगे।

जनतन्त्रात्मक विचारधारा को समझते हुए वे लोग इस का प्रत्यक्ष विरोध नहीं करते। वे भी कहते हैं कि वे औद्योगिक व्यवसाय को अपने हाथ ले लेने के विपक्ष में नहीं। परन्तु वे इसे अपने ढंग से करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि प्रबन्ध उन्हीं के हाथ में रहे। रोज़गार की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। इस समय उन की शोषण प्रवृत्ति के सम्मुख नत मुख नहीं हुआ जा सकता।

मैं सभा से आग्रह करता हूं कि प्रवर समिति से आए हुए इस खण्ड को स्वीकार कर लिया जाए। इस में दृष्टिगोचर प्रवृत्ति बहुत हितकर है।

श्री के० सी० सोधिया : मेरा पहला संशोधन यह है कि नई धारा १८-क में प्रस्तावित उप-धारा (२) के परन्तुक को अस्वीकार किया जाए। यह खण्ड अधिसूचित आदेश के सम्बन्ध में है। यह कहा गया है कि पांच वर्ष के लिए अधिसूचित आदेश के पश्चात् उद्योग को हाथ में लिया जा सकता है। परन्तु यदि सरकार यह निश्चित करे कि किसी विशेष उद्योग को सुप्रबन्धित करने के लिए अधिक काल की आवश्यकता है तो नया अधिसूचित आदेश जारी करने के लिये उपबन्ध नहीं है। न ही पांच वर्ष से अधिक के लिए यह आदेश किया जा सकता है। इसे कार्यान्वित करने में व्यवहारिक कठिनाई है।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि उपधारा (२) के खण्ड (ग) में प्रस्तावित धारा १८ (छ) का लोप किया जाए। उस में कहा गया है कि किसी विशेष वस्तु के क्रय विक्रय का निषेध किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं के उन मूल्यों पर क्रय विक्रय पर प्रतिबन्ध जो खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित है न्याय संगत नहीं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दुर्भाग्यवश मैं उस सुखद स्थिति में नहीं हूं कि श्री सोधिया द्वारा प्रस्तावित संशोधन उस प्रकार स्वीकार कर लूं जैसे पहली बार कर लिया था क्योंकि वस्तुतः दोनों बातों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं। खण्ड ६ में जो नई धारा १०-क से सम्बन्धित है यह विचार था कि यदि झूठे बहानों पर पंजीयन प्राप्त कर लिया हो तो सरकार उसे रद्द कर सकती है। ऐसे विषय में सम्बन्धित दल को सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है। इसीलिये मैंने श्री के० सी० सोधिया के संशोधन को स्वीकार कर लिया

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

था क्योंकि ऐसा अवसर देने से कोई हानि नहीं होती थी और हमारी ऐसी इच्छा थी कि ऐसे व्यक्तियों को अवसर देने के नियम बनाए जाएं ताकि वे अपने व्यवहार का स्पष्टीकरण कर सकें और उनके झूठे बहानों से अनुमति-पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार को उत्पन्न हुए सन्देह को दूर कर सकें। वह जिस का उपबन्ध मैं नियमों द्वारा करना चाहता था, मेरे माननीय मित्र ने उसे विधि में रखना चाहा और मुझे कोई आपत्ति न हुई।

परन्तु इस बात के सम्बन्ध में जो उन्होंने अब उठाई है अर्थात् नई धारा १८-क में प्रस्तावित उप-धारा (२) के परन्तुक को हटा दिया जाए, प्रवर समिति में बहुत विचार हुआ है। वस्तुतः जो वे कहते हैं कि मूल उपखण्ड (२) में यह उपबंध किया गया है कि अधिसूचित आदेश इतना समय लागू रहेगा जो निर्दिष्ट हो और पांच वर्ष से अधिक न हो, और वे पूछते हैं कि यह थोड़े समय के लिए हो तो क्या होगा।

बहुत सम्भव है कि यदि वैधानिक मंत्रणा यह हुई कि अधिसूचित आदेश थोड़ी अवधि के लिये है, तो सरकार पांच वर्ष के लिये आदेश जारी कर देगी और बाद में इस संशोधक विधेयक के उपबंधों के अधीन इसे रद्द कर दिया जायेगा। अथवा वैकल्पिक रूप से, यदि हम इसे दो वर्ष के लिये भी जारी करें, तो भी परादिक में सरकार को अधिसूचना को समय समय पर पुनः नया करने की शक्ति मिली हुई है। मैं समझता हूं कि यह एक त्रुटि है जिसे कि प्रवर समिति ने सरकार को बतला कर ठीक ही किया है। इस बात के सम्बन्ध में कि सरकार को केवल इतना ही करना है कि वह पांच वर्ष तक इन उद्योगों की देखभाल करे और पांच वर्ष के पश्चात् सब कुछ ठीक हो जायेगा, हो सकता है कि पांच वर्ष के पश्चात् भी कतिपय उद्योगों की सरकार को देख-भाल करनी पड़े। निस्सन्देह हम एक काल्पनिक समस्या पर विचार कर रहे हैं। परन्तु इस प्रकार के विधेयक में अधिकांश समस्यायें काल्पनिक ही होती हैं। यदि उद्योगों का प्रबन्ध अच्छी प्रकार हो, तो इन में से किसी भी उपबन्ध की सहायता नहीं ली जायेगी किन्तु मैं इस की वही स्थिति लाने के लिये सहमत नहीं हो सकता जो कि इस विषय को प्रवर समिति को सौंपने से पहिले थी क्योंकि प्रवर समिति ने यह परिवर्तन बहुत सोच विचार कर किया है और मैं समझता हूं कि इस में काफी सत्य है तथा इसका अवश्य समर्थन किया जायेगा।

श्री सोधिया का दूसरा संशोधन प्रस्तावित धारा १८क के खण्ड १३ में है कि सम्भालने से पूर्व सरकार को अभ्यावेदनों पर विचार कर लेना चाहिये। बात वास्तव में यह है कि मेरे माननीय मित्र इसे बिल्कुल संकुचित और विशुद्ध वैधानिक दृष्टि से देख रहे हैं। सरकार द्वारा किसी विषय को किसी विधि न्यायालय में न्याय निर्णय के योग्य बनाये बिना उस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई निश्चय करने से निस्सन्देह उनके विधान प्रेमी मन को आघात पहुंचता है। मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है जिसके विषय में कि हम समझते हैं कि हमें जांच करवानी चाहिये, उस जांच के परिणाम से हमें ज्ञात होता है कि शीघ्र ही कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है, निदेश नहीं दिये जा सकते और केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् द्वारा उस विषय की परीक्षा करवाने में समय नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में सरकार धारा १८-क के उपबन्धों का सहारा लेती है। इन परिस्थि-

तियों में आगे और इस प्रकार की बाधा डालने तथा यह कहने से कोई लाभ नहीं कि प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् "अच्छा, तो यदि हम उन अभ्यावेदनों पर विचार करने लग जायें तो सम्भवतः उतने समय में वह औद्योगिक एकक नष्ट भी हो जाये।" मैं लगभग आरम्भ से ही यह कह रहा हूं कि खण्ड १३, इसमें १८ क से १८ छ तक चाहे कुछ भी हो, इस संशोधन विधेयक का वास्तव में सार है और मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में, प्रवर समिति के प्रस्ताव पर अपने उत्तर में, अपने कल प्रातः के भाषण में और उस के बाद भी यही बात कही है। मेरे माननीय मित्र श्री सोधिया इस बात को समझते नहीं। मुझे खेद है कि मुझे यह मानना पड़ेगा कि मैं अपने आपको इतनी स्पष्टता से व्यक्त नहीं कर सकता जिससे कि श्री सोधिया मेरी बात को समझ सकें। श्री सोमानी ने कुछ बातें उठाई थीं जिनका कि मेरे माननीय मित्र श्री खण्डूभाई देसाई ने बड़े प्रभावशाली ढंग से उत्तर दे दिया है। श्री सोमानी अब भी अपनी उसी स्थिति पर अड़े हुए हैं जो कि उन्होंने अपना मतभेद प्रकट करते हुए अपनायी थी। इसमें मेरे माननीय मित्र श्री बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन भी आ जाता है। येन केन प्रकारेण कुछ बाधायें अवश्य डाल दी जानी चाहियें जिससे कि सरकार शीघ्रता से कार्य न कर सके। इस संशोधन का यही आधार है। मैं यह कह रहा हूं कि यदि आप उस समय मेरे मार्ग में कोई बाधा डालें जब मुझे शीघ्रता से कार्य करना हो, तो आप इस संशोधक विधेयक के उपबन्धों को बिल्कुल बेकार बना रहे हैं और मैंने बार बार यह कहा है, और मैं नहीं समझता कि इसे बार बार दोहराने से कोई लाभ है कि केवल आपात्तिक मामलों में ही इस संशोधक विधेयक के उपबंधों का प्रयोग किया जायेगा, साधारणतया नहीं किया जायेगा। अतः यह सब कहने से क्या लाभ है कि, "अच्छा तो आप आपात की घोषणा कर दें, आप ऐसा कर सकते हैं, कृपा करके इसे लिख दीजिये और कहिये कि यह एक आपात है।" जैसा कि मैंने कल कहा था, मैं कोई स्वतन्त्र अभिकर्त्ता नहीं हूं, मंत्रालय इस सदन के प्रति उत्तरदायी है, माननीय सदस्यों के पास ऐसे प्रतीकार हैं जिन से कि मैं बच नहीं सकता और उन प्रतीकारों का समय पर प्रयोग किया जा सकता है। मुझे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जिन अवसरों पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वे सब आपातिक हैं।

श्री गुरुपादस्वामी का संशोधन मेरे माननीय मित्र डा० मुकर्जी के विचार के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा था कि सरकार को इस प्रकार के उद्योगों के लिये किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध बोर्ड बनाने का विचार करना चाहिये। मैं ने कहा "हां"। मेरा मन भी इसी दिशा में जा रहा था मान लीजिये कि हम कुछ उद्योगों को सम्भाल लेते हैं। तब यह समस्या आवश्यक रूप से उठ खड़ी होती है कि हमें किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध बोर्ड बनाना चाहिये। परन्तु उन्होंने उस विचार को ले कर उसे कपड़े और पगड़ी इत्यादि पहिना कर सामने ला कर खड़ा कर दिया है। अब वह कहते हैं, "आप इसे स्वीकार कर लें, यह मेरा विचार है।" जिन परिस्थितियों में मेरे लिये इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार करना आवश्यक होगा वे यह हैं : कुछ ऐसे उद्योग होने चाहियें जिनका अन्ततोगत्वा इस प्रकार प्रबन्ध किया जायेगा कि उस के लिये धारा १८ क के अन्तर्गत विद्यमान उपबन्धों का प्रयोग करना पड़ेगा। सरकार को कार्यवाई करनी पड़ेगी, उन्हें सम्भालना होगा, तब संघर्ष करना होगा, क्यों कि उस के पास सामान्यतया उस का

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

प्रबन्ध करने के लिये कर्मचारी नहीं हैं, उस के बाद प्रबन्ध बोर्ड बनाना होगा और किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहिले इन सब बातों को करना होगा।

प्रबन्ध बोर्ड बना कर आप को उस के पदाधिकारियों को २,००० रुपये मासिक देने पड़ेंगे, उन के लिये कार्यालय की व्यवस्था करनी होगी, टाइप करने वाले तथा निजी सहायक ढूंढने पड़ेंगे और सारी सामग्री जुटानी होगी और यह सब कुछ इस आशा से करना होगा कि उद्योगों का 'कुप्रबन्ध' किया जायेगा। प्रशासन की दृष्टि से इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा किन्तु मेरे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं।

११ म० पू०

दूसरी बात यह है कि आप को इसे प्रबन्ध अभिकर्त्ता सार्थ को नहीं सौंप देना चाहिये और इस का सम्बन्ध श्री बसु के प्रस्ताव से है। मैं प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पक्षपोषण या उन की निन्दा नहीं करता। मेरे माननीय मित्र श्री खण्डूभाई देसाई ने ठीक ही कहा कि प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की आलोचना समवाय विधि के संशोधक विधेयक के प्रस्तुत होने पर ही करना उचित है और मुझे आशा है कि वह शीघ्र ही सदन के समक्ष प्रस्तुत हो जायेगा। उस समय यह बात उठाई जा सकती है। यदि प्रबन्ध अच्छा नहीं होता, तो मैं प्रबन्ध अभिकरण का प्रयोग नहीं करता, परन्तु यदि इस के विपरीत---अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के प्रबन्ध अभिकर्त्ता होते हैं---मुझे कोई अच्छा प्रबन्ध अभिकर्त्ता मिल जाये, तो मुझे इस का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि मैं उस का क्यों न प्रयोग करूं। आखिर, सभी प्रबन्ध अभिकर्त्ता तो बुरे नहीं हैं। संसद् के सभी सदस्य बुरे नहीं हैं, सभी सदस्य अच्छे नहीं हैं।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : प्रत्यक्ष रूप से तो सभी सदस्य अच्छे हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब तक आप यह सिद्ध नहीं कर देते कि कुछ सदस्य बुरे हैं तब तक सभी सदस्य अच्छे हैं। प्रत्येक मनुष्य ईमानदार समझा जाता है। जब तक हम यह सिद्ध नहीं कर देते कि हम में से कुछ बुरे हैं तब तक हम सभी अच्छे हैं। इसी प्रकार इन प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को समझिये। यदि कोई प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपने कार्यों के कारण बदनाम हो, तो मुझे धारा १८ क के उपबन्धों का सहारा लेना पड़ेगा। मैं यह कहूंगा कि इस देश में अब भी कुछ प्रबन्ध अभिकर्त्ता ऐसे हैं जो कि अपने अधिकारों में आये हुए समवायों को बिल्कुल यथार्थ रीति से चला रहे हैं। मैं उन के नाम लेना नहीं चाहता क्यों कि यह तो उन में विभेद करना होगा और मैं उन का बहुत विशेषज्ञों के कार्य के लिये प्रयोग करता हूं। मैं अपने हाथों को बांधना नहीं चाहता जिस से कि विशेषज्ञों के क्षेत्र में जहां कि मेरे पास और कोई नहीं है मैं एक अच्छे प्रबन्ध अभिकर्त्ता का, जो कि उस काम को जानता है, प्रयोग न कर सकूं। अतः मुझे भय है कि प्रतिबन्ध लगाने से इसका प्रयोजन समाप्त हो जायेगा। यदि मैं किसी विशेष प्रबन्ध अभिकर्त्ता का किसी विशेष प्रयोजन के लिये प्रयोग न कर सकूं तो सम्भवतः मैं उस उद्योग को सम्भालूंगा ही नहीं।

अब मैं अजमेर के अपने मित्र पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव की आपत्तियों

को लेता हूं। मैं जानता हूं कि कुछ स्थानीय समस्यायें उन के मन में थीं। मैं उन की चर्चा करना नहीं चाहता क्योंकि मैं ने सुना है कि उस समस्या के दो पहलू है किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि सरकार किन्हीं निरर्थक चीजों को सम्भाल कर यह नहीं कहेगी कि, "१८क कार्य नहीं कर रही है, अतः उन के साथ कोई और तरीका अपनाना होगा।" ऐसे उद्योगों के मामले में जिन्हें कि चलाया नहीं जा सकेगा हम सम्भवतः किसी पुनर्निर्माण निगम से उन की पूंजी ले लेने के लिये कहेंगे। हमें समवाय अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिये इन शक्तियों को प्राप्त करना होगा।

एक माननीय सदस्य : उन का प्रबन्ध इतना खराब है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उनका प्रबन्ध इतना खराब है कि उन की पूंजी देनी पड़ेगी जिस से कि हम उस में कुछ और थोड़ी सी पूंजी डलवा सकें। उन्हें वैसे ही किसी उद्योग में खपाया जा सकता है। यह किया जा सकता है। २५,००० तकलों के लिये ११,००० तकले दिये जा सकते हैं और शेष को नष्ट किया जा सकता है। यदि आप १५०० व्यक्तियों को काम में नहीं लगा सकते, तो कम से कम ८०० को तो लगाइये। इन समस्याओं को प्रत्येक उद्योग के अपने दृष्टि कोण से सुलझाया जायेगा। पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने जो कुछ कहा है मैं उस का समर्थन नहीं कर सकता। यदि हम अजमेर की चार कपड़ा मिलों पर इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू नहीं करते तो मैं इसे पारित भी नहीं कर सकता। यह तो कुछ निरपेक्ष बातें कहना है जिसे कि मैं सम्भवतः सम्बद्ध न समझूं। हम औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में निरपेक्ष शब्दों में कुछ नहीं कह सकते। सम्भव है आप लागू करें या न लागू करें। अन्य वैधानिक कठिनाइयां भी हो सकती हैं। हम निर्माण सम्बन्धी कठिनाइयों को भी कभी भूल नहीं सकते। मद्रास में एक चूलई मिल्स नामक मिल है। वह सम्भवतः दस या ग्यारह वर्ष से बन्द है।

एक माननीय सदस्य : ३५ वर्ष से।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह दस वर्ष से बन्द है। मुझे इस के विषय में अपने माननीय मित्र से कुछ अधिक ज्ञात है। यह पुनः खोली नहीं जा सकती क्यों कि इस की मशीनरी बिल्कुल पुरानी है। इस मामले में धारा १८क प्रयोग करने का कोई अधिक लाभ नहीं। अन्य बातों के साथ साथ यदि कोई औद्योगिक कारखाना अच्छा हो, तो उस का प्रबन्ध किया जा सकता है। यदि उस का प्रबन्ध अच्छी प्रकार नहीं किया जायेगा तो उत्पादन की हानि होगी और धारा १८क का प्रयोग किया जायेगा। अन्यथा मेरा अभिप्राय सरकार पर सभी प्रकार के बेकार, पुराने तथा टूटे फूटे उद्योग लाद कर और बाद में यह कह देने का नहीं है कि अमुक अधिनियम असफल रहा है। अतः मेरे माननीय मित्र पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने अजमेर की स्थिति के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां प्रकट की हैं मुझे उन से सहानुभूति है और हमें उस के लिये कुछ करना होगा। हम इस स्थिति की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकते। परन्तु हम इस के लिये यह अधिनियम नहीं ; अपितु कोई और ही ढंग अपनायेंगे। यदि इस अधिनियम का प्रयोग किया जा सके और लोगों को यह कहा जा सके कि हम इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग करेंगे और तुम्हें ठीक प्रकार से प्रबन्ध करना होगा, तो हम निश्चय ही ऐसा करेंगे। नहीं तो मझे कोई अन्य उपाय अपनाना पड़ेगा। परन्तु

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मैं समझता हूं कि उन के मन में जो मामले हैं उन पर यह लागू नहीं होगा ।

मैं समझता हूं कि मैं ने अपने संशोधनों को छोड़ कर शेष सब संशोधनों पर किये गये भाषणों का उत्तर दे दिया है ।

श्री के० सी० सौधिया : धारा १८छ की उपधारा (२) के भाग (ग) के सम्बन्ध में एक संशोधन है । उस का क्या हुआ ? उस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।

श्री के० के० बसु : अंशभागियों के सम्भाल देने के बारे में क्या हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खण्ड में लिखा है "ऐसे किसी पदार्थ या उस की श्रेणी के विक्रय को रोकने के निषेध के लिये ..... ।" मेरे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि सरकार को यह नहीं करना चाहिये । क्या यही बात है ? मुझे खेद है कि यह सारे खण्ड का एक अविभाज्य अंश है । इस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

अंशभागियों का प्रश्न भी शीघ्र ही उपस्थित होने वाला है । बात यह है कि उस समय जो सब से अधिक उपयुक्त हो हमें उसे करने की स्वच्छन्दता होनी चाहिये । सम्भवतया, यह भी करने का एक ढंग है । प्रबन्ध अभिकर्त्ता उपलब्ध न हो सकें । 'स्वामी' शब्द की पर्याप्त लचकदार व्याख्या कर दी गई है । हो सकता है कि हमें अंशभागियों की बैठक बुलानी पड़े और हम उसे उन्हें वापिस दे दें । सदा यह बात नहीं हो सकती कि प्रबन्ध अभिकर्त्ता या संचालक उपलब्ध न हों । परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि मैं अपने आंपको वही करने के लिये वचन बद्ध कर लूं जिसे कि मेरे माननीय मित्र सब से अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण समझते हैं । मैं मानता हूं कि वह बुद्धिमान हैं, किन्तु मैं उन्हें इतना बुद्धिमान नहीं समझता कि वह पांच वर्ष आगे की बातों की भविष्य-वाणी कर सकते हैं । मुझे खेद है कि मैं उन के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड १३ में, प्रस्थापित नई धारा १८ छ की उपधारा (२) के खंड (घ) के स्थान पर निम्न खंड रखा जाये :

"(d) for requiring any person manufacturing, producing or holding in stock any such article or class thereof to sell the whole or part of the articles so manufactured or produced during a specified period or to sell the whole or a part of the articles so held in stock to such person or class of persons and in such circumstances as may be specified in the order;"

("किसी व्यक्ति को, जो ऐसी किसी वस्तु या उसकी किस्म का निर्माण, उत्पादन या संचय करता है, यह अपेक्षा करने के लिए, कि वह एक विशिष्ट कालावधि में इस प्रकार निर्मित या उत्पादित या संचित सभी वस्तुओं को या उसके किसी भाग को बेच दें और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ही और ऐसी परिस्थितियों में ही जो आदेश में विहित हों बेचे ;")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड १३ में, प्रस्थापित नई धारा १८ छ की उपधारा (३) में :

(१) "the whole or a specified part of the stock of any article or class thereof"

(किसी वस्तु या उसके वर्ग का समस्त संचय अथवा उसका उल्लिखित भाग) इन शब्दों के स्थान पर "any article" (कोई वस्तु) ये शब्द रखे जायें।"

(२) खंड (क) में, "can" (सकना) के पश्चात् "consistently with the controlled price, if any" (यदि कोई नियंत्रित भाव हो तो उससे संगत रहते हुए) ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बंसल ने अपना संशोधन वापिस ले लिया।

श्री सोधिया को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति नहीं मिली। अन्त में संशोधन गिर गया।

शेष सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

संशोधित रूप में खंड १३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १४ से १७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १८—(धारा ३० का संशोधन)

श्री के० के० बसु : मेरा संशोधन छोटा तथा सरल है। सभा में यह आशंका प्रकट की गई है कि सरकार कहीं सीमा से आगे न बढ़ जाये। मैं ने केवल यही सुझाव दिया है कि इस विधान के अंतर्गत सभी अधिसूचनाएं सदन पटल पर रखी जायें।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह आश्वासन तो दे सकता हूं कि यथासंभव सभी अधिसूचनाएं सदन-पटल पर रखी जायेंगी। परन्तु यह संशोधन इस धारा में ठीक नहीं बैठता। धारा ३० में नियम बनाने की व्यवस्था है और उप-खंड (४) में यह उपबन्ध है कि इस धारा के अंतर्गत बनाये गये सभी नियम संसद् के समक्ष रखे जायेंगे। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का खंड इस अधिनियम में नियम बनाने की शक्तियों में, अधिनियम की मूल धाराओं के अंतर्गत, किस प्रकार ठीक बैठ सकता है। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस विषय में मैं जो कार्यवाही करूंगा उसके विषय में सदन को अवश्य सूचित कर दूंगा पर उसके लिये कोई विधि की बाध्यता नहीं होनी चाहिये। मैं मंत्रालय से कह दूंगा कि वह इसका ध्यान रखे और हम जो भी अधिसूचना निकालें उसकी सदन को जानकारी दे दे। परन्तु मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह मौलिक अधिनियम की धारा ३० के अनुरूप नहीं है।

श्री के० के० बसु : इस आश्वासन को देखते हुए मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

खंड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १९—(प्रथम अनुसूचि का संशोधन)

श्री जाटव वीर तथा श्री के० के० बसु ने संशोधनों के प्रस्ताव रखे।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए।

अब खंड तथा संशोधन पर चर्चा हो सकती है।

डा० जाटव वीर : इस सदन में जो प्रवर समिति विकास उद्योग बिल के ऊपर बनी और उस ने बड़े परिश्रम से जो विधेयक तैयार किया है उस के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं और विशेष कर अपने उद्योग मंत्री को जो कि चर्म उद्योग से काफी

[डा० जाटव वीर]

परिचित हैं। जब मैं उन के आर्टिकल चर्म उद्योग के विषय में देखता हूं तो मेरा हृदय गद्गद हो जाता है। किन्तु जब हम चर्म उद्योग की अवनति को, उस के पतन को देखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी इस सदन का सदस्य ऐसा नहीं है जो यह न चाहता हो कि इस उद्योग की उन्नति हो और इस का विकास हो।

मैं ने अपने गत भाषण में यह बतलाया था कि भारत का जो कच्चा चमड़ा विदेश को भेज दिया जाता है उस की कीमत पांच वर्ष के अन्दर एक करोड़ प्रति वर्ष से दस करोड़ प्रति वर्ष तक हो गई है। जो चमड़ा प्रति वर्ष भारत से बाहर भेजा जाता है उस के एवज में जो तैयार माल उसी चमड़े का आता है उस की कीमत आठ गुनी हो जाती है और भारत का आठ गुना रुपया विदेशों को चला जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि हाइड्स और स्किन अर्थात् जो कच्चा चमड़ा विलायत जाता है वहां उसके बुरादे का नन्छोल बनाते हैं जो कि जूतों के बनाने के काम में आता है जो उनको बिना कीमत पड़ता है उसे भारत को नन्छोल के रूप में लाकर भेजते हैं, कच्चे माल की कीमत से भी अधिक लगा लेते हैं।

डा० जाटव वीर : मैं उन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लेदर गुड्स को शामिल कर लिया है। लेकिन मेरा ऐमेन्डमेन्ट है कि "इन्क्लूडिंग शूज़" ....

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोल रहे हैं कि शूज़ भी आ जाते हैं।

डा० जाटव वीर : यदि यह शामिल है तो आप इस को भी रख लीजिये। मैं समझता हूं कि उन को मेरे ऐमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लेना चाहिये।

इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जूता शब्द भी जोड़ दिया जाय क्योंकि जूते का काम करने वाले आज कल बहुत दुखी हैं और त्राहि त्राहि कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में जूता भी है।

डा० जाटव वीर : मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से पांच वर्ष पहले आगरा नगर में और कानपुर नगर में जूते का काम बहुत ज्यादा होता था अब $\frac{1}{4}$ भी नहीं है। आगरा नगर में ३५ हजार जोड़े जूते प्रति दिन बनते थे वहां आज उनकी संख्या १० हजार रह गयी है। इस उद्योग का इतना पतन हो गया है कि वहां के कारिगरों के मकान बिक गये हैं, जेवरात बिक गये हैं और अब उनके भूखों मरने की नौबत आ गयी है। तब मैं ने यह शब्द जूता का जोड़ दिया है ताकि जूते की समस्या पर भी विचार किया जाय। इसी के साथ रा मैटीरियल का प्रबन्ध ठीक नहीं है। चिंगल जो जूते में लगता है और जो कि एक रुपया पाउंड की चीज़ है वह ब्लैक मारकेट में १५ रुपया पाउंड मिलती है। आजकल जूते के दाम गिरते चले जा रहे हैं और बीच के दलालों का काम बनता है। इस समस्या पर बोलते हुए मैं अपने उद्योग मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा और इसी लिए मैंनेशू का शब्द जोड़ा है कि मैं उनको बताऊं कि इसके पतन का क्या कारण है और इसी लिए मैं ने अपना अमेंडमेंट दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां से कच्चा चमड़ा विदेशों को न भेजा जाय और उसका हमारे देश में ही टैनिंग किया जाय ताकि जो जूता बनता है वह सस्ता पड़े। इस देश की ज्यादा

से ज्यादा आबादी ३४ करोड़ है। श्री गाडगिल साहब ने एक स्कीम बनायी है कि हम इन ३४ करोड़ आदमियों को जूता दे सकें। परन्तु आजकल सिर्फ ६ करोड़ आदमी जूता पहनते हैं और २८ करोड़ जूता नहीं पहनते। अगर यह सारे के सारे ३४ करोड़ जूता पहनने लग जांय तो मैं हिसाब लगाकर कह सकता हूं कि २५ लाख आदमियों को रोजगार मिल जायगा और उनको कम से, कम चालीस पचास रुपया महीना मिलने लग जायगा। इस उद्देश्य को लेकर मेरा कहना है कि हमारे यहां से कच्चा चमड़ा बाहर न भेजा जाय। राजस्थान से भरतपुर, कोटा, बीकानेर वगैरह से कच्चा चमड़ा विलायत को भेजा जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट चमड़े के उद्योग के लिये यहां फैक्टरियां खोले और विकास योजना में इस पर रुपया खर्च किया जाय।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज जब कि हमारी गवर्नमेंट घरेलू धंधों पर इस टैनिंग इंडस्ट्री पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना चाहती है तब कोई वजह नहीं है कि स्टेट्स के अन्दर इस चीज़ पर सेल्स टैक्स लगाया जाय। अगर हम चमड़ा लेते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स भी लगता है तो उन पर सेल्स टैक्स और मेडीकुरम टिंगल यानी हर एक वस्तु पर सेल्स टैक्स। और जब कारीगर अपने जूतों को डलियों में लेकर बाजार जाता है तो फिर उन जूतों पर सेल्स टैक्स लगता है। जिस चीज को कारीगर और उसके बीवी बच्चे मिल कर घोर परिश्रम से बनाते हैं उस पर लगभग दो तीन आना सेल्स टैक्स लगाया जाता है। मैं अपने उद्योग मंत्री से कहूंगा कि यदि वह इस जूते की इंडस्ट्री को विकास देना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वह ऐसे प्रान्तीय सरकारों को आदेश भेजें कि इस तरह से सेल्स टैक्स न लगाया जाय जिससे अदा न होने पर कारीगरों के मशीन, औज़ार, फरमें, छप्पर, घर और बासन तक कुर्क हो जाते हैं। जल्दी से जल्दी कुटीर धंधों पर सेल्स टैक्स समाप्त हो।

तीसरी चीज़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स है। जहां किसी कारीगर ने बेगार नहीं दी वहां उन्होंने उस पर ३०, ४० रुपया टैक्स लगा दिया। आगरा नगर में आज से कुछ वर्ष पहले जब कि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी टैनिंग की नादों पर १) लाइसेंस फीस थी। आज द्वेष भाव से यह ३० गुना बढ़ा दी गई है।

मैं जूते की समस्या पर ही बोल रहा था। तो मैं यह कह रहा था कि सरकार को हम अनपापुलर गवर्नमेंट कहते हैं उसके वक्त में एक रुपया टैक्स लगता था और अब हमारी सरकार आयी जो कि हरिजनों का उद्धार करने वाली है चमड़े के उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली है ज़िला बोर्डों ने एक रुपये की जगह तीस रुपया टैक्स लगा दिया। बतलाइये यह कैसी पापुलर गवर्नमेंट है। मैं उद्योग मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि मैंने इस विषय पर उनके आर्टिकल पढ़े उन्होंने इस विषय को स्टडी किया है। मैं इस विषय पर काफी बोलना चाहता हूं। मुझे समय दीजिये।

इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रत्येक स्टेट, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, पूर्वी पंजाब आदि में टैनरी कायम कीजिये। और चमड़े को यहीं डेवलेप कीजिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जूतों के रेट्स मुकर्रर होने चाहिएं। आपने जो लेदर गुड्स के बारे में कहा उससे मैं प्रभावित नहीं और मुझ बड़ी प्रसन्नता हुई कि सरकार

[श्री जाटव वीर]

का ध्यान इस तरफ हुआ। लेकिन ऐसा न हो कि नाम तो जूते वालों अथवा हरिजनों का हो और काम स्वर्ण साहब का हो और ये बेचारे कारीगर ताकते रह जायं। मैं देखता हूं कि आपने सिलेक्ट कमेटी में साक्षी के लिये बाटा को बुलाया और आल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया श्री राम जी देहली आल इंडिया मिल्ज़ ऐसोसिएशन को बुलाया लेकिन मुझे खुशी होती यदि आप एक छोटे कुटीर उद्योग धंधों वालों में से किसी एक हरिजन को भी गवाही देने के लिए बुलाते, मुझे बुलाते, बंगाल लेदर एसोसिएशन के प्रधान श्री रामानन्द दास एम० पी० को बुलाते। मैं चाहता हूं कि जो उद्योग बोर्ड बनाया जाय उसमें इन छोटे कुटीर उद्योग धंधों वाले लोगों में से भी एक आदमी को रखा जाय। हरिजन भाई ६ करोड़ हैं जिनमें से १/४ करोड़ इस काम को करते हैं। इनमें से भी एक आदमी ज़रूर होना चाहिए। तभी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरे मैं यह हृदय से चाहता हूं कि इस उद्योग का राष्ट्रीय करण किया जाय और इससे इन लोगों को मदद मिले लेकिन ऐसा न हो कि दूसरे लोग बीच में ठेकेदार व दलाल बन जायं और लाभ उठावें पर रुपया हरिजनों के नाम लिख दिया जाय। जो चमड़े के काम करने वालों का ऐसोशियेशन है उसमें से आप किसी को लीजिये उन्हीं के आधार पर उनको ग्रांट दीजिये जैसा कि यू० पी० सरकार ने किया है। और यह काम सहकारिता के आधार पर होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण हो जाय तो बहुत अच्छा हो। इसका विकास सहकारिता के आधार पर किया जाना चाहिए। जूतों का दाम कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल हो जायगा तो आपके इंस्पैक्टर जो जनता का कोई लाभ कर सके अपना काम ठीक से कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिसमें मैं उद्योग मंत्री की सिफारिश चाहता हूं। पहली सरकार पुलिस और मिलिटरी के लिए काटेज इंडस्ट्री यानी घरेलू कारखाने से जूते लिया करते थे। लेकिन आज हमारी सरकार जो कि काटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देना चाहती है वह बाटा और फ्लैक्स वगैरह कम्पनियों से यह सामान लेती है। मैं चाहता हूं कि अगर काटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो घरेलू कारखानों से पुलिस और मिलिटरी के लिए जूते खरीदिये। इसमें आपको जूता सस्ता भी मिलेगा। पुरानी सरकार भी काटेज इंडस्ट्रीज़ से पुलिस और मिलिटरी के लिए जूते खरीदा करती थी। मैं चाहता हूं कि हमारे उद्योग मंत्री डिफेंस और पुलिस मंत्री से यह सिफारिशें करें कि वह काटेज इंडस्ट्री से पुलिस और मिलिटरी के लिए जूते खरीदें। मैं रक्षा मंत्री, पुलिस मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी बात मुझे और कहनी है। वह यह है कि मारकेटिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए। इन्हीं कारखानों वालों की दुकानें हों, सरकार की उसमें सहायता हो जो बड़े बड़े लोग हैं वह विलायत से माल खरीद लेते हैं और छोटे लोगों को नहीं मिल पाता। यह कम सहकारिता के आधार इन्हीं कारीगरों पर होना चाहिए ताकि सब को सस्ता माल मिल सके और जूता सस्ता हो। श्रीमान् जी यह भारत का बहुत बड़ा उद्योग है। कोई पुरुष इस सदन में ऐस नहीं है जो कि बिना जूते के हो। यहां पर जो हमारे पंडित माललीय

जी बैठे हैं उन्होंने यू० पी० में इस काम के लिए डेढ़ लाख रुपया खर्च किया था, उसका कोई फल नहीं रहा। लेकिन हमारे सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वह अब यहां चले आये हैं और एजूकेशन मिनिस्ट्री में हैं और यू० पी० के अन्दर वह काम चलना बन्द हो गया है ठीक प्रोत्साहन न मिला।

चौ० रणबीर सिंह : यहां भी वजीफे दे रहे हैं।

श्री के० डी० मालवीय : काम अब भी खूब चल रहा होगा।

डा० जाटव वीर : आखिर में मैं यह कहूंगा कि मुझे आशा है कि जो कुछ मैं ने कहा है उससे हमारे उद्योग मंत्री जी सहमत होंगे कि जूता एक ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्य समुदाय में से हर एक के लिए अनिवार्य है। भारत का यह सब से बड़ा उद्योग है इसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। आप यह कह सकते हैं कि यह बात विरोधी पक्ष की तरफ से आयी है। मगर यह बात लाभदायक सच्ची है और सच्ची बात चाहे किसी तरफ से आवे उसे स्वीकार करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के० के० बसु : निजी क्षेत्रों में कुछ मुख्य उद्योगों को नियंत्रित करने तथा उनके बारे में निवनियमन बनाने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। किन्तु परिशिष्ट में दी गई उद्योगों की सूची का यदि हम विश्लेषण करें तो देखेंगे कि अब भी बहुत से बड़े बड़े तथा मुख्य मुख्य उद्योग इस परिशिष्ट की सूची में से छोड़ दिये गये हैं। अर्थात उनके बारे में सरकार नियम नहीं बना सकती तथा उन पर नियंत्रण नहीं रख सकती। उस दिन अतएव मैं ने यह सुझाव रखा था कि परिशिष्ट में और दूसरे उद्योगों को भी सम्मलित कर लेना चाहिए ताकि यदि समस्त उद्योगीकरण के लिए आवश्यकता पड़े तो उन उद्योगों को भी सरकार ले सके। चाय विधेयक के अन्तर्गत सरकार के पास इतने अधिकार नहीं हैं जितने कि इस वर्तमान विधेयक में हैं। अतएव सरकार को चाहिए कि इस उद्योग को सुचारु रूप से चलाने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए इस उद्योग को अपने हाथ में ले ले। ताकि लाभ के दिनों में इस उद्योग द्वारा होने वाले लाभों का उचित प्रयोग किया जा सके।

यही बात लाख उद्योग के बारे में भी है। जब इसका निर्यात जारी था तो इस उद्योग में भी बहुत से लाभ हुए हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में मंदी आने के साथ ही साथ यह उद्योग भी ठप्प हो गया। और लगभग २० हजार व्यक्तियों को नौकरी से अलग कर दिया गया।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मेरे कहने का तात्पर्य तो यह है कि परिशिष्ट में लाख, अभ्रक, जटा तथा दियासलाई उद्योग को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए।

दियासलाई उद्योग के लिए विदेशी कम्पनियां भारतवर्ष में खुली हैं। उन कम्पनियों को आयात निर्यात कर सम्बन्धी सभी छूट मिलती है।

तम्बाकू के विषय में मेरे माननीय मित्र श्री अल्वा पहले ही कह चुके हैं कि भारत में केवल एक सिगरेट बनाने की कम्पनी है जिसे राष्ट्रीय कम्पनी कहा जा सकता है किन्तु उसे भी इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी की प्रतिद्वन्द्विता में हार खानी पड़ी।

[श्री के० के० बसु]

हमारी सरकार ने तीन अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को तेल शुद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी है और इन्हीं कम्पनियों ने तेल के सभी बाज़ार पर पूरा पूरा प्रभुत्व जमा रखा है। इन कम्पनियों को उद्योग (विकास और नवनियमन) अधिनियम से अलग कर रखा है। जहां तक मेरा विचार है इनको आश्वासन दिया गया है कि आगामी २० वर्षों तक इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। तेल उद्योग स्थिरता तथा सुरक्षा के विचार से बहुत बड़ा उद्योग है। इनके प्रशासन में हमारा कोई महत्व नहीं है। यदि सरकार निजी क्षेत्रों के उद्योगों पर नियंत्रण करना तथा पंच वर्षीय योजना के उद्देश्य को पूरित करना चाहती है तो इस अधिनियम के उपबन्धों से इन उद्योगों को बांधना चाहिए। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि इन उद्योगों को इस अधिनियम से अलग क्यों रखा गया है ?

यह तो स्पष्ट है कि इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीयकरण नहीं है। अतएव मैं सकार से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे उन सुझावों को स्वीकार कर ले जो कि इस परिशिष्ट के बारे में हमने किये हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो सरकार कार्यवाही कर सकती है। अतएव यदि परिशिष्ट को बढ़ा दिया जाता है तो उसके बढ़ाने में कोई हानि नहीं है।

श्री बंसल : मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्य का ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन बातों को वह परिशिष्ट में सम्मिलित कराना चाहते हैं उनमें से बहुत सी तो भिन्न भिन्न विधानों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। उदाहरणतः लाख अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित लाख मंडल द्वारा लाख उद्योग पर नियंत्रण किया जाता है। उसी प्रकार अभ्रक मंडल, चाय बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड आदि हैं। अतएव अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि वे इस परिशिष्ट में सम्मिलित किये जायं। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जटा बोर्ड की भी स्थापना की जायगी।

केवल दियासलाई उद्योग ही रह जाता है जो इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आया है। मेरे विचार से इसके विकास को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं है कि इसे परिशिष्ट में सम्मिलित किया जाय।

तेल शुद्ध करने वाली कम्पनियां भी एक भिन्न समझौते के अनुसार नियंत्रित की जाती हैं। यह समझौता भारत सरकार ने इन कम्पनियों से किया है। और ये कम्पनियां उस समझौते के अनुसार काम करने के लिए बाधित हैं। और फिर सरकार भी तो इन में भागीदार है अतएव मैं माननीय सदस्य से इस बात में सहमत नहीं हूं कि यदि इनको परिशिष्ट में सम्मिलित नहीं किया गया तो ये अनियंत्रित रहेगी।

श्री वेंकटारमन (तंजौर): जब प्रारम्भ में उद्योग (नियंत्रण तथा निवनियमन) विधेयक प्रस्तुत किया गया तो चाय उद्योग को नियंत्रण सूची में सम्मलित किया गया था। प्रवर समिति ने भी इसके बारे में अपनी सहमति दे दी। कुछ समय उपरांत दुबारा से इसे प्रवर समिति को भेजा गया अब की बार प्रवर समिति ने इसे नियंत्रण सूची में से निकाल दिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो बताया गया कि शीघ्र ही एक नया विधेयक प्रस्तुत किया जायगा जो चाय उद्योग पर नियंत्रण करेगा। इस उद्योग के महत्व के विषय में आप सभी भली भांति जानते हैं। इसके द्वारा सब

से अधिक डालरों की आय होती है। इसमें लगभग १० लाख व्यक्ति काम करते हैं। संसार में उत्पादित होने वाली चाय का आधा भाग हमारे यहां उत्पादित होता है। इन सभी बातों के होते हुए भी इस उद्योग को उद्योग (विकास तथा निवनियमन) संशोधन विधेयक से अलग क्यों रखा गया है।

मेरा यह कहना है कि यह चाय विधेयक उद्योग (विकास तथा निवनियमन) संशोधन विधेयक के मन्तव्यों की पूर्ती नहीं करता यह नया चाय विधेयक भी बहुत सी उन आवश्यक एवं मुख्य बातों को नहीं रखता जो कि चाय उद्योग के लिए अति आवश्यक हैं।

इसके अन्तर्गत न तो जांच की, न किसी आदेश देने की तथा न नियंत्रण करने के अधिकार दिये गये हैं। मेरे विचार से उद्योग (विकास तथा निवनियमन) संशोधन विधेयक की यही आवश्यक बातें हैं।

चाय विधेयक में इन निवनियमनों को जोड़ने की अपेक्षा तो यही अच्छा है कि उद्योग (विकास तथा निवनियमन) संशोधन विधेयक के परिशिष्ट में सरकार चाय को सम्मिलित कर ले। ऐसा करने से भविष्य में होने वाले उन सभी संशोधनों पर रोक लग जायगी जिनके चाय विधेयक में समय समय पर आने का डर है।

हम को अब यह भी नहीं बताया गया है कि उद्योग (विकास तथा निवनियमन) संशोधन विधेयक की धाराओं को चाय विधेयक में न जोड़ने का ठीक कारण क्या है? मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने विचार पर पुनर्विचार करें और वह न केवल चाय को ही इस परिशिष्ट में सम्मिलित करें अपितु यदि हो सके तो काफी, रबर तथा अन्य पौदों से उत्पादित मुख्य मुख्य वस्तुओं को भी सम्मिलित करें।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खेद है कि मैं प्रस्तुत किए गए संशोधनों में से किसी को भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री बसु के संशोधन के संबंध में, मैं समझता हूं सनके संशोधन की अंतिम मद, मद संख्या ६ में आ जाती है। यह कदाचित केवल यह प्रकट करता है कि यह संशोधन अधिनियम के वर्तमान उपबंधों को बिना देखे ही जल्दी में बनाया गया है और निश्चय ही वह यह भी नहीं चाहते हैं कि मैं उन्हीं के समान जल्दबाजी से बिना सोचे विचारे अथवा छान बीन किए हुए विभिन्न विषयों को अनुसूची में सम्मिलित कर लूं। इस बात को मैं अस्वीकार करता हूं।

डाक्टर जाटव वीर के संशोधन के संबंध में, जैसा कि मैं ने उनके बोलने के बीच में कहा था, चमड़े के माल में जूते भी सम्मिलित हैं, और इसलिए यह संशोधन आवश्यक नहीं है। और दूसरे मामले जिनकी उन्होंने चर्चा की वे सदन के सामने के संशोधन के ठीक संगत नहीं हैं। चाहे जूता भी एक मद हो, विशेष तौर पर उल्लिखित हो अथवा अन्यथा, फिर भी इस प्रस्ताव का कार्य-क्षेत्र सीमित है।

किसी माननीय सदस्य ने खण्ड ४ के निकाल दिये जाने का विरोध किया था। इस से यह निश्चित रूप से प्रकट हो जाता है कि सदन इस विधेयक के द्वारा इन उद्योगों में होने वाले हस्तक्षेप के संबंध में सीमा निश्चित करना चाहता है ताकि छोटे उद्योगों में हस्तक्षेप न हो सके।

वास्तव में बात यह है कि वे अधिकांश इकाइयां, जिन में मेरे माननीय मित्र श्री

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

जाटव वीर रुचि रखते हैं, छोटी इकाइयां हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने जो कुछ कहा उस पर सरकार को काफी सोच विचार करना चाहिए लेकिन वह कार्य दूसरे ढंग से होना चाहिये, यहां के उपबन्ध को, जिस में उन के ध्यान में जो मदें हैं वह भी आ जाती हैं, विस्तृत कर के नहीं। मेरे माननीय मित्र श्री बंसल द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में, वह भी श्री बसु के ही पथानुगामी हैं। मेरे माननीय मित्र श्री वेंकटारमन ने ऐसा विषय उठाया है जिस से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं। जब हम किसी अगले अवसर पर ——चाय विधेयक पर बहस करेंगे——मैं समझता हूं कि हम उसे इसी सप्ताह में हाथ में ले सकेंगे——तो श्री वेंकटारमन को चाय पर बोलने का अवसर मिल सकता है। मैं मानता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था उस में की जानी है लेकिन यहां जो कुछ किया जा रहा है उस के अनुरूप वह नहीं हो सकती। उस की इस विधेयक की अनुसूची में रखना चाय अथवा बागों के विषय में आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुरूप नहीं होता है। जब उस उद्योग को नियंत्रित करने के लिए एक अलग विधेयक होगा तब उन उपबन्धों को रखने का उचित स्थान वह विधेयक होगा। कुछ अन्य वास्तविक कठिनाइयां भी हैं जिन की चर्चा मैं चाय विधेयक में करूंगा। इन उपबंधों को चाय अधिनियम में रखने में भी कुछ कठिनाइयां हैं और मैं उस पर उचित अवसर पर कहूंगा और मैं नहीं समझता कि मैं इन उपबन्धों को उन के वर्तमान रूप में चाय उद्योग के लिए काम में ला सकता हूं, इस बात के होते हुए भी कि कुछ अन्य कठिनाइयां भी हैं जिन के बारे में मैं यहां कुछ नहीं कहूंगा, यद्यपि मैं देख रहा हूं कि मेरी तरफ के एक सदस्य विपक्ष के एक प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार हैं।

मेरे मित्र को थोड़ा सब्र करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन उचित समय पर होना चाहिए। हमें चाय विधेयक पर बोलने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। पर इस प्रश्न को उठाने का यह उचित समय नहीं है। मुझे खेद है कि मैं प्रस्तुत किए गए संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री के० के० बसु : क्या माननीय मंत्री का यही कहना है कि लाख तथा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी हमारे पास वही उपबन्ध हैं जो कि यहां पर बोर्ड के निर्माण तथा उस के कार्य संचालन के सम्बन्ध में दिए गए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे जो कहना है वह साधारण सी बात है। मैं इन विशेष अधिनियमों की गहराइयों में नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यदि मैं इस प्रकार का कोई संशोधन स्वीकार करने जा रहा हूं तो मुझे एक छान बीन कर लेनी चाहिए और इस बात के लिए सन्तुष्ट हो जाना चाहिए कि उस को स्वीकार करना आवश्यक है। बिना यह सब किए हुए मैं कोई संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। यदि मेरे माननीय मित्र कुछ मदों का विस्तार करवाना चाहते हैं तो मैं उस को इस स्थान पर मान तो लूंगा लेकिन मैं उत्तरदायित्वों को स्वीकार नहीं कर सकता बिना यह जाने हुए उस उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है और उस को मैं किस प्रकार निबाह सकता हूं, चाहे मैं यह भी मान लूं कि वह सुझाव सद्विचारों से प्रेरित है। लेकिन ऐसे तो बहुत सी अन्य चीजें भी सद्विचारों से उत्पन्न होती हैं।

सभापति महोदय : सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

खण्ड १९ विधेयक में जोड़ लिया गया।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ लिया गया ।

शीर्षक और अधिनियमन सूत्र भी विधेयक में जोड़ लिए गए ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् यह प्रस्ताव रखने से पूर्व कि संशोधित विधेयक स्वीकार कर लिया जाय, मुझे एक निवेदन करना है । संशोधन में, जो मेरे माननीय मित्र श्री सोधिया ने प्रस्तुत किया था और जिसे मैं ने स्वीकार कर लिया था, मेरे वैधानिक सलाहकार के अनुसार, थोड़ा सा भाषा संबंधी परिवर्तन आवश्यक है । प्रयोजन उसमें है । भाषा संबंधी परिवर्तन का सुझाव यह है कि खण्ड ६ में, धारा १० क में "may" (सकना) के बाद, मेरे माननीय मित्र के संशोधन के स्थान पर, "व्यवसाय के स्वामी को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद" शब्द जोड़ दिए जायें । मैं आशा करता हूं कि सदन इस भाषा संबंधी परिवर्तन को स्वीकार करेगा । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

खण्ड ६ में प्रस्थापित धारा १० क में श्री सोधिया द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा सदन द्वारा स्वीकृत हुए संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"may" (सकना) के पश्चात् "After giving an opportunity to the owner of the undertaking to be heard" (व्यवसाय के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्) ये शब्द जोड़ दिए जायें ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संशोधित रूप में विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस विधेयक के दो पहलू हैं । एक के अनुसार सरकार के आदेशों का यदि कोई उद्योग पालन न करे, तो सरकार उसे अपने नियंत्रण में ले सकती है । मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूचि में विकास परिषद की विशाल शक्तियां हैं । अभी विकास परिषद की बैठक हुई थी, और उन्होंने अभी प्रभावपूर्ण कार्य प्रारम्भ नहीं किया । यदि सरकार इस विधान की बाबत गम्भीरता से विचार करती है, तो दूसरे परिषद बनाने से पूर्व इन दो डीजल इंजन और उर्वरक उद्योगों के परिषद के कार्य की पड़ताल करे । वास्तव में ये परिषद आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं । परन्तु सरकार को इन परिषदों के व्यवहार की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि इनका व्यवहार पुरानी नौकरशाही के ढंग का नहीं होना चाहिए । और मुझे सरकार से इस विधान को बनाने की आशा तो नहीं, तो भी मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इसे बनाने में कितना समय लगेगा ? शायद मंत्री जी मेरी बात को नहीं सुन रहे ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : उन की ओर से कोई अन्य महानुभाव सुन रहे हैं ।

सभापति महोदय : वे चाहते हैं कि मंत्री जी इस पद को विशेष ध्यान से सुनें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे बन्धु ने यही बात कही है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि विकास परिषदों का निर्माण शीघ्र ही होगा और इस ढंग से, कि इस विधान को वास्तविक रूप में ही स्थापित किया जायगा । इन विकास परिषदों का मुख्य उद्देश्य उद्योग के उत्पादन को बढ़ाना है, तथा उस के लिये उपायों का

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

सुझाव करना। इसके बारे में देश के उद्योगपति कहते हैं कि देश की वर्तमान स्थिति में आर्थिक विकास नहीं हो सकता। वास्तव में ये सारी समस्याएं उन्होंने ही खड़ी की हैं। ये उद्योगपति कहते हैं कि बेकारी को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि इन उद्योग-पतियों की समाज में प्रतिष्ठा है, अतः वे ऐसी बातें कह जाते हैं। सरकार का व्यवहार उन से भी बुरा है, जैसा कि समुद्री जहाजों और शस्त्रास्त्र फैक्ट्रियों के साथ है।

यदि सरकार इन आवश्यक और महत्व-पूर्ण उद्योगों का विकास चाहती है, तो इसे ऐसे साधन और मार्ग ढूंढने चाहिएं कि सामाजिक विकास की मांगों और आर्थिक विकास की मांगों में सहयोग रहे।

हमारे सूती कपड़े और इंजीनियरी उद्योग का परीक्षण हुआ। छंटनी सामाजिक व्यवस्था के लिये आवश्यक नहीं परन्तु फिर भी लोग कम किये जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मज़दूरों के स्वास्थ्य और शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाय। इस पर भी खर्चा होगा। परन्तु सरकार निर्णयता से कहे कि इस प्रकार का विधान बनाया जायगा, और आर्थिक विकास की दृष्टि से सामाजिक उन्नति की मांगों पर योग्य विचार किया जायगा। मैं ऐसा इसलिये कहता हूं कि विकास-परिषदों का काम जहां मजदूरों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाना है, वहां उन के लिये उन्नति की सुविधायें और कार्य की सुविधायें भी प्राप्त कराना है। मुझे सरकार के कार्य और विवाद से ऐसा जंचता है कि सरकार इस विधान को बनाने में इसके उद्देश्य को अनुभव नहीं करती। सरकार ने गैर सरकारी अंग को इतनी प्रमुखता दी हुई है कि यह अभी चलेगी। योजना आयोग भी इसे मानता है। अतः सरकार इस विधान को लाने में हिचकचाती है। अब हम इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार की सहायता करते हैं, परन्तु सरकार की इच्छा इस विधान को बनाने की नहीं, अन्यथा वह प्रबन्ध-अभिकरण के साथ इतनी दयालुता का व्यवहार न करती।

विधेयक के विवाद की प्रारम्भिक अवस्था में माननीय मंत्री ने कहा कि विदेशी प्रबन्धक अभिकरणों के विरुद्ध शिकायत हो तब हम उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। वे पहले ही बड़ी कम्पनियां थीं अब और अधिक विशाल हो गई हैं। मुझे सरकार की यह नीति समझ में नहीं आती यदि वह इन का नियंत्रण करना नहीं चाहती, तो कम से कम उनके लाभों का तो नियंत्रण होना ही चाहिये।

इस के विषय में मैं सदन का ध्यान डनलप रबर कम्पनी की ओर दिलाना चाहता हूं जिनके पास मूलधन १.४६ करोड़ है। यह भारत सीमित है। परन्तु इस पर विदेशी लोगों का प्रभुत्व है और लन्दन की गारडियन बीमा कम्पनी इस के हितों की रक्षा करती है। नाम मात्र के लिये इसके प्रबन्धक भारतीय लोग भी हैं, परन्तु यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिये है। इस कम्पनी का वार्षिक लाभ ९० या ९५ लाख के लगभग है। और अब ये लाभ को कम करके दिखाते हैं। मद्रास ट्रेमवे की तरह ही, इसके हिस्सेदार भी प्रतिज्ञा-लेख-नियंत्रकों की दया पर हैं। मद्रास ट्रेमवे को अपना काम बन्द करना पड़ा था और बहुसंख्या में लोग बेकार कर दिये गये थे।

श्री के० के० देसाई खड़े हुए—

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा।

श्री **के० के० देसाई** : इस विधेयक के सम्बन्ध में इन तथ्यों का क्या सुझाव है ?

सभापति महोदय : यदि सदस्य चाहे तो इसका उत्तर दे सकता है ।

श्री **एच० एन० मुखर्जी** : शायद सदस्य महोदय इस समस्या का निधान पूछना चाहते हैं ।

श्री **के० के० देसाई** : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसका विधेयक से कोई सम्बन्ध है ।

श्री **एच० एन० मुखर्जी** : मैं देश में वर्तमान तथ्यों का वर्णन कर रहा था और यह उसका एक उदाहरण था । मैं ने केवल मंत्री जी का, अपितु सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ये विदेशी-प्रबंधक अभिकरण किस प्रकार हमारे देश में चल रहे हैं । यदि हम गम्भीरता से इस विधान को लेंगे, तभी हम इन समस्याओं का हल निकाल सकेंगे ।

हम इस विधेयक के उद्देश्य के लिये इस का पक्ष लेते हैं । परन्तु माननीय मंत्री इस विधान के विषय में बड़े लम्बे २ विवरण देते हैं, कि वे देश में फैले हुए इन हितों से किस प्रकार व्यवहार करेंगे, परन्तु खेद की बात है कि इस विधान को कार्य रूप देने की उनकी इच्छा नहीं दिखाई पड़ती ।

कछ सदस्य उठ खड़े हुए—

सभापति महोदय : हमने इस विधेयक के विषय पर अच्छी प्रकार से विवाद कर लिया है । तो भी यदि माननीय सदस्य बोलना चाहें तो मैं उन्हें आज्ञा दे सकता हूं । पर यदि वे मेरे साथ सहमत हों, तो हम अगला विधेयक लें । मैं मंत्री को बुलाता हूं । माननीय मंत्री ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने कम्यूनिस्ट पार्टी (साम्यवादी दल) के नेता के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द को बड़े ध्यान से सूना है, क्योंकि, चाहे हमारे बीच कितना भी मत भेद है, तो भी वे अपनी बात को बहुत युक्तिसंगत ढंग से रखते हैं, और जो कुछ कहते हैं, उसको कोई भी अपराध नहीं कह सकता ।

विकास परिषदों के सम्बन्ध में मैं उन्हें अपने साथ थोड़ा सहमत होने के लिये कहूंगा । मुझे स्वयं अपने आप को देखना है । मैं ने दो विकास परिषद् स्थापित किये हैं, यह ठीक है । मैं और अधिक भी स्थापित करना चाहता हूं । परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है कि इस से हमारे सब कष्ट दूर हो जायेंगे । बहुत से विकास परिषद् स्थापित करने से पहले मैं इन परिषदों का लगभग छः महीने तक काम देखूंगा । यह योजना, योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई है । यह निस्सन्देह सत्य है । परन्तु मुझे इस मामले में कुछ सन्देह है, और मैं इस प्रयोग को सफल हुआ देखना चाहता हूं । इसी कारण से मैं धीरे धीरे चलता हूं । जब एक बार यह सफल हो जाय, तो कोई कारण नहीं कि हम बीस या तीस विकास परिषद् स्थापित न करें । हो सकता है माननीय सदस्य इसे इतना महत्व न दें, और अपने मन में दूसरे देशों के विकास परिषदों के भाग्य को बिठा लें, जहां इन का प्रयोग किया गया है और जिनका अनुसरण यहां किया गया है, अर्थात् यू० के० । परन्तु वहां वे सफल नहीं हो सकीं ।

वहां बहुत सी परिषद स्थापित की गई थीं और अब केवल दो रह गई हैं अर्थात फरनीचर और सूत की । मुझे पता लगा है कि ये दोनों भी समाप्त होने वाली हैं । इसका यह आशय नहीं, कि वैसा ही यहां भी होगा । हमारी विचारधारा इन परिषदों के अनुकूल हो सकती है, और हम अधिक अच्छी प्रकार उनको निभा सकते हैं ।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

किसी भी समय सरकार निश्चित नियंत्रण का विचार कर सकती है । दूसरे देशों की तरह झूटे का काम नहीं है । हमारे विचार स्पष्ट हैं । चाहे हमारे द्वारा नियंत्रित हों, अथवा नहीं, हम उत्पादन के सब साधनों का नियंत्रण कर लेंगे । इस लिये विकास परिषदें इस दृष्टि से लाभदायक अंग बन सकती है । अतः मैं माननीय सदस्य से मेरे साथ सहमत होने के लिये कहूंगा। यदि वह समझते हैं कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, वे मेरे साथ कुछ कृपालुता रखें इस लिये, कि मैं कम भीरु हूं। भीरुता सदा एक गुण नहीं है, परन्तु कभी कभी यह गुणकारी भी होती है ।

सरकारी लेख-संग्रह के सम्बन्ध में, मैं नियोजक के नाते कुछ नहीं कहूंगा। वास्तविक बात यह है कि चाहे सरकार लोगों को नियोजित करे, अथवा कोई गैर सरकारी व्यक्ति, नियोजक को एक से ही कष्टों का सामना करना पड़ता है । निस्सन्देह सरकार की दृष्टि में कई उद्देश्य और नैतिक आदर्श होते हैं, जिनका बोझ गैर सरकारी नियोजक पर नहीं होता । तो भी यदि माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं कि सरकार ने योग्य काम नहीं किया, इस के लिये कई दूसरी परिस्थितियां हैं, जो इसके वास्तविक कारण हैं, परन्तु वे सरकार के संगठन में मूलभूत नुक्स नहीं हैं । इससे इनकार नहीं किया जाता कि श्रम के लिये योग्य आदर्श और उचित व्यवहार रखने के लिये सरकार किसी के सामने नहीं झुकती । परन्तु यदि वे इसे करने में असमर्थ हैं, तो इसका श्रम का पहलू भी ध्यान देने योग्य है । धीरे धीरे चलने की नीति हो सकती है । हमें इस प्रकार के स्वभाव का सामना एक या दो उद्योगों में करना पड़ता है । मैं माननीय सदस्य से सहायता की आशा रखूंगा कि श्रम को बतलाया जाय, कि चाहे राजनीतिक विचारधारा कैसी भी हो, परन्तु जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, इस का कोई मतलब नहीं कि कौनसा दल श्रम का नियंत्रण करता है, परन्तु श्रम के लिये धीरे काम करने की नीति अच्छी नहीं है । मैं श्रम की ओर इस दृष्टि से ध्यान देने के लिए तैयार हूं कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाय, योग्य सुविधायें और वेतन दिये जायं, परन्तु मेरा सम्बन्ध किसी विशेष टुकड़ी से नहीं, जहां अर्धप्रवीण श्रमिक ५०० रुपये प्राप्त करती है । यह ऐसी बात है जिसे हमें यथाशीघ्र प्राप्त करना चाहिए । परन्तु मैं माननीय सदस्य की सहायता और सहकार्य की भी इच्छा करता हूं यह देखने के लिये कि श्रम सुस्त न चले । ऐसा न करके बेशक कई दूसरे राजनीतिक लाभ उठाये जा सकते हैं, परन्तु मुख्य अर्थात आर्थिक उन्नति खोई जायगी ।

मेरे मित्र ने विदेशी उद्योगों के सम्बन्ध में विशेषकर डनलपस के बारे में निदेश किया । मेरा विचार है कि उनको इसका वर्णन करने का औचित्य है । औचित्य इस बात में है कि मैं ने उसे कुछ माना है । मैं ने सारे मामले का निर्देश प्रशुल्क आयोग से किया है, और यदि वे केवल आयोग के निदश के पदों को देखेंगे, वे ऐसा पायेंगे कि इन सब बातों पर विचार किया गया है । अर्थात गत वर्षों में प्राप्त लाभ, नियंत्रित मूल्य पर खरीदी गई रबड़ से मूल्य का लाभ, युद्ध समय में दी गई वित्तीय सहायता का लाभ, और आय कि प्राप्त की गई कीमतें ठीक हैं । मुझे इसका ज्ञान है । परन्तु मैं नहीं समझता कि जहां तक स्वामित्व का संबंध है, इस प्रकार का उपाय देश के उद्योग के ढांचे को कैसे बदल सकता है, उसे

दूसरे ढंग से किया जाना पड़ेगा । यह संभवतया वहां है जहां हम सैद्धान्तिक रूप में असहमत हैं । शायद मैं धीरे चल रहा हूं और वे मुझे तेज़ चलने के लिये कहते हैं ।

मैं एक और सूचना देना चाहता हूं । डनलपस की स्थिति फायरस्टोनज़ की अपेक्षा अच्छी है, जहां मूलधन कम है और लाभ अधिक है । यह गैर सरकारी सीमित कम्पनी है, जहां सब लाभ बाहर भेजे जाते हैं । उनका उपयोग देश के लिये नहीं होता । डनलप उससे काफी अच्छी है, जहां ५३ प्रतिशत मूलधन भारतीयों के हाथों में है । दूसरी कम्पनी में ऐसा नहीं है ।

मुझे स्थिति का ज्ञान है । परन्तु उस का निधान इस विशिष्ट उपाय से नहीं हो सकता । इस विशिष्ट उपाय से केवल उद्योग का काम चल सकता है । यदि हम अपने आप को इन संकुचित उद्देश्यों तक ही सीमित रखें, हमें संकुचित ही कहना चाहिए, यद्यपि ये उद्देश्य संकुचित हैं किन्तु राष्ट्रीय बचत के विचार से बड़े महत्व के हैं तो मैं समझता हूं कि हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी । एक बार यदि हम इसे छोड़ दें और इसे दूसरे कामों के लिए प्रयोग करने लगें चाहे वे कितने ही वांछनीय क्यों न हों, तो मैं समझता हूं कि इसकी कार्यक्षमता निश्चय ही घट जायगी । हम इसका प्रयोग उचित समय पर करना चाहते हैं । संभवतः विरोधी सदस्यों के दृष्टिकोण में यह उचित ढंग न हो । एक उद्योग की असमता को दूर करने के लिए हमें दूसरे उपायों का प्रयोग करना होगा जो कि इस उपाय की अपेक्षा एकदम से भिन्न होंगे ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि :—

"विधेयक, जैसे कि उसमें संशोधन किये गये हैं, पास किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

चाय विधेयक---जारी

सभापति महोदय : अब हम चाय विधेयक पर आगे विचार करें ; श्री टामस ।

श्री ए० वी० टामस (श्री वेकुण्ठम्) :उस दिन मैं अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाज़ार बोर्ड से, इस उद्योग अथवा चाय बोर्ड, जो कि आज कल कार्य कर रहा है, इनके बिना परामर्श के ही अपने आप को अलग करने के सम्बन्ध में कह रहा था । भारत तथा अमरीका के बीच हुए समझौते जिसके अनुसार अमरीका में चाय का प्रचार करने के लिए जो नया प्रबन्ध किया गया है उसके विषय में भी मैं ने कहा था । इस समझौते की शर्तें हमारे देश के लिये अधिक लाभदायक नहीं हैं । वर्तमान विधेयक में एक उपबन्ध है कि ऐसे विषय पर चाय बोर्ड से परामर्श कर लेना चाहिए । किन्तु इस वर्तमान विधेयक में परामर्श लेने की बात को एक दम छोड़ दिया है ।

चाय उद्योग संघ के सभापति ने अपनी सफलताओं, अपनी आशा तथा उनमें हुई असफलता, तथा इस उद्योग के सम्मुख आई कठिनाइयों का वर्णन किया है । तथा उन मामलों में जिनमें उन्हें सरकार की सहायता की आवश्यकता थी तथा वह सहायता उन को न मिल सकी इस कमी का वर्णन है । हमारे माननीय मंत्री महोदय ने इन सब को दुरुपयोग कहा है । यदि सच्ची आलोचना तथा तथ्यों के स्पष्टीकरण को दुरुपयोग कहा जायगा तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार अपनी बात कह सकेंगे । सभापति के प्रतिवेदन में

[श्री ए० वी० टामस]

सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है।

सभापति ने दूसरी ओर सरकार की प्रशंसा ही की है। चाय बगान में काम करने वालें श्रमिकों तथा कर्मचारियों को दी जाने वाली डाक्टरी तथा दवाई सम्बन्धी सहायता की प्रशंसा की है

चाय बगान उद्योग में अभारतीय लोग भी काफी संख्या में हैं इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि यह निश्चित कर लिया जाता है कि चाय इत्यादि उद्योग को भी सम्मिलित करके सभी उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो तो हम चाहते हैं कि इसकी धाराओं में कुछ परिवर्तन तथा कुछ संशोधन हों ताकि वे इस उद्योग में तथा सरकार के लिए सहायक हों ताकि सरकार उन व्यक्तियों को जो इन बगानों में काम करते हैं बिना कोई हानि पहुंचाये अथवा उनसे बिना कुछ लिए आवश्यक नियंत्रण इस उद्योग पर कर सके। इस विधेयक के अनुसार चाय बोर्ड में ४० व्यक्तियों से अधिक नामांकत नहीं किये जा सकते। यह नामांकन सरकार के हाथ में होगा। सभापति की नियुक्ति सरकार द्वारा आवश्यक एवं वांछनीय शर्तों के अनुसार होगी। उप-सभापति की नियुक्ति भी सरकार करेगी। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। कार्यकारिणी तथा अन्य समितियां भी बनाई जायेंगी किन्तु उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाये गये हैं। मंत्री तथा कर्मचारी भी सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। ३५० तक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को लोक सेवा आयुक्त के परामर्श द्वारा नियुक्त किया जायगा। किन्तु इससे अधिक वेतन पाने वालों को सरकार नियुक्त करेगी। हमारा कहना है कि मंत्री तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के समय सरकार बोर्ड का परामर्श ले यह बोर्ड भी एक प्रकार से सरकार का ही है क्यों कि इसके वही सदस्य होंगे जो भिन्न भिन्न उद्योगों में रुचि रखते हों किन्तु साथ ही सरकार की नीति में विश्वास रखते हों। इन कर्मचारियों को अलग करने का अधिकार भी खंड ११ (क) के अन्तर्गत सरकार को है।

जहां सरकार ने निर्यात परिमात्रा को निश्चित करने के लिए खंड १९ के अनुसार बोर्ड से परामर्श लेने की सुविधा रखी है वहां मंत्री तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में बोर्ड को नहीं पूछा गया यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

क्या वह सभी एकत्रित धन चाय निधि की स्वेच्छा पर छोड़ा जायगा? यह एकत्रित धन लगभग ९४ लाख है। उस धन का जो किसी उद्योग विशेष से कर स्वरूप लिया जाता है प्रयोग उस उद्योग के लाभ उपयोग, तथा इस विधेयक में दिये गये सभी उपबन्धों के लिए किया जाना चाहिए।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यह तो संसद् के लिए छोड़ दिया गया है। संसद् ही यह बतलायेगी कि उस धन का प्रयोग उस कार्य के लिये किया जा सकता है अथवा नहीं क्यों कि संसद् ही विनियोग की स्वीकृति दिया करती है; सरकार धन की मात्रा निश्चित करती है तथा प्रस्ताव रखती है और संसद् उस पर स्वीकृति देती है। महा-लेखापरीक्षक के वर्तमान नियम के अनुसार अब हम यह कर एकत्रित नहीं कर सकते। यह तो एक प्रक्रियात्मक ढंग है इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह बोर्ड को उसके उचित अधिकारों से वंचित करना

चाहते हैं। स्थिति तो यह है कि संसद् सर्वोच्च है ।

श्री ए० वी० टामस : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की सिफारिश करेगी कि वह सकल धन जो एकत्रित किया गया है बोर्ड को प्रचार कार्य के लिए वापिस दे दिया जाय। प्रश्न तो यह है कि क्या वह एकत्रित धन चाय उद्योग के लिए प्रयोग किया जायगा। जब कभी धन फालतू रह जाता है तो उसका क्या किया जाता है ?

अब मैं मुख्य उपबन्ध खंड ३० पर आता हूं । इस धारा के अन्तर्गत सरकार यह अधिकार चाहती है कि वह चाय के उच्चतम तथा न्यूनतम भाव निश्चित कर सके । अर्थात उच्चतम तथा न्यूनतम चाय के वे मूल्य जो कि चाय उत्पादक निर्माता तथा व्यापारी, थोक तथा खुदरा व्यापारी भारती बाजार में अथवा मिर्यात के लिए लिये जा सकें । भारतीय बाज़ार के लिए उच्चतम तथा न्यूनतम भाव निश्चित करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि निर्यात के लिए ये भाव क्यों निश्चित किये जा रहे हैं । आजकल हम अपनी आवश्यकता से अधिक चाय उत्पादन कर रहे हैं। विदेशी बाजारों में तो भारतीय बाजारों की अपेक्षा हमारी चाय के दाम अधिक मिलते हैं । तो फिर क्या आवश्यकता है कि निर्यात के लिए भी भावों को निश्चित किया जाय ।

एक खंड है जिसमें बताया गया है कि एक समय में इतनी चाय ही बेची जा सकती है तथा एक व्यक्ति को इस भाव पर केवल इतनी ही चाय बेची जा सकती है । यह खंड बड़ा खतरनाक है । चाय उद्योग कोई धनवान उद्योग नहीं है । इस प्रकार तो चाय उत्पादक को बड़ी कठिनाइयां होंगी । अतएव माननीय मंत्री इस पर पुनः विचार करें ।

समय बदल रहा है उद्योग भी देश की भलाई में लगेंगे । किन्तु यदि आप मुझ पर यह प्रतिबन्ध लगा देते है कि मैंने जो कुछ पैदा किया है उसे नहीं बेच सकता तो मुझे बड़ी कठिनाई होगी तथा मेरा सभी काम ठप्प हो जायगा ।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में काफी का भी हवाला दिया है । काफ़ी के सम्बन्ध में उनके विचार बड़े कटु हैं । यह सत्य है कि कॉफी का भाव बढ़ गया है। किन्तु यह सरकार की नीति के ही कारण है । कॉफी की मात्रा कुछ बढ़ गई थी जिसे बोर्ड भारत में ही बेचना चाहता था ताकि भाव समान रहें; किन्तु सरकार ने इसे निर्यात के लिए मांग लिया। बस यहीं से कठिनाई शुरू हो गई । काफ़ी की फालतू मात्रा ले ली गई। जब व्यापारियों को पता लगा कि कॉफ़ी का स्टाक कम है तो उन्होंने भाव बढ़ा दिया । जिस पर माननीय मंत्री ने कहा कि कॉफ़ी बोर्ड का उद्देश्य वर्तमान प्रबन्ध को ध्वंस करने का था । मैं सिद्ध कर सकता हूं कि काफ़ी बोर्ड का ऐसा उद्देश्य कभी भी नहीं था । बोर्ड ने सरकार द्वारा भेजी गई आज्ञाओं का उल्लंघन करने का कभी भी विचार नहीं किया । सदैव ही उन आज्ञाओं का पालन किया है।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे सभी संशोधनों पर जो मैंने रखे हैं विचार करें।

चाय बागों के स्वामी मेहनत का काम करते हैं और वे सचमुच अच्छे लोग हैं । अतः मंत्री महोदय को हमारी मांगों को यथा सम्भव पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि उनको कोई

[श्री ए० वी० टामस]

कठिनाइयां हों तो वह हमें बताएं । इससे बहुत सी बातें साफ हो जायेंगी ।

दक्षिण भारत में जो रबर उद्योग है मैं उसके सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को विषय से संगत बातें कहनी चाहियें ।

एक माननीय सदस्य : यहां पर रबर की चर्चा कैसे उठती है ?

श्री ए० वी० टामस : यह एक निर्यात और आयात का प्रश्न है । हमने सरकार से अपील की थी कि वह रबर के निर्यात की अनुमति दे दे क्योंकि देश में उसका फालतू स्टाक है । लगभग छै महीने में उसको हमारी बात की सच्चाई का अनुभव हुआ और उसने ४०० टन रबर निर्यात किए जाने की अनुमति दे दी थी । लेकिन अभी भी देश में बहुत सी फालतू रबर है । उसके लिए भी निर्यात की आवश्यक अनुमति शीघ्र ही दे दी जानी चाहिए ।

श्री ए० के० बसु (उत्तर बंगाल) : उत्तर-पूर्व भारत के अनार्थिक चाय बागों के विशेष संरक्षण के लिये मैं कुछ कहना चाहत हूं । चाय का मूल्य आठ से दस आना प्रति पौंड बढ़ गया है, और शायद यह बढ़ा हुआ मूल्य कुछ दिनों तक रहेगा । इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि, चाय बागों ने अपनी १९४९ और १९५१ के बीच की अधिक मात्रा में हुई फसल में १२$\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमी करने का निश्चय कर लिया है । दूसरा और मुख्य कारण, मेरी समझ में यह है कि बड़े चाय बागों वाले यह आशा करते हैं कि इसके परिणामस्वरूप अनार्थिक चाय बाग समाप्त हो जायेंगे । मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसे सभी अनार्थिक चाय-बाग भारतीय बाग हैं । इसके विपरीत बड़े चाय बाग विदेशी लोगों के हाथ में हैं । अधिकांश भारतीय चाय बाग १९१८ और १९३० के बीच बने थे । १९३० में चाय व्यापार में मंदी आ जाने के कारण और १९३४ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के अनुसार भारत की चाय की निर्यात मात्रा के कम हो जाने के कारण, विद्यमान चाय बागों के और विस्तार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था जिसके अनुसार उक्त अनार्थिक चाय बाग १५० एकड़ से अधिक बड़े नहीं हो सके । वर्तमान परिस्थितियों में ५०० एकड़ से कम का कोई भी बाग आर्थिक इकाई नहीं माना जा सकता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मेरा सुझाव यह है इन छोटे बागों के विस्तार पर से यह प्रतिबन्ध हटा लिया जाना चाहिए और उन्हें ५०० एकड़ तक बढ़ने की अनुमति दे दी जानी चाहिए । मेरा यह भी सुझाव है कि इन छोटे अनार्थिक चाय बागों के फसल के उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए ।

अन्त में मैं यह सुझाव रखूंगा कि इन छोटे चाय बागों को अपने उत्पादन की पूरी मात्रा तक निर्यात करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए । इन पर निर्यात कोटा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहीं की जानी चाहिए ।

यदि मेरे यह सुझाव मान लिए जायें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ ही वर्षों में ऐसे अनार्थिक चाय बाग भी आर्थिक इकाइयां हो जायेंगे ।

श्री टी० के० चौधरी : यह विधेयक अधिवेशन के समाप्त होने के कुछ ही काल

पूर्व विचारार्थ रखा गया है। पता नहीं भविष्य में यह फिर कब सामने आयेगा; हमें यह भी नहीं मालूम है कि यह विधेयक इसी अधिवेशन में विधि बन जायेगा अथवा नहीं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं आशा करता हूं कि यह इसी अधिवेशन में विधि बन जाएगा।

श्री टी० के० चौधरी : प्रवर समिति ने इस विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थन किया था। यह विधेयक सभी दशाओं में, खेती से पणन तक, चाय उद्योग पर नियंत्रण राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार को देने का विचार रखता है। जैसा कि विधेयक के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य नियंत्रण और कोटा के वितरण के मामलों को छोड़ कर बाकी सारा प्रस्तावित नियंत्रण साधारणतः इस विधेयक की शर्तों के आधीन बनाए गए केन्द्रीय चाय बोर्ड द्वारा लागू किया जायेगा। माननीय मंत्री के कथनानुसार इस बोर्ड में चाय उद्योग से सम्बन्धित सभी प्रकार के हितों का उचित प्रतिनिधित्व रहेगा। पर जो बातें उन्होंने बताई हैं उनसे मैं मज़दूर हितों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में संतुष्ट नहीं हूं। चाय के बागों में मज़दूरों की बहुत बुरी दशा है। विशेष कर आसाम आदि की तरफ के बागों में। अतः मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनके हितों के प्रतिनिधित्व के हेतु इन क्षेत्रों में काम करने वाले अखिल भारतीय केन्द्रीय मज़दूर संघों को चाय बोर्ड पर प्रतिनिधि नामांकित करने का अधिकार दे दिया जाय।

चाय उद्योग में अंग्रेज़ों तथा अंग्रेजी हितों का प्रभुत्व है। अतः यदि वास्तविक रूप में राष्ट्रीय हित में इस उद्योग का नियंत्रण करना है तो भारतीय चाय बागों के स्वामियों को काफी अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था भी होनी चाहिये थी कि विशेष परिस्थितियों में चाय उद्योग की इकाइयों को राष्ट्रीय हित में राज्य अपने अधिकार में प्रबन्ध के लिये ले सकता है। पता नहीं यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई।

१ म० प०

अब मैं कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करूंगा। भारत में चाय उद्योग के क्षेत्र में विदेशियों, विशेषकर अंग्रेजों की प्रधानता है। उस उद्योग में उनकी ७५ प्रतिशत पूंजी लगी हुई है और ८० प्रतिशत चाय उद्योग पर उनका नियंत्रण है। केवल यही नहीं, तथ्यों के निकट अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चाय उद्योग के अतिरिक्त अन्य भारतीय उद्योगों में भी उनका हाथ है जिसके फलस्वरूप वे हमारे आर्थिक जीवन पर नियंत्रण रख पाते हैं। यह हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यन्त हानिकारक बात है। अधिकांश प्रमुख चाय बागों की प्रबन्ध अभिकर्ता विदेशी कम्पनियां ही हैं कुछ भारतीय प्रबन्ध अभिकर्ता भी हैं पर उनका नियंत्रण केवल छोटे बागों पर ही है।

कुछ चाय के बागों तथा प्रबन्ध अभिकरणों में भारतीयकरण का रूप देने की चेष्टा की गई है। पर तथ्य बताते हैं कि वास्तविकता कुछ और ही है। एक या दो भारतीयों को सम्मिलित कर लेने से भारतीयकरण तो नहीं हो जाता। जहां तक चाय बागों का सम्बन्ध है, उनके स्वामित्व अथवा प्रबन्ध के नियन्त्रण का भारतीकरण हुआ नहीं कहा जा सकता।

श्री बंसल : स्वामित्व भारतीय है; प्रबन्ध अब भी उनका हो सकता है।

श्री टी० के० चौधरी : किसी माननीय सदस्य ने योरोपीय चाय बागों का पक्ष लेते हुए कहा था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से वे (चाय बागों के विदेशी स्वामी) बिल्कुल बदल गए हैं। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं।

भारतीयकरण के प्रश्न पर मैं तो यही कहूंगा कि इन विदेशी प्रबन्ध अभिकरण फर्मों में एक या दो भारतीयों के रख लिए जाने से भारतीयकरण नहीं हो सकता।

यह सब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सदन को यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो जाय कि ये योरोपीय प्रबन्ध अभिकरण फर्में केवल चाय बागों ही पर नियंत्रण नहीं रखती हैं बल्कि सारे चाय उद्योग और चाय व्यापार पर भी उन्हीं का नियंत्रण है। चार विदेशी फर्में चाय के नीलाम को नियंत्रित करती हैं। उन में भी एक या दो भारतीयों को रख कर भारतीयकरण का ढोंग रचा गया है, और उसी के आधार पर उनका कहना है कि वे राष्ट्रीय कम्पनियां हैं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य और समय लेंगे।

श्री टी० के० चौधरी : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : कल ८–१५ म० पू० तक सदन स्थगित रहेगा।

इसके पश्चात सदन की बैठक बुधवार, ६ मई १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।